खण्ड-301, अंक-7
सोमवार, 2 माघ, शक संवत् 1894
(22 जनवरी, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच, कानपुर के टिकट न मिलने के कारण छात्रों द्वारा कमला टावर के सामने प्रदर्शन करने के फलस्वरूप कालेजों के बन्द करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	807–812
मेसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल लिमिटेड, बरेली में श्रमिकों की बठकों के संबंध में वक्तव्य	812–815
उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 को वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	815–826
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	826
उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, (श्री रोशन लाल) द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट पर चर्चा	826–836
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प (विवाद जारी) ..	836–859
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	859–861
प्रदेश में खाद्यान्नों के भयानक संकट तथा राशन की दुकानों में गल्ले के अभाव के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	861–871
नत्थियां	872–879

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 22 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--367

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदयप्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशव राम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री

गोबिन्द सिंह, नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजबहादुर, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीप नारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)

बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत् दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज बिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजित राम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
राम निहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पाण्डेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह, यादव, श्री
रूपराम, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्राम दास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भ नारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिव बचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव संपत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नूबाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा

श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही , डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट :—पंचायती राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 22 जनवरी, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय में आशुलिपिकों की नियुक्ति

****1—श्री विश्वनाथ कपूर, (जिला फैजाबाद), श्री महराम सिंह, (जिला फर्रुखाबाद), श्री मोती लाल यादव (जिला जौनपुर), श्री धर्मवीर सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' (जिला मथुरा)—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भाषा अनुभाग–1, द्वारा सचिलालय हिन्दी आशुलिपिक कक्षा के प्रशिक्षार्थियों को आशुलेखन में दिनांक 23 जनवरी, 1972 को ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को विधिवत् नियक्त न करके उक्त पदों पर उन लोगों की सीधी भर्ती की गई है, जिन्होंने आशुलेखन में कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)—

जी हां । नियमानुसार सचिवालय में वैयक्तिक सहायक (ग्रेड–2) के पदों पर केवल ऐसे लोगों की ही नियुक्तियां की जा सकती हैं, जिन्हें हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं की आशुलिपि का पूर्ण ज्ञान हो । भाषा अनुभाग–1 द्वारा आशुलिपि की जो कक्षायें चलाई जाती हैं वे केवल हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण देने के लिये होती हैं, अतः उक्त अनुभाग द्वारा जनवरी, 1972 में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

जिन लोगों की सीधी भर्ती की गई है उनकी नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गई हैं और उनके संबंध में विभागाध्क्षों ने यह प्रमाणित किया है कि वे द्विभाषीय आशुलिपिक हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सरकार भाषा विभाग पर लाखों रुपया खर्च कर रही है तो उनके द्वारा पास शुदा आशुलिपिकों को न लेने का क्या कारण है और जब उनको सर्विस में नहीं लिया जाता तो उनके द्वारा आशुलिपिक की परीक्षायें कराने से क्या लाभ है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

भाषा अनुभाग द्वारा हिन्दी की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वे इस उद्देश्य से कि कर्मचारी अपनी आशुलिपिक की गति को बढ़ा सकें। सर्विस में उन्हीं लोगों को लिया जाता है जो अंग्रेजी व हिन्दी दोनों प्रकार की आशुलिपि जानते हैं। इन परीक्षाओं का केवल अभिप्राय यही है कि लोग आशुलिपि की गति बढ़ायें तथा उसे सीखें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जिन लोगों ने भाषा अनुभाग द्वारा हिन्दी शार्ट हैंड की परीक्षायें पास कर ली हैं क्या उनके बारे में आपने कोई पत्र ऐसा सर्कूलेट कराया जिससे यह विदित हो सके कि अमुक-अमुक लोगों ने हिन्दी शार्टहैंड की परीक्षा पास कर ली है ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जब नियुक्तियां होती हैं तो विभागाध्यक्षों से नाम मंगाये जाते हैं और ऐसे लोगों के ही नाम मंगाये जाते हैं जो हिन्दी व अंग्रेजी दोनों आशुलिपि का ज्ञान रखते हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

परीक्षा में पास शुदा लोगों को छोड़ कर सीधे जिनकी भर्ती की गयी है, उनके नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में योग्यता रखने वाले कर्मचारियों की ही नियुक्ति की जाती है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मैंने नाम पूछे थे जो सीधे लिये गये हैं विभागों से ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जिनकी सीधे भर्ती हुई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :— 1—श्री राजेन्द्रनाथ मेहरोत्रा, 2—श्री शान्तिपाल, 3—श्री जे0 पी0 तिवारी, 4—श्री आर0 बी0 एस 0चौहान, 5—श्री शीतल प्रसाद वर्मा, 6—श्री पवित्रमय खेर, 7—श्री भानुप्रसाद, 8—श्री दीपमणि पांडेय, 9—श्री गिरीश विक्रम श्रीवास्तव, इस तरह मान्यवर यह 19 लोग हैं जिनकी सीधे भर्ती की गयी है। यह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों आशुलिपि का ज्ञान रखते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नियुक्तियां हुई हैं, उनकी कोई परीक्षा हुई थी ? यदि हुई थी, तो किस माध्यम से और कब हुई थी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मैं निवेदन कर दूं, वैसे तो इसकी जो नियुक्ति होती है, वह पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होती है, किन्तु चूंकि उसने बहुत दिनों से कोई परीक्षा नहीं ली है, यद्यपि हमने कमीशन से बराबर निवेदन किया है, इसलिए हमें ऐडहाक बेसेज पर ये नियुक्तियां करनी पड़ीं, जो कभी कैबिनेट एक्सपेंशन वगैरह के कारण ऐसी नियुक्तियां करनी पड़ती हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

दोनों भाषाओं की आशुलिपि के ज्ञान का मापदण्ड क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया तो कि दोनों की आशुलिपि जानने का प्रमाण-पत्र मिला।

श्री विश्वनाथ कपूर—

हिन्दी की जो परीक्षा भाषा अनुभाग द्वारा होती है और जिन्होंने उस परीक्षा को पास किया था, क्या नियुक्तियों के समय उनसे पूछा गया था कि तुम्हें क्या अंग्रेजी का ज्ञान है या नहीं है ? यदि नहीं पूछा गया, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

इसमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का आशुलिपिक होना जरूरी है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

यदि उन्होंने हिन्दी पास किया था तो उनसे पूछना चाहिये था कि आप अंग्रेजी को जानते हो या नहीं, यही तो विभाग की गड़बड़ी है। जिन्होंने हिन्दी परीक्षा पास की थी उनसे क्या यह पूछा गया या नहीं कि आप अंग्रेजी जानते हैं या नहीं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह जो भाषा अनुभाग द्वारा परीक्षा होती है, उसमें बहुत से वैयक्तिक सहायक हमारे यहां के बैठते हैं, बहुत से स्पीड बढ़ाने के लिये बैठते हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जो नियुक्तियां हुई हैं, उसमें बरेली और बनारस के कितने-कितने व्यक्ति हैं ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह हमारे पास सूचना नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि शायद बरेली का कोई नहीं होगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

और बनारस के ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

कहा तो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

सरकार द्वारा गेहूं और चावल के थोक व्यापार का संचालन

**2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव) श्री त्रिलोक चन्द, (जिला बुलन्दशहर) श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार ने राज्य में गेहूं और चावल के थोक व्यापार का संचालन का कार्य अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब और इसकी व्यवस्था कब से किस प्रकार प्रारम्भ होगी और सरकार का वार्षिक खर्च अनुमानतः इस व्यवस्था पर कितना पड़ेगा ?

खाद्य तथा रसद, राज्य मन्त्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

राज्य सरकार ने गेहूं और चावल के थोक व्यापार को क्रमिक रूप से अपने हाथ में लेने का सिद्धांततः निर्णय ले लिया है। इससे संबंधित अन्य पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सरकार के इस क्रमिक रूप में चावल का नम्बर किस साल आएगा और गेहूं का नम्बर किस साल आएगा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इस वर्ष रबी की फसल के साल में गेहूं और खरीफ की फसल के साल में चावल का।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या इसके सम्बन्ध में कोई योजना तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो वह क्या है, उसकी तफसील बता दें?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में सिद्धांत रूप से तय कर लिया गया है, लेकिन विशेष प्रशासनिक वित्तीय, कानूनी और अन्य तैयारियों के बारे में विचार करने के लिये भारत सरकार से पूछा गया है।

भारत सरकार ने एक सब कमेटी बनायी है, वह उसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। उस प्रदेश सरकार के खाद्य मन्त्री उस कमेटी के सदस्य हैं, जो हर पहलू पर विचार कर रहे हैं। उनसे निवेदन किया गया है। हमने सिद्धांत के रूप में लेने की बात तय कर ली है। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ ही लो ताकि स्मगलिंग की गुंजाइश न रहे।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे जिन्होंने अपनी यह स्कीम बनाते समय इस वक्त तक अन्दाजा लगा लिया है कि सरकार को कितना खर्चा आयेगा सरकारी भत्तों और वेहिकिल्स वगैरह पर ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अभी इन तमाम पहलुओं पर विशेष रूप से विचार किया जा रहा है। वैसे अनुमान यह है कि गेहूं की खरीददारी जब टेक अप करेंगे 174 करोड़ रुपया रहेगा। जहां तक भत्ते और वेहिकिल्स पर खर्च का सवाल है, वह वर्क आउट करके बताऊंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

ऐसा अनुभव में आया है कि सरकारी गोदामों में बहुत ज्यादा मात्रा में अनाज नष्ट हो जाता है उसका प्रबन्ध नहीं हो पाता, अच्छे गोदाम नहीं मिलते। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह ध्यान में रखते हुए, इतने रुपये का व्यापार करेंगे तो कितने गोदामों की जरूरत पड़ेगी और उसकी व्यवस्था हो गयी है, इसके बारे में कुछ सोचा है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 लाख टन अनुमान है कि गेहूं का मार्केट सरप्लस होगा। उसकी दिशा में गोदामों की व्यवस्था की गयी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह जवाब पूरा नहीं हुआ। जो गोदामों की व्यवस्था की गयी है। प्रश्न यह है कि कितने गोदामों की आवश्यकता है, उतने गोदामों की व्यवस्था की गयी है और की गयी है तो क्या अच्छे गोदामों की व्यवस्था की गयी है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

बहुत से गोदाम हमारे पास बने हुए पड़े हैं। जैसे कानपुर में है, हापुड़ में है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कितने गोदामों की आवश्यकता है और कितने का प्रबन्ध किया ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

गोदामों की कितनी आवश्यकता पड़ेगी यह तो तादाद से सम्बन्धित है। मैंने अपने उत्तर म निवेदन किया था कि 20 लाख टन अनुमानित क्रय की उम्मीद है। 20 लाख टन की व्यवस्था की गयी है। संख्या बताना बड़ा मुश्किल है। एक गोदाम 4 सौ बोरे का भी हो सकता है, और चार हजार बोरे का भी हो सकता है। तो गिनती कैसे बतायी जाय ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मन्त्री बतायेंगे कि जब ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें स्मगलर्स की गुंजायश न रहे तो सरकार स्मगलर्स के प्रति जो उत्तरदायित्व निभाती चली आ रही है वह उत्तर-दायित्व भविष्य में कैसे निभायेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

स्मगलर्स के बारे में विशेष जानकारी मैं प्राप्त कर लूंगा माननीय सदस्य सुरेन्द्र विक्रम जी से।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि गेहूं और चावल के थोक व्यापार चलाने के लिये एफ0 सी0 आई0 ने कहा है कि 15 रुपये प्रति क्विंटल का मार्जिन होगा तब खर्चा उसका चलेगा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य ने उल्टी बात कह दी। मैं उससे सब्सिडी मांगता हूं, वह मुझ से नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष जी, आप कभी इधर भी तो देख लिया कीजिये।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

मैं जानना चाहता हूं कि कीमत क्या देंगे किसान को ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री शफीक अहमद खां—

उठता है जब तय कर लिया है गेहूं इतना खरीदेंगे। मैं मालूम करना चाहता हूं कि क्या निश्चय लिया है, किसान से किस भाव सरकार लेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

थोक व्यापार को हाथ में लेने का मंशा यही है कि इश्यु प्वाइंट पर गल्ले के दाम न बढ़ने पायें और जो रीजनेबिल दाम हैं वे लिये जायं।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

सरकार ने यह उत्तर दिया कि अगली फसल पर वह गहूं का थोक व्यापार हाथ में ले लेगी और यह भी कहा कि 174 करोड़ रुपये के लगभग व्यय होगा तो क्या सरकार ने यह भी विचार किया कि इस गल्ले के व्यापार में प्रदेश में जो बड़े व्यापारियों के अलावा छोटे व्यापारी, पल्लेदार मुनीम आदि लगे हुए हैं वे बेकार हो जायेंगे तो उनको काम देने के लिये कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने निवेदन किया कि विस्तारपूर्वक सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने मन्त्री स्तर की एक कमेटी बनाई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य मन्त्री भी एक सदस्य हैं। जहां तक गल्ले के व्यापार में लगे लोगों के विस्थापित होने का प्रश्न है, कोई भी सरकार ऐसा सोच नहीं सकती कि वह किसी को बेरोजी करेगी। हमेशा रोजी रोटी देने की बात वह सोचती है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

एक तो मन्त्री जी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में गल्ले का व्यापार करने हेतु सरकार स्टेट फूड कार्पोरेशन बनायेगी। दूसरे सेंटर में कोई मन्त्री स्तर पर कमेटी बनाई जायगी जिसके सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य मन्त्री भी होंगे। इन दोनों बातों में से कौन सी बात लागू होगी ? क्योंकि एक महीने के बाद ही रबी का सीजन आ जायगा। क्या यह सम्भव है कि इसी सीजन से सरकार यह प्रोग्राम लागू कर देगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अपनी-अपनी दिशा में दोनों बातें सही हैं। फूड कार्पोरेशन बनाने के लिये भारत सरकार से इजाजत मांगी गयी है और जो मन्त्री स्तर पर कमेटी बनाई है वह विशेष रूप से इसके हर पहलू पर विचार करेगी और वह हाई पावर मन्त्री स्तर की कमेटी है और जिन काम्प-लिकेशन के बारे में माननीय सदस्य ने बताया वह उन पर विचार कर रही है ताकि प्रदेश को उनसे बचाया जा सके।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री महोदय बतलायगे कि थोक व्यापार के हाथ में लेने से खुले बाजार में चावल, गेहूं का आना बन्द हो जायगा तो क्या सरकार राशनिंग करने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अगर ऐसी स्थिति आयेगी तो सरकार उससे भागेगी नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मन्त्री महोदय ने सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार किया लेकिन सरकार ने उसके डिटेल्स को वर्क आउट नहीं किया तो क्या उसने इस पहलू पर भी विचार किया है कि प्रदेश के समस्त गल्ला व्यापारियों ने सरकार को एक प्रतिवेदन दिया है कि पहले सरकार उनकी बातों को सुने और सभी पहलुओं पर विचार करे जैसे उनकी बेकारी के सम्बन्ध में, खाद्यान्नों की कमी के बारे में तो क्या सरकार व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल को बुला कर इन पहलुओं पर विचार करेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने निवेदन किया कि भारत सरकार ने मन्त्री स्तर की एक कमेटी बनाई है जो डिटेल में इन चीजों को वर्क आउट करेगी। जहां तक व्यापारियों का सवाल है लोकतंत्र में मन्त्री

प्रजा का दास होता है। जब भी व्यापारी वर्ग बात करना चाहेगा प्रदेश की सरकार उनसे बात करने के लिये तैयार रहेगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है कि इस सम्बन्ध में मेरे पास चरण सिंह जी ने एक प्रस्ताव भेजा हुआ है कि इसके ऊपर चर्चा हो। मैंने यह कहा है कि पहले मन्त्री जी से प्रश्न पूछ लें और वे करना भी चाहते हैं। उसके बाद किसी रोज आगामी सत्र में इसे ले लेंगे क्योंकि इसमें कन्सोडेरेशन लम्बा चलेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न। यह प्रश्न सरकार की नीति के सम्बन्ध में है। इसके ऊपर हमें संतोष नहीं हुआ है। इसलिये आप इसे नियम 49 में स्वीकार कर लें। आगे इसका प्रभाव पड़ेगा।

सोमैय्या आर्गनिक्स लिमिटेड, बाराबंकी के कर्मचारियों की मांगें

**3—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद) तथा श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार को जानकारी है कि शोमैय्या आर्गनिक्स लिमिटेड, बाराबंकी के कर्मचारी दिनांक 9 दिसम्बर, 1972 से पूर्ण हड़ताल पर है? यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं तथा इस विवाद को सुलझाने के लिये शासन ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)—

जी हां, सोमैय्या आर्गनिक्स (इन्डिया) लिमिटेड, बाराबंकी के कर्मचारी 9-12-72 की रात्रि 9 बजे की पाली से हड़ताल पर थे। कर्मचारियों की मांगें निम्न थीं:—

(1) यू० पी० इन्डस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैंडिंग) आर्डर, 1972 के अनुसार 10 दिन की सिक लीव श्रमिकों को दी जाय।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित महंगाई भत्ता की दरों को लागू किया जाय।

(3) कोयले के मजदूरों की तनख्वाह जो 105 रु० से घटाकर 90 रु० कर दी गई है, पुनः 105 रु० प्रतिमास कर दी जाय।

मांग संख्या (1) पर चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिष्ठान द्वारा स्टैंडिंग आर्डर के विरुद्ध दायर की गई रिट याचिका पर 21-11-1972 को स्थगनादेश प्रदान कर दिये हैं, इस हेतु शासन द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई—

मांग संख्या (2) पर श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनवाई की जा रही है।

मांग संख्या (3) को 25 नवम्बर, 1972 को यूनियन ने ही वापस ले लिया था। 2 जनवरी, 1973 को शासन ने प्रतिष्ठान के सेवायोजकों तथा श्रमिकों को 90 दिन के लिए तालाबन्दी की घोषणा करने या घोषणा बनाये रखने अथवा हड़ताल करने या हड़ताल पर बने रहने का निषेध कर दिया। तदुपरान्त श्रम विभाग के प्रयत्न से समझौता हो जाने की वजह से प्रतिष्ठान में 5 जनवरी, 1973 को हड़ताल समाप्त हो गई है।

श्री विश्राम दास—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन हड़तालियों द्वारा कितने धन की हानि हुई?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, कितना एस्टीमेटेड लास इन प्रोडक्शन म हुआ, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय श्रम मन्त्री बतायेंगे कि जो मांग नं0 2 है, उसे श्रमायुक्त को सौंपा गया है। उसने अब तक क्या कार्यवाही की है? क्या सेवायोजकों और श्रमिकों की कोई बैठक हुई या नहीं? यदि हुई, तो उसके क्या निर्णय रहे?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

महंगाई के सिलसिले म यूनियन से एग्रीमेन्ट हो गया था। आया यह कंसर्न जो हैवी केमिकल से सम्बन्धित है उन पर यह अनुशंसा लागू की जाय या नहीं, इस पर शीघ्र ही श्रमायुक्त का निर्णय हो जायेगा।

बी0 एन0 एस0 डी0 कालेज, कानपुर में इंजीनियरिंग परीक्षा

**4—श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 26 दिसम्बर, 1972 से बी0 एन0 एस0 डी0 कालेज, कानपुर में एस0 ई0 एम0 ई0 एस0 कैडर के लिये होने वाली परीक्षा का अन्डर आपरेटिंग कैडर पर नियुक्त शत प्रतिशत विभागीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग ने बहिष्कार किया? यदि हां, तो क्यों और उनकी क्या मांगें थीं?

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी नहीं। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

1—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेश में मिट्टी के तेल व डीजल आयल की कमी

*2—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि नवम्बर, 72 के पहले सप्ताह में प्रदेश में मिट्टी के तेल, डीजल आयल का भयानक अकाल पड़ गया है जिससे हरित क्रांति खतरे में है और हजारों पंपिंग सेट डीजल से चलने वाले बन्द हो गये हैं? यदि हां, तो इस विषय में तत्काल क्या कार्यवाही सरकार ने की जिससे डीजल व मिट्टी का तेल उचित मूल्य पर कृषकों को मिलता रहे जिससे पंपिंग सेट चालू रहे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह सही है कि नवम्बर, 1972 में प्रदेश के कतिपय जिलों में मिट्टी के तेल तथा डीजल की कमी हो गई थी। किन्तु डीजल से चलने वाले पंपिंग सेट बन्द पड़ने की सूचना प्राप्त

नहीं हुई। शासन द्वारा तुरन्त इन्डियन आयल कार्पोरेशन से सम्पर्क स्थापित करके प्रभावित जिलों को मिट्टी का तेल व डीजल पहुंचाने की व्यवस्था कराई गई।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

एक तरफ तो माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि मिट्टी के तेल और डिजल आयल की कमी हो गयी थी और दूसरी तरफ कहते हैं कि डीजल पंपिंग सेट्स के बन्द होने की उनको कोई सूचना नहीं है, तो वे कृपा करके बतलायेंगे कि वे उन पंपिंग सेट्स को पानी से चलवा रहे थे, हवा से चलवा रहे थे या कैसे चलवा रहे थे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कमी का मतलब यह नहीं है कि वे चीजें बाजार से एकदम उड़ गयी थीं। उनकी कमी थी फिर भी आपके एकबाल से डिजल के पम्पिंग सेट्स चल रहे थे।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि मिट्टी का तल अब भी कहीं-कहीं 90 पैसे लिटर और 1 रुपये लीटर की दर से बिक रहा है? यदि हां, तो उसको ठीक रेट पर बेचवाने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

ऐसी सूचना व्यापक रूप से नहीं है लेकिन कहीं-कहीं दूकानों पर जब शार्टज हो जाती है तब उसका दाम बढ़ जाता है। जहां से भी कमी की सूचना मिलती है तत्काल वहां मिट्टी के तेल की सप्लाई करके उस कमी को पूरा कर दिया जाता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि पम्पिंग सेट्स से चलते रहें और लोगों को डिजल मिलता रहे, जिलों में कंट्रोल की दूकानें खोलवाने की व्यवस्था करेंगे जहां से पम्पिंग सेट्स के लिये लोगों को सही रेट पर डिजल आयल मिल सके?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जिस जिले से कमी की सूचना आती है। वहां तत्काल व्यवस्था कर दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कह कर उस कमी को पूरा करवा देते हैं। किसी जिले से इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली, इसलिये इस तरह की व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि अब भी प्रदेश में डिजल आयल और मिट्टी का तेल नियन्त्रित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक रहा है, ऐसे डीलर्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जो अब भी डिजल आयल और मिट्टी का तेल महंगे दामों पर बेच रहे हैं?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मिट्टी के तेल का दाम भारत सरकार तय करती है। हमारा सम्बन्ध तो उससे केवल इतना है कि जिस जिले में मिट्टी का तेल जाता है उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को लिख देते हैं कि वह उसका दाम तय कर दें। यदि इस तरह की कोई स्पेसिफिक सूचना माननीय सदस्य देंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जिन जिलों से कमी की सूचना आती है वहां वे उसकी पूर्ति कर देते हैं, तो वे कृपया बतलायेंगे कि वे जिले कौन-कौन से हैं और क्या उनमें बुलन्दशहर जिला भी है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

वैसे पूरे जिले की लिस्ट तो मैंने देखी नहीं है। वह अभी मेरे सामने नहीं आ रहा है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में 50 जिले ऐसे हैं जहां से इस तरह की कमी की सूचना आयी है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जी नहीं, 6, 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सूचना आयी है। 4 तो पहाड़ी जिले हैं और 2, 3 प्लेन के जिले हैं। लिस्ट इस समय हमारे सामने नहीं है। लेकिन इंडियन आयल कारपोरेशन को लिख दिया गया है उसकी ठीक व्यवस्था करने के लिये और अब हर जिले में मिट्टी के तेल की सप्लाई रेगुलराइज हो गयी है।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने जिलों से सूचना प्राप्त हुई है कि वहां डिजल आयल और मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मन्त्री जी रूहेलखंड डिवीजन के जिलों को बतायेंगे कि कितने जिले प्रभावित नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष—

उनके पास लिस्ट ही नहीं है, वह क्या बतायेंगे।

श्री सुरेन्द्र, विक्रम—

उनके पास सूचना है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

शायद उनके जिले की हो।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, अभी मन्त्री जी ने कहा कि मेरे इकबाल से डीजल इंजिन चल रहे हैं तो मेरे इकबाल से तो वे सरकार में बैठे हुए हैं।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री बलवीर सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरठ में जो अभाव है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह

अवश्य ।

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मन्त्री जी को कतई जानकारी नहीं है । मिट्टी का तेल सवा रुपये तथा डेढ़ रुपये लीटर बिक रहा है और नहीं मिल रहा है तो क्या वें इसकी जांच करायेंगे?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यदि माननीय सदस्य जिले विशेष के नाम बता देंगे तो उससे मुझे सहायता मिलेगी । वैसे सब जिलों में दाम एक से नहीं हैं ।

जिला रामपुर में लेवी चीनी के कोटे की मांग

*3—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस माह दिसम्बर में भारतीय खाद्य निगम को कितने जिलों की लेवी चीनी का होल सेल कोटा दिया गया है? रामपुर जिले में अभी तक यह कोटा क्यों नहीं उठाया गया ? क्या इस माह का लेवी चीनी का कोटा रामपुर में भी लेवी चीनी के थोक विक्रेताओं द्वारा ही उठवाने की व्यवस्था करेंगे?

हरिजन कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील बलरामपुर, तरबगंज, उतरौला, तथा गोंडा में चीनी की दुकानों का आवंटन

†*4—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूतपूर्व जिलाधिकारी गोन्डा ने सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक गांवों में सरकारी सस्ते चीनी की दूकान खोले जाने के आदेश दिये थे जिसके अनुसार बलरामपुर, तरबगंज, उतरौला तथा गोन्डा तहसीलों में जनता से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो चारों तहसीलों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

भूतपूर्व जिलाधिकारी, गोंडा ने ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी वितरण हेतु 'सब रिटेलर' नियुक्त करने के आदेश दिये और तहसीलदारों को ग्राम सभावार दुकानदारों के नाम जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में भेजने हेतु निर्देशित किया । किसी से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये थे किन्तु तरबगंज तहसील के 51 व्यक्तियों ने नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र दिये । 27 दिसम्बर, 1972 को जिला अधिकारी, गोंडा की अध्यक्षता में हुई स्टाफ मीटिंग में 'सब रिटेलर' की नियुक्ति का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन्, शासन में स्पष्ट है कि न्याय पंचायत में एक दुकान खोली जाय तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिलाधिकारी ने जिले के हर गांव में दुकान खोलने की नीति कैसे बनाई ? क्या समिति ने यह निर्णय लिया या उसने मनमाने ढंग से निर्णय लिया ?

---

†कुछ अनुपूरक प्रश्नों के उपरान्त स्थगित ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, सुविधा देने के लिये जिलाधिकारी ने ऐसा सोचा। लेकिन सब रिटेलर्स के करने का प्राविधान नहीं था और राज्य शासन की नीति के अनुकूल नहीं था। इसलिये इसको रद्द कर दिया।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुए कि जिलाधिकारी का निर्णय सरकारी नीति के विपरीत था और उसकी इस प्रकार की विज्ञप्ति पर हर गांव सभा के लायेसेन्सदारों नें फीस वगैरा लगा कर दरख्वास्तें दीं तो इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा और क्या उनका पैसा लौटाया जायेगा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जिलाधिकारी ने विज्ञप्ति नहीं निकाली बल्कि तहसीलदार को लिस्ट बनाने का आर्डर दिया। अगर कोई इस तरह की दरख्वास्त दे आये तो उसके लिये क्या कहा जा सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय—

नाम तय करने की बात थी वह उन्होंने कर दिये लेकिन सही बात यह थी कि नाम चल गये और दरख्वास्तें चलीं, और 20 आने का टिकट लगा कर और तमाम खर्च कर के हजारों लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये, आप इसके लिये जिलाधीश के खिलाफ तो कार्यवाही करेंगे ही लेकिन जो इससे हजारों आदमियों ने परेशानी उठाई क्या आप उन का रुपया जो खर्च हुआ, वह वापस करने की कृपा करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

दरख्वास्तें कोई अनावश्यक रूप से स्वतः दे दे तो उसकी जिम्मेदारी शासन की नहीं है, लिस्ट तो तहसीलदार से मांगी गई थी और तहसीलदारों नें किसी से कोई दरख्वास्तें नहीं मांगी। अब अगर किसी ने टिकट लगा कर खर्चा कर के दरख्वास्तें दीं तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है, जिलाधिकारी की कोई नेगलीजेंस का सवाल नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

इन आदेशों के बाद पूरे जिले में 1000 लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, और यह कहना उनका गलत है कि कुल 50–51 दरख्वास्तें आई हैं। हर तहसील में 500–500 दरख्वास्तें डेढ़-डेढ़ रुपये का टिकट लगा कर दी गई हैं और खूब पैसा लोगों से लेखपालों और कानूनगो ने खाया है और 2 मास से डेढ़-डेढ़ सौ लोग रोज सप्लाई आफिसर के सामने दुकान के लिये आते हैं। उत्तर में केवल तरबगंज की दरख्वास्तों का बताया गया है लेकिन बलरामपुर, गोंडा, उतरौला सब जगह सकड़ों दरख्वास्तें दी गई हैं, जो रिपोर्ट दी गई है, वह बिलकुल गलत दी गई है। क्या मन्त्री जी इसकी जानकारी करेंगे कि पूरे जिले में कितनी दरख्वास्तें इसके लिय आई और जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अगर इस प्रश्न की इबारत को पढ़ा जाय तो मालूम होगा कि माननीय सदस्य का अधिक जोर तरबगंज के बारे में था और वहीं की संख्या वह चाह रहे थे। उनका कहना है कि सब तहसीलों में इस तरह की दरख्वास्तें मांगी गईं। उत्तर में मैंने साफ तौर से बता दिया है कि इस तरह की कोई दरख्वास्तें नहीं मांगी गई हैं। उन्होंने तहसीलदारों को जरूर नाम भेजने के लिये निर्देश दिये थे और वह एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स थे। लेकिन अगर किसी ने उसके तहत में दरख्वास्तें दी हैं तो तरबगंज तहसील के लोगों की संख्या मैंने बता दी है। अगर उसके बाद वह और तहसीलों के बारे में भी जानना चाहेंगे तो सूचना मंगा कर दे दी जायेगी।

श्री राम करन सिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश ने जो दरखवास्तें मांगी दुकानों के लिये और जो खाद्य सलाहकार समिति होती है, क्या उसकी बैठक की गई और उस परामर्शदात्री समिति से सलाह ली गई ? अगर नहीं, तो जिलाधीश ने कैसे यह निर्णय लिया ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि जिलाधीश ने कोई दरखवास्तें नहीं मांगी, तो इस का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब प्रश्न में चार तहसीलों के बारे में स्पष्ट पूछा गया था तो मन्त्री जी ने कैसे यह समझ लिया कि केवल तरबगंज के बारे में ही पूछा गया है ? दूसरे जब खाद्य परामर्शदात्री समिति है और उसके परामर्श पर ही दुकानों का बंटन किया जाता है तो क्या आप उनके परामर्श पर ऐसा करने का आदेश देंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

हमें इस पर कोई एतराज नहीं है खाद्य परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति पर अगर किया जाय ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चीनी की दुकानों के अलाटमेन्ट के बारे में अन्तिम आदेश क्या हैं? क्या वह एक न्याय पंचायत पर एक होगी या कार्य और जनता की सुविधा के अनुसार जिलाधीश को या परामर्शदात्री समिति को यह अधिकार है कि वह एक से अधिक भी कर सकते हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

आदेश ये हैं कि एक अदालत में कम से कम एक दुकान होगी लेकिन यह निवेदन जिलाधीशों से भी किया गया और माननीय सदस्यों से भी कि यदि दुकानें बढ़ाना आवश्यक हों तो बढ़ायी जायं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अगर दुकानदार का मार्जिन नहीं रहेगा तो वे ब्लेक करने के लिये विवश होंगे, इसलिये हम अपनी ओर से मजबूर न करें । वे अगर अपना ईमान बेचना चाहें तो दूसरी बात है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कितने मार्जिन तक के लिये आपने आदेश दिये हैं?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह मार्जिन हमने तय नहीं किया है । खाद्य सलाहकार समिति ही तय करती है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है कि खाद्य सलाहकार समिति इस पर कोई निर्णय दे दे ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

जिलाधीश ने तहसीलदारों से दुकान चाहने वालों की सूची मांगी तो क्या तहसीलदारों ने केवल सूची दी या उनकी दरख्वास्तें भी भेजीं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

दूकान चाहने वालों की नहीं, उपयुक्त व्यक्तियों की उन्होंने सूची मांगी थी । अगर किसी ने दरख्वास्त दी होगी तो जिला सप्लाई अधिकारी को दी होगी । उन्होंने तो सूची ही भेजी है ।

श्री जयराम वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या तहसीलदार ने उनकी दरख्वास्तें भी लीं जिनकी सूचना उन्होंने जिलाधीश के पास भेजी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मेरे उत्तर को माननीय सदस्य ने अन्यथा समझा। दुकान चाहने वालों की सूची नहीं मांगी। उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर था कि हर गांव में एक दुकान खोली जाय और उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सूची मांगी थी। तदनुसार उन्होंने उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की सूची भेजी।

श्री जयराम वर्मा—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनसे दरख्वास्तें ली गयीं या नहीं तहसील द्वारा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जी नहीं, उनसे नहीं ली गयीं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जिलाधीश ने हर तहसील को लिख कर भेजा तो प्रत्येक तहसीलदार से कितनी दरख्वास्तें आयीं ? इस सम्बन्ध में उन्होंने क्या लिखकर भेजा, कितनों ने एप्लाई किया या नहीं किया ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने आरम्भ में ही निवेदन किया कि उन्होंने तहसीलदारों के नामों की सूची भेजने के लिए कहा था। संभवतः कुछ इच्छा रखने वालों ने यह समझा कि उन्होंने नाम मांगा और बहुत से लोगों ने दरख्वास्तें दीं। इस प्रकार की दरख्वास्तें सप्लाई आफिस में भी दी जाती हैं, तहसीलदार तक ही नहीं। तरबगंज की सूचना आयी है। यदि आप चाहें तो औरों के बारे में भी बता दूंगा।

(श्री अनन्तराम जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर और उनके उपस्थित न होने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप माननीय त्रिवेणी सहाय का मूल प्रश्न पढ़ें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूतपूर्व जिलाधिकारी, गोंडा से सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक गांवों में सरकारी सस्ते चीनी की दुकान खोले जाने के आदेश किये थे जिसके अनुसार बलरामपुर, तरबगंज, उतरौला तथा गोंडा तहसीलों में जनता से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये हैं ? यदि हां, तो चारों तहसीलों में कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? अध्यक्षजी, मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है—हर उत्तर में उसमें तरबगंज ही लिखा है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अन्य तहसीलों के बारे में तहसीलदारों ने क्या लिखा है कलेक्टर को। यह रिपोर्ट सदन की मेज पर होनी चाहिये। मेरा प्रश्न यह है कि जब मूल प्रश्न में चारों तहसीलों का नाम दिया जाता है तो एक तहसील का ही उत्तर देना और बाकी तहसीलों के बारे में उत्तर न देना सरकार के लिये मुनासिब नहीं है और क्या आप इसके लिये मन्त्री जी को बाध्य करेंगे कि पूरे प्रश्न का उत्तर दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न प्रश्नकर्ता ने नहीं किया, आपने किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, एक कठिनाई यह जरूर है कि जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं आया। मन्त्री जी ने उत्तर दिया ही नहीं। इसलिये मैंने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया। आप इस प्रश्न के सम्बन्ध में मन्त्री जी से उत्तर दिलायें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी उत्तर दें। उसमें जिले भर के बारे में पूछा गया है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैंने अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया। तरबगंज तहसील की संख्या बता दी है। बाकी के बारे में अगर चाहेंगे तो मैं सूचना मंगा लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, इसमें "अगर" का सवाल कहां है। वह तो पहले ही मांगी गई थी। इस तरह के जवाबों को इस सदन में नहीं चलने दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस प्रश्न को पन्द्रह दिन के बाद फिर पेश करवा दूंगा।

राजकीय अनुमोदित विद्यालय, मुरादाबाद में बालकों की मृत्यु

*5—श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उसे पता है कि नव उम्र लड़कोंकी जेल, मुरादाबाद में पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण नवम्बर, दिसम्बर, 1972 में 2 लड़के मर गये और कई बीमार हैं ? यदि हां, तो सरकार नेक्या कार्यवाही की ?

समाज कल्याण, राज्य मंत्री (बेगम हमीदा हबीबुल्ला)—

संभवतः प्रश्न में उल्लिखित मुरादाबाद स्थित "नव उम्र लड़कोंकी जेल" से आशय समाज कल्याण विभाग के राजकीय अनुमोदित विद्यालय से है, जहां पर प्रश्नगत अवधि में तीन बालक संवासियों की मृत्यु हुई थी और कुछ बालक संवासी बीमार थे। उक्त मृत्यु एवं बीमारी का कारण पर्याप्त भोजन का अभाव नहीं है। उनकी मृत्यु एनीमिया और अथवा डायरिया के कारण हुई। बीमार बालक संवासियों की यथोचित चिकित्सा की जाती है।

[दिनांक 22 जनवरी, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जिला मिर्जापुर में सस्ते गल्ले के दुकानदारों के विरुद्ध जांच

*1—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के न्याय पंचायत रामगढ़, कोन, कचनरवा, ब्लाक चोपन के सस्ता गल्ला तथा चीनी के लाइसेंस के दूकानदारों के संबंध में प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र जुलाई, 1972 में दी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

जी नहीं।

परन्तु श्री सूबेदार प्रसाद का एक पत्र दिनांक 24 मई, 1972 जिसमें कोन के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार, श्री कैलाश नारायण शर्मा के विरुद्ध शिकायत की गई है, अवश्य प्राप्त

हुआ था। जांच के बाद चीनी से सम्बन्धित जमा की गई संपूर्ण जमानत धनराशि 50 रु० जब्त कर ली गई और उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी दे दी गई।

श्री सूबेदार प्रसाद—

मान्यवर, श्री शर्मा जो सस्ते गल्ले के दूकानदार थे जब इनको लाइसेंस दिया गया और जब इनकी दूकान कैंसिल की गई तब तक इनको कितना गल्ला और चीनी दी गई ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

श्री कैलाश नारायण शर्मा जिनको सस्ते गल्ले की दूकान दी गई और इसके लिए यह उत्तर दिया है कि उनकी 50 रु० की जमानत समाप्त कर दी गई, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस दुकानदार को जब लाइसेंस दिया गया और जब दुकान कैंसिल की गयी तब तक कितनी चीनी और गल्ला दिया गया ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जब से दुकान दी गयी और कैंसिल की गयी तो हर महीने का ब्यौरेवार विवरण देने के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

अगर प्रश्न को देखें तो उसमें जो पूछा गया है उसका यह उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर के न्याय पंचायत, रामगढ़, कोन, कचनरवा, ब्लाक चोपन के सस्ता गल्ला तथा चीनी के लाइसेंस के दूकानदारों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र जुलाई, 1972 में दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसका जवाब उन्होंने दिया है : जी नहीं। परन्तु श्री सूबेदार प्रसाद का एक पत्र दिनांक 24 मई, 1972 जिसमें कोन के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदार, श्री कैलाश नारायण शर्मा के विरुद्ध शिकायत की गयी है, अवश्य प्राप्त हुआ था। जांच के बाद चीनी से सम्बन्धित जमा की गयी संपूर्ण जमानत 50 रु० जब्त कर ली गई और उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी दे दी गयी। यह जवाब है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कैलाश नारायण शर्मा किस जिले के रहने वाले हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, सब की सकूनत और जिला तो एबरप्टली बताना मुश्किल है।

श्री सूबेदार प्रसाद—

वह दुकानदार हैं। आपके यहां से स्वीकृति मिली, उनकी सिक्योरिटी जमा थी तो मंत्री जी उनका पता जानते होंगे।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

क्या मसलहत है कि मंत्री जी उनका एड्रेस पढ़कर नहीं सुना रहे हैं या सुनाना नहीं चाहते ?

श्री यादवेंद्र सिंह--

श्रीमन्, मसलहत कुछ नहीं है । यह नहीं मालूम था कि आप उनकी वल्दियत और सकूनत पूछेंगे इसलिए उसकी जानकारी नहीं की थी । अगर आप चाहेंगे तो मालूम करके बतला देंगे ।

श्री रामबिलास पांडेय--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे नाम और वल्दियत की जानकारी न होने के कारण ही दुकानों में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं फैल रही हैं ? मंत्री जी को नाम और वल्दियत नहीं मालूम है । यह मखौल करते हैं । यह जानकारी न होने का कारण है कि भ्रष्टाचार फैल रहा है ।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, यह तो स्वयं प्रश्न का मखौल है । 13 हजार दूकान सूबे में हैं । सबकी वल्दियत और सकूनत कंठस्थ रखना मुश्किल है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

व्यवस्था का प्रश्न है । हम प्रश्नों के द्वारा ही कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं । आपने देखा होगा कि सरकार बार-बार इवेंजिव रिप्लाई देती है । खाद्य मंत्री जी के आज जो उत्तर हुए हैं तो उनको आगाह करें कि प्रश्न को पढ़कर जवाब दिया करें । जहां सरकार कार्नर होती है वहां उस सवाल को छोड़ देते हैं और इधर उधर की हांकते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

क्या कहें ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

सप्लीमेन्ट्री के लिये तैयार होकर आयें ।

श्री अध्यक्ष--

उत्तर तो मिल गये हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या आप उत्तरों से संतुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह जो शिकायती-पत्र है, इसकी कौन जांच कर रहा है और अब तक क्या परिणाम हुआ है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

शिकायती-पत्र की जांच हुई थी और 50 रुपये की धनराशि काट ली गई है और आगे के लिये तम्बीह कर दिया गया है ।

श्री त्रिलोक चन्द—

जो शिकायती-पत्र विधायक का मिला है उसे पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या इतने महत्व का है ?

श्री त्रिलोक चन्द—

पत्र में सभी बातें लिखी हैं इसलिए मुख्य-मुख्य बातें बतला दें ।

श्री अध्यक्ष—

आपको मालूम है तब भी पूछ रहे हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता था कि केवल सरकार का ईमान साफ करने के लिये प्रश्न का उत्तर दिया गया था, नहीं तो सरकार कह सकती थी कि जुलाई में कोई शिकायती-पत्र नहीं दिया गया । लेकिन क्षेत्र की जानकारी देने के लिए जवाब में कहा गया कि जुलाई में कोई शिकायती-पत्र नहीं मिला, फिर भी मैंने सप्लीमेन्ट्री में कहा कि 24-5-72 को श्री सूबेदार प्रसाद का पत्र मिला है । तो यह तो सरकार की नियत साफ थी और जो बात थी उसको बतला दिया ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें नाम लिखा हुआ है ?

श्री यादवेंद्रसिंह—

शिकायती-पत्र यहां नहीं है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्री सूबेदार प्रसाद ने प्रश्न किया था कि उस दुकानदार का नाम क्या है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह दुकानदार मिर्जापुर का न होकर किसी दूसरे जिले का है । उस दुकानदार का नाम बतलाने में आनाकानी कर रहे हैं । आप स्पष्ट उत्तर दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैं क्या कहूं, इसका तो उत्तर मिल गया है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

दुकानदार उसी न्याय पंचायत का आदमी होना चाहिये लेकिन इस आदेश की अवहेलना करके मंत्री महोदय ने सिफारिश के आधार पर दूसरे जिलों के आदमियों को बिठला दिया है । आप उसका नाम बतलवा दें ?

श्री अध्यक्ष—

यह पूछिये कि कौन आदमी था ?

श्री सूबेदार प्रसाद—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मिर्जापुर के दूद्धी और राबर्ट्सगंज में गल्ले की दुकान वाराणसी के दुकानदारों को दी गई हैं और उन्होंने कुछ भी गल्ला वहां नहीं दिया है ।

इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह दुकानदार किस-किस जिले से हैं और उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करेंगे ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी ।

इलाहाबाद में गल्ले के व्यापारियों की एक सूत्री कर सम्बन्धी मांगें

*2—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर के गल्ले व्यापारियों की 2 सितम्बर, 1972 से चलने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में किसी विधायक के नेतृत्व में कोई शिष्ट मण्डल उनसे उनके निवास स्थान पर दिनांक 7 सितम्बर, 1972 को मिला था ? यदि हां, तो गल्ले तथा तिलहन पर से बहुसूत्रीय बिक्री-कर तथा खरीद टैक्स समाप्त कर एक सूत्रीय कर लगाने के सम्बन्ध में शासन ने क्या निर्णय लिया, शिष्ट मण्डल की अन्य मांगें क्या थीं ?

वित्त उपमंत्री (डाक्टर सियाराम गंगवार)—

इलाहाबाद नगर के गल्ला व्यापारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य महोदय स्वयं ही मुख्य मत्री जी को मिले थे और एक ज्ञापन-पत्र दिया था । तिलहन पर इस समय भी एक सूत्री क्रय-कर की ही व्यवस्था है । खाद्यान्नों पर इस समय बहुसूत्रीय क्रय- कर की व्यवस्था है । खाद्यान्नों पर कर नीति के विषय में सरकार विचार कर रही है ।

उक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार गल्ला व्यापारियों की एक मांग यह है कि इलाहाबाद में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 लागू न किया जाय ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि एक क्विन्टल खाद्यान्न के ऊपर यह सरकार 12 से 14 रुपये तक प्रति क्विन्टल टैक्स लगाती है, जिससे न केवल इलाहाबाद बल्कि प्रदेश के व्यापारियों ने 2 और 3 सितम्बर को हड़ताल की, तो क्या राज्य सरकार यह जो बहुसूत्री कर खाद्यान्नों पर लगा हुआ है, उसको हटाने का निर्णय लेगी, जिससे खाद्यान्न सस्ता हो ?

डाक्टर सियाराम गंगवार—

जो बिक्री-कर लगा हुआ है, उस पर व्यापारियों की प्रार्थना थी कि इसको बहुसूत्री-कर में परिवर्तित कर दिया जाय ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था उठा रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जो इस सदन में विद्यमान हैं और यह गलत उत्तर हुआ है उनके उप मंत्री की तरफ से ।

श्री अध्यक्ष—

वह जवाब पढ़ा तो था कि एक-सूत्री के लिये कोशिश करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जैसा माननीय सहयोगी न कहा कि इस पर विचार हो रहा है कि क्या दुबारा कर लगाया जाय या एक-सूत्री हो ।

श्री रामगोपाल सण्ड—

सितम्बर में उन्होंने हड़ताल की और जनवरी, 72 में 130–135 रुपये क्विन्टल हो गया। क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि एक हफ्ते में निर्णय हो जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शीघ्रातिशीघ्र निर्णय ले लेंगे।

अधीक्षक, नैनी कारागार (इलाहाबाद) के विरुद्ध कार्यवाही

*3—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता ने 28 अगस्त, 1972 को मुख्य मंत्री को कोई ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने जिला इलाहाबाद के नैनी कारावास राजनैतिक बन्दियों एवं विधायक के साथ किये जाने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत की है ? यदि हां, तो सरकार ने नैनी कारावास के अधीक्षक के विरुद्ध अब तक कौन-सी कार्यवाही की ?

कारागार एवं आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

जी हां।

डा० जे० एस० हैकड़वाल, अधीक्षक, नैनी कारागार, को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

ग्राम पूरे बेलखरिया (सुल्तानपुर) में विद्युतीकरण

*4—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ माह सितम्बर 7, 1972 में ग्राम पूरे बेलखरिया, जिला सुल्तानपुर के निवासियों का, ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कब तक विद्युतीकरण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं हो सका है किन्तु जहां तक ग्राम पूरे बेलखरिया के विद्युतीकरण का संबंध है, ये कहना है कि उक्त ग्राम अभी तक किसी भी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं हो पाया है। अतः निकट भविष्य में इस ग्राम के विद्युतीकरण की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती है।

अलीगढ़ जिले के टाउन एरिया के चीनी विक्रेता, श्री विनोद चन्द्र शर्मा की दुकान

*5—श्री नेतराम सिंह—

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ जिले की टाउन एरिया के फुटकर चीनी विक्रेता, श्री विनोद चन्द्र शर्मा के प्रति विधिवत् चीनी वितरण न करने और राशन कार्डों पर पूरी चीनी न देने के अपराध में माह मई, 1972 में दुकान कैंसिल कर दी गई थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त विक्रेता को पुनः दुकान दी गई है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

नोट :—तारांकित प्रश्न 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर सीताराम---

कथित अवधि में श्री विनोद चन्द्र शर्मा की दुकान कैंसिल नहीं की गई थी, अतः पुनः दुकान देने का प्रश्न नहीं उठता।

*6—श्री नित्यानन्द स्वामी---

[17 वें बृहस्पतिवार में ता० प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद इलेक्ट्रीसिटी अन्डरटेकिंग में बिजली की दरें

*7—श्री जयराम वर्मा तथा श्री त्रिलोक चन्द---

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतलावेंगे कि फैजाबाद इलेक्ट्रीसिटी अन्डरटेकिंग, फैजाबाद उपभोक्ताओं से किस दर से बिजली चार्ज लेती है और किस दर पर सरकार से उसको बिजली मिलती है ? और क्या यह सही कि उक्त बिजली कम्पनी ने बिजली की दर पहली अप्रैल, सन् 1968 से बढ़ा दिया है जिसकी स्वीकृति सरकार ने उसे नहीं दी लेकिन तब भी बढ़ी हुई दर पर ही वह उपभोक्ताओं को बिजली दे रही है ? यदि हां, दो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

इस समय फैजाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग उपभोक्ताओं से जिस दर से बिजली का चार्ज लेती है तथा राज्य विद्युत् परिषद् से उसे जिस दर पर बिजली मिलती है उसकी सूची संलग्न है ।

अन्डरटेकिंग ने इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की छठी अनुसूची के पैरा 1 के तीसरे उपबंध के अन्तर्गत शासन को नोटिस देकर अपनी दरें 1-4-1968 से निर्धारित की थी। 1- 4-1972 से अन्डरटेकिंग ने उक्त ऐक्ट के अधीन शासन को नोटिस देकर पुनः अपनी दरें निर्धारित की हैं। वर्ष 1968-69 से 19/1-72 तक लाइसेंसी द्वारा कमाया गया लाभ इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की छठी अनुसूची में निर्धारित सीमा के अन्दर था। अतएव अन्डरटेकिंग के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ....872....पर)

ग्राम धूलकोट (देहरादून) का सिलाई, कढ़ाई का सेन्टर

*8--श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून जिले के ग्राम धूलकोट में जन जातियों की प्रयोजना के अन्तर्गत जो सिलाई, कढ़ाई का सेन्टर खुला था वह बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो वहां का फर्नीचर, सामान, सिलाई की एक दर्जन मशीनें कहां चली गई ? इसमें क्या कभी सिलाई सिखाई गयी ? यदि हां, तो प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं के नामों की सूची देने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां ।

प्रश्नगत केन्द्र ग्राम सभा धूलकोट के माध्यम से चालू किया गया था। केन्द्र में के बल 2 सिलाई की मशीनें थीं न कि बारह। उसके बन्द होने के उपरांत यह मशीनें एवं अन्य वस्तुएं तत्कालीन ग्राम प्रधान के पास सुरक्षित ह। उनका उपयोग अन्य विभागीय संस्थाओं म् किया जायेगा ।

जी हां। प्रशिक्षित महिलाओं की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 873 पर)

गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेकनिक लखनऊ की भर्ती में अनुसूचित जातियों का सुरक्षण

*9—श्री सियाराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोविन्द बल्लभ पन्त पालीटेकनिक, लखनऊ में 1971 के प्रथम वर्ष के डिप्लोमा कोर्स के कितने विद्यार्थी भर्ती हुए, उसमें कितने अनुसूचित जाति और कितने पिछड़े वर्ग तथा अन्य जातियों के विद्यार्थी भर्ती किये गये ? क्या यह सच है कि इस कोर्स में भर्ती होने के लिये 70 प्रतिशत अनुसूचित जाति के स्थान सुरक्षित हैं ?

डाक्टर सीताराम—

वर्ष 1971 में प्रश्नगत पालीटेकनिक के डिप्लोमा कोर्स (प्रथम वर्ष) में भर्ती किये गये विभिन्न वर्गों के छात्रों के बारे में वांछित आंकड़े निम्न प्रकार हैं:—

वर्ग		संख्या
(1)	अनुसूचित जाति	78
(2)	अन्य पिछड़ी जाति	24
(3)	शेष जाति	18
	योग—	120

जी हां।

जनपद मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया के बिजली विभाग में अनियमितताएं

*10—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी मंडल के विद्युत् विभाग के मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया जनपदों के बिजली विभाग द्वारा की गई भारी लूट खसोट की उच्चस्तरीय जांच वर्ष 1969–70 से हो रही है जिसके आधार पर मिर्जापुर के अधिशासी अभियंता, श्री सक्सेना निलम्बित हैं ? यदि हां, तो कब से और कब तक ? निलम्बन की कार्यवाही गाजीपुर तथा बलिया जनपदों में न करने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वाराणसी मंडल के मिर्जापुर खंड से संबंधित लेखा परीक्षण द्वारा उल्लेख की गई अनियमितताओं के फलस्वरूप राज्य विद्युत् परिषद् ने श्री जे0 एन0 सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 20 जुलाई, 1970 से निलंबित कर दिया और उनके विरुद्ध आनुशासनिक कार्यवाही की गई। जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो गई है, जो राज्य विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है।

वाराणसी मंडल के अन्तर्गत गाजीपुर व बलिया खण्डों की जांच हो रही है और जांच आख्या प्राप्त होने पर अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

*11—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसे अभियन्ताओं के साथ-साथ विद्युत् विभाग से संबंधित कुछ खास ठेकेदारों की भी जांच हो रही है जिन्होंने फर्जी नाम से फर्जी कम्पनी का टेण्डर फर्जी ढंग से देकर गत कई वर्षों से ठेका लेते रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे ठेकेदारों का क्या नाम है ? तथा अब तक जांच से जो पूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं, क्या सरकार उसको सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री जे0 एन0 सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता (निलंबित), के मामले में अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही किये जाने पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

थाना कैन्ट एवं कोतवाली (गोरखपुर) में सरकारी धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट

*12—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद गोरखपुर के हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी ने माह नवम्बर, 1971 से मार्च, 1972 के बीच भारतीय दण्ड विधान की धारा 409 व 420 के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के थाना कैन्ट एवं कोतवाली में सरकारी विभागीय धन लगभग 2 लाख रुपये के आज से लगभग 5 वर्ष से होते आ रहे दुरुपयोग के विषय में रिपोर्ट दर्ज कराया था ? यदि हां, तो इसमें किन-किन व्यक्तियों के नाम अंकित हैं और अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में तत्कालीन हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर, ने कुछ रिपोर्टें पुलिस में दर्ज कराई थीं किन्तु अधिकांश धन सम्बन्धी रिपोर्टों में धनराशियों का उल्लेख नहीं है, तथा अनुमानित धनराशियों का योग भी कुल मिलाकर लगभग दो लाख रुपये के नहीं आता है ।

जिन प्रश्नगत रिपोर्टों की सूचना प्राप्त हुई है उनमें निम्नलिखित व्यक्तियों का उल्लेख है:—

(1) श्री राम सूरत प्रसाद, एम0पी0 ।

(2) श्री एस0 बी0 शर्मा, प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक, एम0 आर0 डी0 इन्टर कालेज, फरेंदा ।

सम्बन्धित मामलों में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा उनका प्रतिशत

*13—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गई है और उनकी जन-संख्या 1971 में राज्य की कुल जन-संख्या की कितनी प्रतिशत है ?

डाक्टर सीताराम—

उत्तर प्रदेश में कुल 66 जातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गई है और उनकी जन-संख्या राज्य की कुल जन-संख्या की लगभग 20 प्रतिशत है ।

*14---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अन्य पिछड़े हुए वर्गों में अलग-अलग कितने हिन्दू तथा मुसलमान जातियां शामिल हैं और उनकी सूची अलग-अलग क्या है ?

डाक्टर सीताराम---

अन्य पिछड़े हुए वर्गों में 37 हिन्दू जातियां तथा 21 मुस्लिम जातियां सम्मिलित हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 874 पर)

सुल्तानपुर जिले में चीनी वितरण में अनियमिततायें

*15---श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)---

क्या खाद्य एवं पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले में 1 जनवरी, 1972 से 30 सितम्बर, 1972 तक चीनी वितरण में घोर अनियमितता पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाहियां की गईं ?

डाक्टर सीताराम---

1 जनवरी, 72 से 30 सितम्बर, 72 तक सुल्तानपुर जिले में मजिस्ट्रेट, खण्ड विकास, अधिकारी तथा सप्लाई स्टाफ के जांच में फुटकर चीनी विक्रेताओं की 101 दुकानों पर अनियमितायें पायी गईं जिनमें से 60 दुकानें निलम्बित कर दी गईं और 41 दुकानें निरस्त की गयीं। उपरोक्त दोषी दुकानदारों में से 13 के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गयी।

*16---श्री मोहम्मद असरार अहमद---

[9वें बृहस्पतिवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कानपुर में हरिजन समिति की बैठक का स्थगन

*17---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) तथा श्री रामकुमार दीक्षित---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिला हरिजन समिति की बैठक दिनांक 28 सितम्बर, 1972 को अपरान्ह 3 बजे, जिलाधिकारी के निवास स्थान पर बुलाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर विचार और निर्णय करना था और उक्त बैठक को उसी दिन अचानक 3 बजे स्थगित कर दिया गया ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में शासन की ओर से उक्त बैठक स्थगित करने का आदेश टेलीग्राम द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर को भेजा गया और आगामी बैठक बिना उनके आदेश के न बुलाये जाने का निर्देश दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

जी हां।

प्रश्नगत बैठक में हरिजन कल्याण सम्बन्धी अनुदानों तथा कक्षा 6 व 9 में नवीन छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के विषय में विचार होना था। उस समय प्रश्नगत समिति के उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्यों के नामन का प्रश्न शासन के विचाराधीन था, अतः उक्त बठक को स्थगित कराना उचित समझा गया था। उपयुक्त नामन किये जाने के उपरान्त तुरन्त समिति की बैठक आयोजित कराने के आदेश जारी कर दिये गये।

*18---चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री रामकुमार दीक्षित---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

लाला केदारनाथ मुरलीधर फर्म टूण्डला, (आगरा) की जायदाद की कुर्की

*19—श्री त्रिलोक चन्द—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाला केदारनाथ मुरलीधर फर्म टूंडला, जिला आगरा की जायदाद वर्ष 1967-68 में सेल टैक्स और इन्कम टैक्स की बकाया में कुर्क हुई थी ? यदि हां, तो उसकी नीलामी की कार्यवाही पूर्ण हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि हिस्सेदारों में एक आई० ए० एस० अधिकारी भी हैं जिसके कारण नीलाम की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, सर्वश्री लाला केदार नाथ मुरलीधर टूंडला, आगरा की जायदाद सेल्स टैक्स बकाया की धनराशि जमा न करने के कारण जिलाधीश द्वारा अटैच कर ली गई है। परन्तु नीलामी की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी क्योंकि इस सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। यह सही नहीं है कि हिस्सेदारों में एक आई० ए० एस० अधिकारी भी हैं जिसके कारण नीलाम की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मचारी संघ की मांगें

*20—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड कर्मचारी संघ ने कोई अपना प्रतिवेदन मांगों के सम्बन्ध में इस वर्ष मार्च, अप्रैल में दिया है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन मांगों से कौन-कौन सी मांगें सरकार ने स्वीकार करने का आश्वासन दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

जी हां। प्रश्नगत संघ से प्राप्त ज्ञापन-पत्र में मुख्यतः जिन सुविधाओं की मांग की गई हैं वे संलग्न सूची में दी हुई हैं। शासन द्वारा इन मांगों को स्वीकार करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। यह मामला अभी विचाराधीन है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 876 पर)

जनपद गोंडा में बकाया बिक्री-कर

*21—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में बिक्री-कर 1970-71 तथा 1971-72 का कितने लोगों पर बकाया है और बकाया धन की वसूली में विभाग ने कौन-सा तरीका व्यवहार में लाया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद गोंडा में वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 का क्रमशः 198 और 139 लोगों पर बिक्री-कर बकाया है। जहां तक बकाया धन की वसूली में विभाग द्वारा व्यवहार में लाये गये तरीके का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि कर निर्धारण आदेश के साथ व्यापारी को जो मांग-पत्र जारी किये जाते हैं उसमें आरोपित कर जमा करने के लिये 30 दिन का समय दिया जाता है। यदि इस अवधि में कर जमा नहीं होता तो उनके विरुद्ध वसूली के प्रमाण-पत्र जिला के कलेक्टरों को इस आशय से भेज दिये जाते हैं कि वह बिक्री-कर की वसूली भू-राजस्व के सदृष्य मान कर करें। यदि बकाया रकम निर्धारित समय के बीत जाने के 6 माह बाद तक जमा नहीं होती तो बकायादार को 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त धारा 15-ए(1) (सी) अन्तर्गत बाकीदारों पर अर्थदंड भी लगाया जाता है।

हरिजन एवं पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

*22—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज कल्याण बोर्ड के नाम से कोई संस्था प्रदेशीय स्तर पर गठित की गई है ? यदि हां, तो उसकी बैठक कितने दिनों से नहीं हुई है और न होने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। प्रादेशिक हरिजन एवं पिछड़ी जाति कल्याण बोर्ड का अन्तिम बार पुनर्गठन राजाज्ञा संख्या 1961/छब्बीस-772/62, दिनांक 13 अक्तूबर, 1971 के द्वारा किया गया था जिसकी कोई बैठक नहीं हुई है। बोर्ड के वर्तमान संघटन में कुछ परिवर्तन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रोबेशन अधिकारियों को पे-स्लिप की अप्राप्ति

*23—श्री चन्द्रभान शर्मा तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार को मालूम है कि प्रदेश भर के जिला प्रोबेशन अधिकारियों को जून, 1970 से पे-स्लिप नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार कब तक उन्हें पे-स्लिप दे देगी ?

बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

शासन की जानकारी में यह है कि कुछ प्रोबेशन अधिकारियों को पे-स्लिप नहीं मिली किन्तु वे ट्रेजरी नियम 27 के अन्तर्गत वेतन पाते रहे हैं।

प्रोबेशन अधिकारियों के अस्थायी पदों के कार्यकाल में वृद्धि स्वीकृत होने के उपरान्त उन्हें पे-स्लिप प्राप्त हो जायेगी।

कारागार विभाग में हाई स्कूल तथा इन्टर, जे० टी० सी० अध्यापकों का वेतन

*24—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारागार विभाग में कितने हाई स्कूल जे० टी० सी० और कितने इण्टर, जे० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं और उनको जे० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त का वेतन दिया जा रहा है या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कारागार विभाग में 20 हाई स्कूल 'जे० टी० सी० तथा 5 इन्टर जे० टी० सी० प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षाध्यापक स्थायी पद पर कार्य कर रहे हैं। उनको जे० टी० सी० का वेतन-क्रम नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जेल मैनुअल के पैराग्राफ 731 के अनुसार बन्दियों को लोअर प्राइमरी स्टैन्डर्ड तक की शिक्षा दिये जाने का प्राविधान है और जिसके लिये जेल मनुअल के पैराग्राफ 985 के अनुसार उर्दू, हिन्दी प्रशिक्षित शिक्षाध्यापक नियुक्ति करने की व्यवस्था है। इसीलिये कारागारों के शिक्षाध्यापकों का वेतन-क्रम एच० टी० सी० के समकक्ष रहा है और है। यदि कोई अधिक योग्यता वाला व्यक्ति कम योग्यता वाले पद पर नियुक्ति ग्रहण करता है तो उसे पद विशेष का निर्धारित वेतन-क्रम ही दिया जा सकता है जो शिक्षाध्यापकों को दिया जा रहा है।

*25—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*26—श्री रामकुमार दीक्षित—

[4थे बृहस्पतिवार के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

* 27—श्री राम कुमार दीक्षित—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम]सरौतिया और]अमोधपुर (एटा) में नलकूप हेतु बिजली

*28—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सरौतिया और अमोधपुर, विकास खंड अलीगंज, तहसील अलीगढ़, जिला एटा के श्री श्याम लाल आदि दस किसानों ने नलकूप के लिये बिजली प्राप्त करने हेतु विभाग से माह जुलाई, 1972 में एग्रीमेन्ट करके विभाग द्वारा निर्धारित धनराशि को जमा कर दिया किन्तु अभी तक उनके नलकूपों को बिजली क्यों नहीं दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत दस उपभोक्ताओं में से केवल आठ ही ने कलस्टर आधार पर सामान्य योजना के अन्तर्गत माह मार्च/अप्रैल, 1972 में निर्धारित धनराशि जमा करके अनुबन्ध किया और अगस्त, 72 में बी0 एन्ड एल0 फार्म जमा किया। इन्हें प्राथमिकतानुसार कनेक्शन देने की दिशा में कार्यवाही यथासमय की जायगी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आटा मिल को गेंहूं दिया जाना

*29—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि 24 सितम्बर, 1972 को भारतीय खाद्य निगम की कानपुर शाखा के प्रबन्धक ने स्थानीय चारों आटा मिलों को गेहूं देने से इनकार कर दिया था और यह बताया था कि गेहूं का पूरा स्टाक समाप्त हो चुका है? लेकिन इसी बीच एक आटा मिल को 22 सौ बोरा गेहूं दे दिया गया ? यदि हां, तो उस आटा मिल का नाम क्या है और इस मिल को यह गेहूं किस आधार पर दिया गया ?

डाक्टर सीताराम—

यह सही है कि 24–9–72 को भारतीय खाद्य निगम, लखनऊ ने यह आदेश भेजे कि उत्तर प्रदेश को रोलर फ्लोर मिलों को माह सितम्बर के लिये गेहूं की और सप्लाई न की जावे। उन्होंने यह आदेश भारत सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रसारित किये थे । तत्पश्चात् 25–9–72 को कानपुर में भारी वर्षा के फलस्वरूप कुछ गेहूं का स्टाक जो खुला हुआ पड़ा था क्षति ग्रस्त हो गया। इस क्षतिग्रस्त गेहूं को और क्षति से बचाने के लिये उन्हें तुरन्त मिलों को इशू करना पड़ा। चुनाव गजेज फ्लोर मिल को जो कि इस क्षति ग्रस्त गेहूं को लेने के लिये राजी थे को 2,203 बोरे गेहूं इशू किया गया। यदि यह गेहूं न इशू किया जाता तो और खराब हो जाता और राष्ट्रीय हानि होती। इस हानि को बचाने के लिये जारी किये गये आदेश में छूट देनी पड़ी।

विकास पिपरौली, बांसगांव, कौड़ीराम (गोरखपुर) में चीनी के दूकानदारों पर आरोप

*30—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने को कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत विकास खंड पिपरौली, विकास खंड बांसगांव-विकास खंड कौड़ीराम के अन्तर्गत कितने थोक एवं फुटकर चीनी

के दुकानदारों के विरुद्ध 1 फरवरी, 1972 से 5 नवम्बर, 1972 तक कितनी शिकायतें जनता की ओर से मंत्री एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुईं ? उक्त शिकायतों पर कौन सी कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सीताराम—

गोरखपुर जिले के विकास खंड पिपरौली, विकास खंड बांसगांव, विकास खंड कौड़ीराम के अन्तर्गत चीनी के दो थोक विक्रेता और नौ फुटकर विक्रेताओं के विरुद्ध कथित अवधि में 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये जिन पर जांच की गयी परन्तु उन पर किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गयी।

*31—श्रीमती मसाली देवी—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत तहसील सदर व तहसील बांसगांव में 1 फरवरी, 1972 से 5 अक्तूबर, 1972 तक कितने थोक एवं फुटकर दुकानों के लाइसेन्स कैंसिल हुये हैं ? पुनः कितने लाइसेन्स रेस्टोर हुये हैं ? दुकानदारों के नाम क्या हैं ? पुनः लाइसेन्स रेस्टोर करने का कारण क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

गोरखपुर जिले के अन्तर्गत तहसील सदर व तहसील बांस गांव में प्रश्नगत अवधि में किसी थोक तथा फुटकर दुकानदार का चीनी का लाइसेन्स कैंसिल नहीं हुआ।

जनपद आजमगढ़ में सस्ते गल्ले व चीनी की दूकानों का निलम्बन

*32—श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ में पहली जून, 1972 से लेकर 3 नवम्बर, 1972 के बीच में कितनी सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी की दुकानों को निलम्बित किया गया ? उन दुकानों को विरुद्ध क्या क्या शिकायतें थीं और उसमें से कितनी-कितनी दुकानों को पुनः चालू करने का आदेश जिलापूर्ति अधिकारी, आजमगढ़ ने दिया है ?

डाक्टर सीताराम—

जनपद आजमगढ़ में प्रश्नगत अवधि में 32 सरकारी सस्ते गल्ले व चीनी की दुकानें निलम्बित की गयीं। जिन शिकायतों पर दुकानें निलम्बित की गयीं वह सदन की मेंज †पर रखी सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गई ह।

निलम्बित दुकानों में से 11 दुकानें बहाल की गईं।

*33—श्री के0 एस0 मोहरिया—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

ठेकेदार जगदीश प्रसाद शुगन चन्द (मुजफ्फरनगर) पर बकाया सेल्स टैक्स

*34—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जगदीश प्रसाद शुगन चन्द, ठेकेदार, देशी शराब मुजफ्फरनगर पर सेल्स टक्स कब से कितना मतालबा शेष है ? वसूलयाबी के लिये सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सर्वश्री जगदीश प्रसाद शुगन चन्द, ठेकेदार देशी शराब, मुजफ्फरनगर पर वर्ष 1969–70 का 52,950 रु0 बिक्रीकर दिनांक 26–5–1970 से शेष है। वसूलयाबी के लिए वसूली के प्रमाण-पत्र जिला के कलेक्टर को प्रथम बार नियमानुसार दिनांक 14–8–1970 को इस आशय से भेजे गये कि बिक्रीकर की वसूली भू-राजस्व की बकाया के सदृश्य मानकर करें परन्तु उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17–11–70 द्वारा वसूली की कार्यवाही स्थगित करवा दी गई और वसूली प्रमाण-पत्र कलेक्टर द्वारा वापस कर दिये गये। स्थगन आदेश निरस्त हो जाने के पश्चात् 15–5–72 को पुनः वसूली के प्रमाण-पत्र जारी किये गये। तहसीलदार सदर द्वारा बाकीदार शुगन चन्द को 23–5–72 तक उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया किन्तु निर्धारित तिथि तक उपस्थित न होने पर 7–6–72 को बाकीदार के विरुद्ध वारंट गिरफ्तारी जारी करके हवालात में बन्द करने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् उसी तिथि की रात्रि को जिलाधिकारी द्वारा 15 दिन का समय और दिया गया और बाकीदार को मुक्त कर दिया गया। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार वसूली की कार्यवाही निर्णय तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी केस अनिर्णीत है।

ग्राम इन्होंना (रायबरेली) में शक्कर वितरण में गड़बड़ी

*35—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इन्होंना, जिला रायबरेली की जनता की ओर से शक्कर वितरण में गड़बड़ी की शिकायत दिनांक 12 सितम्बर, 1972 शासन को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। शिकायती पत्र में वर्णित आरोपों की जांच करायी गयी। जांच में पाई गयी अनियमितताओं के कारण सम्बन्धित चीनी बिक्रेता का कोटा निलम्बित कर दिया गया।

टिन्चर जिन्जर पीने से व्यक्तियों की मृत्यु

*36—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि सतपुली पौड़ी, गढ़वाल में टिन्चर जिंजर पीने से कई व्यक्तियों की हाल में मृत्यु हो गई तथा कई मरणासन्न स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं? यदि हां, तो मृतकों की तथा अस्पताल में भर्ती व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा मृतकों के नाम क्या हैं? क्या यह भी सही है कि शासन इसकी रोकथाम के लिये कदम उठाने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दो व्यक्ति सर्वश्री सच्चीदानन्द और शिवसिंह, सतपुली से 6 नवम्बर, 1972 को अस्पताल में भर्ती हुए थे जिनमें से श्री शिव सिंह की दिनांक 9 नवम्बर, 1972 को मृत्यु हो गई। मृत्यु के कारण की जांच हो रही है। टिंचर जिंजर के दुरुपयोग को रोकने के लिए शासन द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है :—

(1) औषधि विक्रेताओं द्वारा टिंचर जिंजर न बेचने के आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

(2) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर छापे मारने तथा दवाइयों के नमूने लेने के आदेश भी जारी किये गये हैं।

(3) टिंचर जिंजर तथा पेयरूप में दुरुपयोग होने वाली निर्मितियों पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी बढ़ाने की संस्तुति भारत सरकार से की गई है।

(4) इन निर्मितियों की फुटकर बिक्री केवल डाक्टरों के नुस्खों पर करने, टिंचरों की संख्या कम करने तथा उनमें अल्कोहल की मात्रा घटा कर 20 प्रतिशत करने की संस्तुति भी भारत सरकार से की गई है ।

(5) इन निर्मितियों के परिवहन, परिग्रह तथा बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में नियम बनाये जा रहे हैं ।

लखनऊ कारागार में अध्यापकों की योग्यता

*37—श्री शिव प्रसाद पांडिया—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कारागारों मे कार्य करने वाले शिक्षा अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों को जेल मैनुअल के पैरा 985 तथा 986 के अनुसार क्या-क्या योग्यता है और क्या लखनऊ स्थानीय कारागारों में नियुक्त शिक्षा तथा प्रधान अध्यापकों को ज्येष्ठता (सीनियारिटी) दी जावेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जेल मैनुअल के पैरा 985 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कारागारों में (जिसमें लखनऊ स्थित कारागारें भी शामिल हैं) कार्य करने वाले शिक्षाध्यापकों को उर्दू और हिन्दी प्रशिक्षित होना चाहिये ।

प्रधानाध्यापक की अलग से योग्यता निर्धारित नहीं है । केवल लखनऊ स्थित कारागारों में ही नियुक्त शिक्षा अध्यापकों को जयेष्ठता नहीं दी जाती है ।

ज्येष्ठता का आधार सबके लिये एक समान है ।

उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारियों की मांगें

*38—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1972 के आखिरी सप्ताह में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी की हड़ताल किन मांगों को लेकर हुई तथा उनमें से सरकार द्वारा कितनी मान ली गई तथा इस एक सप्ताह की हड़ताल से औद्योगिक संस्थानों, कृषि तथा बिजली बोर्ड को कितनी धनराशि की हानि हुई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अक्तूबर, 1972 के आखिरी सप्ताह में उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारियों द्वारा जो हड़ताल की गई थी उसकी नोटिस तथा मांगों की सूचना उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् को नहीं दी गई थी । हड़ताल 30 अक्तूबर, 1972 को बिना किसी शर्त वापिस ले ली गई थी अतः सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किये जान का कोई प्रश्न नहीं उठता । औद्योगिक संस्थानों, कृषि तथा विद्युत् परिषद् को इस हड़ताल के फलस्वरूप कितनी धनराशि की हानि हुई इसका अनुमान करना संभव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

विकास खंड जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में दीपावली व ईद में चीनी का वितरण

1—श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) श्री राम निहोर राय तथा श्री सिया राम—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में दीपावली व ईद के अवसर पर कितनी-कितनी चीनी विभिन्न कोटदारों को दी गई ? तथा उक्त कोटे में किस-किस दुकानदार न कितना-कितना वितरण किया ?

डाक्टर सीताराम---

सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ड'• आगे पृष्ठ 877 पर)

पिथौरागढ़ में कार्यान्वित विद्युत् प्रसार योजना

2---श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ में बावजूद आश्वासन के अस्वकोट, थल, कनालीद्दीना चन्डाक, झूलाघाट तथा मुनस्यारी स्थानों में विद्युत् प्रसार योजना के कार्यान्वयन न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में केवल डिफेन्स प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 60 कि0 मी0 11 हजार वोल्ट विद्युत पथ के निर्माण का प्राविधान है । इसके अन्तर्गत अस्वकोट, थल, चन्डाक, एवं झूलाघाट में विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है ।

कनालीद्दीना का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है । योजना की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है ।

मुनस्यारी तहसील एवं 53 राजी एवं भोटिया ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना निदेशक हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को वित्तीय सहायता हेतु भेज दिया गया है ।

3---श्री गोपाल दत्त ओझा---

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पिथौरागढ़ से विद्युत् का कांस्ट्रक्शन डिवीजन कार्य करने पर भी अल्मोड़ा हटाया गया है ? यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में कितना हरिजन बस्ती में बिजली की योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

विद्युत् का कोई भी डिवीजन अल्मोड़ा नहीं हटाया गया है । जहां तक हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रश्न है वर्ष 1972-73 में 15 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 13 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण सम्पन्न हो चुका है ।

लालबहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में हरिजन छात्रों को वितरित छात्रवृत्ति

4---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

प्रथम सत्र 1972 के छठे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 11-12 के उत्तर के तारतम्य में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 1972 तक स्वीकृत किये गये छात्रवृत्ति की धनराशि 16,582 रु0 में से कितने रुपये की छात्रवृत्ति कब किस विशेष छात्र के नाम स्वीकृत हुई और उस छात्र को कब मिली ?

डाक्टर सीताराम---

इस प्रश्न में उल्लिखित पूर्व प्रश्न संख्या 12 के सम्बन्ध में उस समय शासन को प्राप्त रिपोर्ट क आधार पर यह उत्तर दिया गया था कि "जनवरी से मार्च, 1972 तक छात्रवृत्ति के रूप में 16,582 रुपये दिये गये" । इस मामले में आगे जांच कराने पर यह सूचना प्राप्त हुई है कि जनवरी से मार्च, 1972 की अवधि में हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 12,390 रु0 तथा अनावर्तीय सहायता के रूप में 6,402 रु0 अर्थात् कुल 18,792 रु0 स्वीकृत हुआ था । इसमें से उक्त दोनों मदों पर 16,582 रु0 वर्ष 1971-72 में तथा 2,210 रु0 वर्ष 1972-73 में भुगतान किया जाना था । अतः उक्त 18792 रु0 की स्वीकृति भुगतान इत्यादि के सम्बन्ध में प्रश्न में वांछित सूचना संलग्न † सूची में दी हुई है ।

---

† छापी नहीं गई ।

विधान सभा के रिपोर्टरों द्वारा सामूहिक रूप से रिटायरमेन्ट लेने की प्रार्थना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, मुझे ऐसी सूचना मिली है कि इस सदन के रिपोर्टरों में से कुछ लोगों ने सामूहिक रूप से अवकाश ग्रहण करने का आवेदन-पत्र दिया है।

श्री अध्यक्ष—

काहे के बारे में?

श्री कल्पनाथ सिंह—

ये जो सदन के रिपोर्टर हैं, इनमें से कुछ ने अवकाश ग्रहण करने का आवेदन-पत्र दिया है और कुछ ने रिवर्जन सीक कर लिया है और दूसरे डिपार्टमेंट जाने की बात सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस मामले को सेक्रेटरी जांच कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एग्जामिन कर रहे हैं कि नहीं, यह आपका अधिकारक्षेत्र है लेकिन श्रीमन्, चिन्ता इसलिये हो रही है कि संविधान के अन्तर्गत उनकी सेवा नियमों के सम्बन्ध में अधिकार इस सदन के माननीय सदस्यों को ही है और उस अधिकार का प्रयोग अब तक नहीं हुआ, चाहे जिस किसी वजह से हो, तो मान्यवर, स्वाभाविक है कि इस सदन को उस सम्बन्ध में चिन्ता हो। हम इस मामले में आपकी निश्चित व्यवस्था चाहते हैं और जब तक कोई समुचित निर्णय न हो जाय, तब तक कोई रिपोर्टर इस सदन की सेवा से हटाया न जाय।

श्री अध्यक्ष—

नहीं हटाया जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नहीं हटाया जायगा तो उनकी सेवा-शर्तें क्या होंगी? उनकी मांगों पर विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वह हमारे विभाग के बारे में है। उसको हम देखेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, यह संवैधानिक प्रश्न है। संविधान की धारा 187 का जो सब-सेक्शन 2 है, उसको देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि:—

"The Legislature of a State may by-law regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Secretarial staff of the House or Houses of the Legislature of the State."

मान्यवर, इस माननीय सदन को सेवा-नियमों और नियुक्तियों के नियम बना कर रेगलेट करने का अधिकार है।

अब तक यह काम हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष---

कोई नियम आपने बनवाया।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कोई नहीं बनवाया ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

शुक्रवार को भी यह सवाल उठा था।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये कृपा करके। यह सदन के डिपार्टमेन्ट का सवाल है और इसके बारे में आप मेरे कमरे में बात कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इसी बात को चैलेन्ज करना पड़ता है। आज तक हमेशा कक्ष के अन्दर बुलाते रहे हैं, आज कक्ष के बाहर जरा सुन लीजिये। क्या संविधान की किताब को ताक पर रख दिया जाए ? अगर आप संविधान की अवहेलना करेंगे तो फिर हम न्याय किस से मांगेंगे ? आप संविधान की धारा 187 देखें। श्री कल्पनाथ सिंह जी ने भी कहा। श्रीमन्, जरा आप सुन लें, आप पहले ही निर्णय दे देते हैं। अभी गोविन्द सिंह नेगी जी भी बोलने वाले हैं। यहां हम अपना समय नष्ट करने नहीं आये हैं। श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि कक्ष के अन्दर हम वह बात कहें जो हम यहां न कह सकें। यह तो संविधान ने अधिकार प्रदत्त किया है और आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, यह संविधान सभा का राइट है यहां के कर्मचारियों की सेवा शर्तों और उनके रेक्रूटमेंट के नियमों के नियमन करने का। आप यह कह सकते हैं कि आपकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। उसमें, श्रीमन्, हमें कोई एतराज नहीं है। उसको कोई चैलेन्ज नहीं कर सकता। 9 रिपोर्टर रिटायर होने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी ओर से प्रार्थना-पत्र दिये हैं। उनके अन्दर हार्ट बर्निंग है क्योंकि वे समिति अधिकारी और सचिव के पद पर नहीं जा सकते हैं। इस हार्ट बर्निंग को रोकने के लिये मैं आपको सुझाव देता हूं। हो सकता है विचार करने में आपको समय लगे 10, 15 या 20 दिन का, मगर आपके सामने जो बात है उस पर ठंडे दिमाग से विचार कर लें और तब तक आप कोई निर्णय न लें और न ही कोई पदोन्नति करें। इस सदन में इस मसले पर पूरा विचार हो जाये। आपके विवेक को हमें सन्तुष्ट करना है। जब आप सन्तुष्ट हो जायें तभी आप निर्णय लें, यही मुझे कहना है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

एक मिनट हमें भी।

श्री रामगोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)---

केन्द्र में नियम 98 है। उसके अन्तर्गत राज्य सभा व लोअर हाउस के कर्मचारियों के नियम बना दिये हैं और उनको परमानेन्ट कर दिया है। केवल राज्य सभा और लोअर हाउस का नाम हटा कर विधान सभा तथा विधान परिषद् लिख दिया गया है। यहां के कर्मचारी 25 सालों से टेम्पोरेरी पड़े हुए हैं। मैं लोक लेखा समिति का भी सदस्य हूं। प्रदेश के कर्मचारियों के साथ तो आप न्याय करते हैं लेकिन अपने विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी की बात का समर्थन करते हुए मैं यह कह रहा हूं कि 9 रिपोर्टरों ने जिनकी 25 साल की सर्विस है त्याग-पत्र दे दिये हैं। कोई महंगाई के युग में त्याग-पत्र नहीं देगा। उन्होंने त्यागपत्र इसलिये दिये हैं क्योंकि उनके प्रोमोशन का कोई अवसर

[श्री राम गोपाल संड]

नहीं है । आप उन्हें समिति अधिकारी नहीं बनाते, आप उन्हें सचिव नहीं बनाते जबकि उनके जूनियर, जो सचिवालय के अन्दर हैं, उच्च पदों पर चले गये ।

आपके सामने केन्द्र का नियम 98 है और उसी से मिलता-जुलता नियम 187 है । एक-आध बार आपके कमरे में भी गया हूं । आपने कहा 2 बजे नहीं साढ़े चार बजे । कमरे में यह बात करने की नहीं है । यह गंभीर प्रश्न है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह बड़ी गंभीर समस्या हो गयी है कि 13 में से 9 रिपोर्टरों ने अपने आप यह आफर कर दिया है कि हमें रिटायर कर दिया जाय । 2 आदमी सोच रहे हैं कि हमें रिवर्ट कर दिया जाय । दो रिपोर्टर रह जायेंगे । इस तरह से आप देखें कि उनके साथ यह सेक्रेटेरियट बड़ा अन्याय कर रहा है । छोटे छोटे जूनियर किस्म के लोग अप्वाइंट कर दिये जाते हैं और उनके हितों पर आप गौर नहीं कर सके । यह गंभीर समस्या है, अभियन्ता जैसा मामला हो जायगा, इस लिये जल्दी निर्णय लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपको बताऊं आपने प्रश्न उठा दिया । एक .....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

एक मिनट सुन लीजिये । आप नियम 187(2) जरा देखें--

"The Legislature of a State may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House or Houses of the Legislature of the State."

तो यह गंभीरता की बात इसलिये है कि यह हाउस का प्रेरोगेटिव है, हाउस के कुछ अधिकार हैं जो संविधान के अन्दर डिफाइन किये गये हैं कि जो असेम्बली का सेक्रेटेरियट होगा उसके कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस यह सदन बाई ला रेगुलेट करेगा । तो हमारा कहना यह है कि चूंकि ऐसा ला अब तक बना नहीं है इसलिये जो उनकी सर्विस कंडीशंस हैं वह डिफाइंड नहीं हैं और जैसी कि स्थिति आपके सामने आयी कि 13 में से 9 रिपोर्टर जाने के लिये तैयार हैं, एक रिवर्शन के लिए तैयार है, तो मेरा निवेदन है कि यह कानून आप बनायेंगे । इस सदन को आप मौका दें कि ला बनाये जिससे आपके सचिवालय की सर्विस कंडीशंस निर्णीत हो सकें ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

एक नयी बात और भी है कि 17 जगहें हैं रिपोर्टरों की, जिनमें सिर्फ 13 काम कर रहे हैं । 4 जगहें तो भरी ही नहीं गयी हैं । वजह क्या है ? इन जगहों पर कोई आना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहां की तनख्वाह भी कम, पदोन्नति नहीं होती इन लोगों की और इन लोगों में से, 13 में से 9 ने कहा कि हमारा प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कर दिया जाय और दो ने कहा कि हमें रिवर्ट कर दो । अब दो रिपोर्टर कैसे फरवरी का सेशन चला पायेंगे ? ये 4 जगहें क्यों खाली हैं, क्या वजह है कि सालों से खाली पड़ी हैं ? साफ है कि उन्हें हक नहीं मिलता आगे तरक्की का ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

19 तारीख को श्रीमन्, आप नहीं थे, तो डिप्टी स्पीकर साहब के सामने यह प्रश्न उठा था और उन्होंने कहा था कि हम अध्यक्ष महोदय को सदन की भावनाओं से अवगत करायेंगे और यह आश्वासन दिया था कि सभी दलों के नेताओं को बुला कर अध्यक्ष जी से उनके कमरे में सलाह करेंगे, लेकिन लगता है कि हाउस की भावनायें आप तक पहुंचाई नहीं गयीं, या पहुंचाई गयीं तो न जाने क्या वजह है ? दो बातें हैं--हम लोगों का यह कहना है कि सदन को अधिकार है कि अपने सेक्रेटरियट के बारे में सेवा नियमावली बनायें । तो अच्छा होगा कि तमाम सेक्रेट-

रियट के सम्बन्ध में और रिपोर्टरों के सम्बन्ध में पहले विचार-विमर्श होकर तब एक चीज तय हो जाय जिससे असंतोष समाप्त हो ।

श्री अध्यक्ष--

आप ऐसा न समझें कि हम चुप बैठें हैं, ऐसी बात नहीं है । वैसे एक पे कमेटी बैठी हुई है, उसके सामने यह प्रश्न गया है.....(व्यवधान) मैं खड़ा हो गया हूं, मेरी बात सुन लें । बहुत सी बातें हैं । 50 बातें कहते चले जायेंगे तो जवाब नहीं दे सकूंगा । नियमावली में दिया हुआ है कि "अध्यक्ष से प्रश्न व्यक्तिगत सूचना द्वारा किये जायेंगे । ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से अथवा अध्यक्ष के निजी कमरे में किया जा सकेगा ।"

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह प्रश्न अध्यक्ष जी से नहीं है । यह प्रश्न तो ऐसा है कि अनुच्छेद 187(2) के अन्तर्गत सदन स्वयं अपना निर्णय लेना चाहता है इस बात पर कि इस सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

जहां तक यह रिपोर्टर्स का सवाल है, रिपोर्टर्स के बारे में मैं 1962 से बराबर उनकी ठीक तरह से तनख्वाह मिले, इसके लिये प्रयत्न कर रहा हूं । अब की दफा भी जो पे कमेटी बैठी हुई है उनके नेता को.....

श्री कल्पनाथ सिंह--

इनका पब्लिक सर्विस कमीशन और पे कमीशन, सारा कमीशन तो सदन है । अब कमीशन जो बैठा हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--

सदन में कोई बिल लाया गया ? आपको अधिकार है कि बिल ले आयें ।

श्रीविश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

अगर सदन ने नियम नहीं बनाये तो गवर्नर साहब नियम बनायें । इसके माने हैं कि सरकार बनाकर देगी तब गवर्नर साहब बनायेंगे । संविधान सन् 50 में आ गया । आज 72 हो गया । 22 साल में भी नियम नहीं बने । सरकार को गवर्नर के मार्फत बनाकर रखना चाहिये था और वह लागू होना चाहिये था । आपके सेक्रेटेरियट के कर्मचारी कैसे नियुक्त होते हैं, उनको क्या तनख्वाह देते हैं, वे कैसे रिटायर होते हैं, यह सब किन नियमों के अनुसार हो रहा है ? 22 साल से सरकार ने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया ? इस सम्बन्ध में व्यवस्था आप दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

पे कमीशन में यह भी सवाल है कि रिपोर्टर्स की तनख्वाह क्या हो ।

श्री विश्वनाथ कपूर--

पे कमीशन की बात नहीं है । उनकी नियुक्ति कैसे हो रही है, उनके प्रोमोशन कैसे हो रहे हैं, उनको रिटायर कैसे करते हैं, यह सब बातें हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका कोई बिल तो आया नहीं अभी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इनके प्रति आपकी सहानुभूति नहीं है। यह हमारा कोई आरोप नहीं है। हमारा यह कहना है कि इस सदन के द्वारा इनकी सर्विस कंडीशन्स तय होनी चाहिये और उनको तय करने के लिये आपको रुचि लेनी है। आप कोई कदम उठायें, कोई बिल यहां पर लायें तो इनकी सर्विस कंडीशन्स तय हो जायं।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, हमारे सेक्रेटरी ने यह लिखा है:—

कृपया श्री भानु प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा, के पत्र पर अपने आदेश देखने का कष्ट करें।

माननीय उपाध्यक्ष को ज्ञात ही है कि संविधान के अनुच्छेद 187(2) के अन्तर्गत सदन के साचविक कर्मचारी वृन्द में भरती, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में अधि-नियम बनाये जाने का प्राविधान है और इस बारे में इस सचिवालय द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। अखिल भारतीय अधिष्ठाता सम्मेलन द्वारा स्वीकृत एक "माडल बिल" भी शासन को "स्टैट्यूट बुक" पर लाने के लिये भेजा जा चुका है और यह अनुरोध किया गया था कि इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही की जाय, किन्तु लगभग 4 वर्ष बीत जाने पर भी यह विधेयक अभी तक सदन के समक्ष नहीं आ सका है।

संविधान के अनुच्छेद 187(3) के अन्तर्गत इस सचिवालय के लिये नियमों के बनाये जाने का प्राविधान है। ये नियम माननीय अध्यक्ष की परामर्श से माननीय राज्यपाल द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। इस ओर भी इस सचिवालय द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है किन्तु अभी तक नियमों को कोई अन्तिम रूप देकर विज्ञापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में स्थिति यह है कि एक नियमावली लोक सेवा आयोग तथा नियुक्ति विभाग से स्वीकृत होकर शासन द्वारा इस सचिवालय को भेजी गई थी, जिस पर बदली हुई परिस्थितियों के कारण माननीय अध्यक्ष ने कुछ सुझाव दे कर तुरन्त शासन को इन आदेशों के अन्तर्गत वापस कर दिया था कि माननीय अध्यक्ष के सुझावों को उस नियमावली में समाविष्ट कर पुनः उनके पास देखने के लिये भेजी जाय। किन्तु वह नियमावली अभी तक शासन से प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मेरी सचिव विधायिका विभाग से बातें हुईं तो उन्होंने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर नए वेतन क्रमों को उक्त नियमावली में समाविष्ट कर शीघ्र ही माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री रामगोपाल संड—

यह आप भेज चुके हैं फिर भी 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह विधेयक सदन के समक्ष क्यों नहीं आया?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तब तो बड़ा आसान हो गया कि आप सरकार से पूछें कि कब बिल ला रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने बिल्कुल ठीक कहा। 187(3) का परिपालन सरकार ने नहीं किया। अब सदन आपकी सहायता इस बात के लिये चाहता है कि 187 (2) के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष—

आप एक नान-आफिशियल बिल लाइये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एक समिति आप मुकर्रर कर दीजिये जो बिल बना कर पेश कर दे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

187(3) के अन्दर तो नियमावली आ गयी और 187(2) में वह बिल आता है जिसमें इनकी सर्विस कडीशन्स होंगी। हम सवाल तो आप के माध्यम से ही पूछेंगे। 4 साल भेजे हुए हो गये और सरकार चुप है। अबइस मामले को और आगे टाला नहीं जा सकता।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

सर्विस कन्डीशन्स तो आप बनायेंगे, इनकी नियुक्ति आदि के बा रे में तो आपको अधिकार है मगर इन रिपोर्टरों के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है.....

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, जिन 9 रिपोर्टरों ने आपको त्यागपत्र दे दिया है आप कहीं उसको स्वीकार न कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

कोई स्वीकार नहीं होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आपने फैसला क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—

आप एक नान आफिशियल बिल ला सकते हैं इसके लिये, मैं उसको पास कराने का प्रयत्न करूंगा, मैं यही कर सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकार को इसमें क्या आपत्ति है कि वह एक बिल स्वयं लाये।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नारायण दत्त तिवारी) माननीय वित्त मन्त्री, क्या आप इसके लिये तैयार हैं कि आप स्वयं एक बिल इस सम्बन्ध में लायें?

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपसे परामर्श कर लूगा और जैसी आपकी आज्ञा होगी उसका पालन किया जायगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, आपके कार्यालय में आपके द्वारा कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिससे कर्मचारियों में आपस में बड़ा असंतोष पैदा हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि आपके 9 रिपोर्टरों ने रिटायर होने के लिये आपको लिखकर दे दिया है। एक सुशीलकुमार अग्रवाल हैं जो इनसे काफी कनिष्ठ हैं उनको आपने निजी सचिव बना दिया है और इन 9 रिपोर्टरों को जो उनसे कहीं अधिक योग्य और ज्येष्ठ हैं उनके लिये कुछ नहीं किया है। इसी से उनमें घोर असंतोष है जिसके कारण उन्होंने रिटायरमेंट के लिये आपको लिखा। आप सोचिय

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

तो यह कितना गभीर मसला है । आखिर क्यों इन्होंने ऐसा किया इसके अतिरिक्त एक हीरालाल हैं जो श्यामकिशोर से काफी ज्येष्ठ हैं मगर श्याम किशोर कोआपने समितिअधिकारी बना दिया और हीरा लाल जो उनसे ज्येष्ठ हैं उनको नहीं बनाया। तो जब एक सीनियर आदमी के मुकाबले जूनियर आदमी को आप तरक्की देंगे तो असंतोष अवश्य फैलेगा।

श्री अध्यक्ष——

यह चीज आपको मेरे कक्ष में आकर डिसकस करनी थी। आप आकर मुझसे बात कर लें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी——

श्रीमन्, यहां भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि श्री हीरा लाल हरिजन हैं। वे यह समझते हैं चूंकि वे हरिजन हैं इसलिये आपने उनको तरक्की नहीं दी।

इधर 9 रिपोर्टर जो श्री सुशीलकुमार अग्रवाल से कहीं ज्यादा सीनियर हैं उनको आपने तरक्की दे दी.....

श्री अध्यक्ष——

यह गलत है, अभी कोई तरक्की सुशील कुमार को नहीं दी है।

श्री रामगोपाल संड——

श्रीमन्, जब तक आप पूरे मामले की जांच न कर लें और इन लोगों के लिये भी कुछ न कर लें, तब तक आप यह निर्णय ले लें कि किसी जूनियर आदमी की तरक्की नहीं करेंगे । श्री शम्भूनाथ जी ने जो बात कही बड़ी उचित कही है कि एक बाहर के आदमी को तोआपने तरक्की दे दी और जो पहले से यहां काम कर रहा है, अधिक योग्य है, सीनियर है, उसको नहीं दी।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)——

श्रीमन्, रिपोर्टरों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है ....

श्री शम्भूनाथ चौधरी——

श्रीमन्, हो सकता है हमारी बात गलत हो, लेकिन हमारी जानकारी में यह आया है कि श्याम किशोर जो हीरालाल से कनिष्ठ हैं उनको आपने समिति अधिकारी बना दिया है। हीरालाल जी जो जाति के हरिजन हैं वह यह सोचते हैं कि चंकि वह हरिजन हैं इसलिये उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। दूसरे श्री सुशीलकुमार जो सभी रिपोर्टरों से जूनियर हैं उनको तरक्की दी जा रही है, उनको निजी सचिव बना दिया गया है। इसके कारण इन सारे रिपोर्टरों में असंतोष हो गया जिसके कारण उन्होंने रिटायरमेन्ट के लिये लिख कर दे दिया। कनिष्ठ आदमियों को आप तरक्की दे देते हैं, यह कितना गलत हो रहा है। कोई क्या हममें अवगुण है जो हमारा नहीं हो रहा है। यही सारी बातें कर्मचारियों और इन 9 रिपोर्टरों में असंतोष का बड़ा कारण है।

श्री अध्यक्ष——

इस तरह नहीं, यह प्रश्न आपको मेरे कमरे में करना चाहिये था, तो मैं फाइल लें वगैरह देखकर बता दूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

हमने जो संविधान के अनुच्छेदों का हवाला देक यहां प्रश्न उठाया, उसपर आपने क्या तय किया ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा, आप एक बिल ले आयें, मैं उसे पास कराने की कोशिश करूंगा ।

बिजली अभियंताओं की हड़ताल के संबंध में जानकारी

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

अभी इस सम्बन्ध में परसों बिजली कर्मचारियों के बारे में हड़ताल के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी और सदन की तरफ से एक कमेटी नियुक्त की गई थी, क्योंकि आपसे निवेदन किया गया था कि आप इसमें अपनी तरफ से पहल करें, ताकि सदन की भावना आप मन्त्री जी तक पहुंचा दें। उसके बाद पता चला है कि दिल्ली में कोई दोनों पक्षों में केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री से बातचीत हुई है और मुख्य मन्त्री जी से भी उनका कोई डेपुटेशन मिला है और उसमें हल निकल आया है या निकलने वाला है। तो मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें इस समय क्या स्थिति है, इसके बारे में वह कोई प्रकाश डालें।

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं। विशेषाधिकार का प्रश्न आपने उपस्थित किया है, उसको मैं देखूंगा।

सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के प्रश्न पर विचारार्थ समय की मांग

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)---

मुझे यह मालूम हुआ है कि आज एक प्रश्न के जवाब में गवर्नमेन्ट की तरफ से यह कहा गया है कि थोक व्यापार की स्कीम वह तैयार कर रहे हैं, अर्थात् उसूलन उन्होंने इसे मान लिया है। अब कई दिन पहले मैंने आपके पास एक प्रस्ताव इस आशय से भेजा था कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में बहस हो जानी चाहिये। आपने उस पर कहा था कि बजट सेशन में इस पर बहस हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि यदि स्कीम पहले तैयार हो गई और तैयार भी होनी चाहिये और आपको इसके लिये ज्यादा से ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। अब जब स्कीम तैयार हो गई, तो उसके बाद इस पर बहस होगी, उस समय उनको हमारी कोई बात मंजूर भी हुई तो उन्हें उसको मानने में मुश्किल होगी। इसलिये यह बहुत ही सिग्नीफिकेन्ट और अरजेंशी का मामला है, अतः आप कल या परसों किसी वक्त इस पर बहस के लिये समय मुकर्रर कर दें। मुझको मालूम हुआ है कि 18–19 फरवरी से बजट का सेशन होने वाला है।

श्री अध्यक्ष---

मैं नहीं जानता था कि सरकार चाहती है या नहीं, इसी से मैंने कहा था कि आप को प्रश्न करना चाहिये था। अब सरकार ने कहा कि वह करना चाहती है और क्रमिक रूप से उसे करेगी, उसने इसके लिये एक कमेटी बना दी है, उसमें उनके भी प्रतिनिधि हैं, भारत सरकार में वह बनी है। इस पर आज असरार अहमद जी और आपकी पार्टी के दूसरे मेम्बरों ने सयाल पूछे थे, उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है– वह थोक व्यापार करेंगे। तो मैंने कहा और एलान किया था कि प्रश्न बन्द कर दिये जाय, मैं इसके ऊपर

[श्री अध्यक्ष]

एक चर्चा कराऊंगा अब केवल दो दिन इस हाउस के पोस्टपोन होने में रह गये हैं और उस में हर रोज काम बहुत है, तो इसके बाद जब हम बैठेंगे, तो उस समय पहला काम यह होगा।

श्री चरण सिंह--

मेरी पार्टी तो होलसोल इस थोक व्यापार के खिलाफ है और जैसा कि मुझे मालूम हुआ है तथा अखबारों में भी आया है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी उसको बहुत प्रेक्टिकल स्कीम नहीं समझते हैं। फिर भी पार्टी डिस्प्लिन में बंधकर सेन्ट्रल के निदेश पर वह करना चाहते हैं इसलिये विचार के पूर्व उस समय सदन में यहां बहस हो जाती तो अच्छा रहता, सभी मेम्बरों के विचार गवर्नमेन्ट के सामने आ जाते और वह अपनी पार्टी लीडरशिप में, उस लाइट में बात करने में समर्थ हो जाते । मैं और मेरी पार्टी उसूलन उसके खिलाफ है, उसूलन ही वह घातक है देश और प्रदेश के लिये । पालिटिकली, ऐडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशिली।

श्री अध्यक्ष--

इसके ऊपर इस सत्र के अन्दर कैसे बहस हो सकेगी? हर एक का टाइम बांध दिया है एकदम। पांच वक्तव्य हैं।

श्री चरण सिंह--

तो 25 तारीख को रख दीजिये क्योंकि बहुत महत्व की चीज है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मैं भी इस राय का हूं।

श्री अध्यक्ष--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री सहमत हैं कि 25 तारीख को सदन बढ़ाया जाय। 24 को खत्म होने वाला था।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

25 को बढ़ाना गलत है। 26 को जिले जिले में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। माननीय सदस्य भी जाना चाहते हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

25 को सदन नहीं होना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बड़ी मुश्किल है। जब कोई बोलता रहे तो माननीय कपूर जी जरूर बोल देंगे। 24 को ही कोई समय दे दें।

श्री अध्यक्ष--

तो कुछ प्रोग्राम काटना पड़ेगा। 51 वाले बहुत से हैं। उनको मैं काट दूंगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

कार्य मन्त्री समिति की मीटिंग बुला लें।

श्री अध्यक्ष--

आज शाम को बुला लेते हैं।

मेरठ में कोर्टों के बहिस्कार के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने इजाजत दी थी। मेरा कहना यह है कि 11 तारीख को इस सदन में एक प्रश्न आया था कि मेरठ के बार एसोशियेशन ने 100 साल में कोई ऐसा वाक्या नहीं हुआ, पश्चिमी जिलों में हाईकोर्ट की बेंच बनाने के सिलसिले में पूरी-पूरी कोर्ट का बहिष्कार किया। यह बड़ी सिगनीफिकेन्ट बात थी। इसके ऊपर इस सदन के अन्दर चर्चा हुई। उस प्रश्न पर आपने यह आज्ञा दी थी, मैंने और बलवीर सिंह जी ने उस सम्बन्ध नें नियम 51 के अन्तर्गत आधा घंटे की चर्चा के लिये दे दिया। हमने दे दिया था। पता नहीं चला उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

इसको अस्वीकार डिप्टी स्पीकर साहब ने कर दिया है। उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि क्या बात हुई।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

आपकी आज्ञा से दिया गया था सेक्रेटरी साहब को। उन्होंने कहा---हां।

श्री अध्यक्ष---

कुछ काम बांट दिये जाते हैं। इस काम को वह स्वीकार करते हैं। उनकी सूचना नहीं थी। मैं उनसे कह दूंगा।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

मैं नहीं समझ पाया। आपने स्वीकार किया या अस्वीकार।

श्री अध्यक्ष---

मैंने यहां पर वादा किया था लेकिन यह वादा उनके पास, डिप्टी स्पीकर के पास नहीं पहुंचा। वह प्रस्ताव आयेगा। बहुत से प्रस्ताव 51 के आये। उसको अस्वीकार कर दिया। इस लिये सदन ने डेट फिक्स नहीं की।

श्री बलवीर सिंह---

अब डेट फिक्स हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

डेट फिक्स करेंगे। पहले यह जो प्रश्न चरण सिंह जी का है यह प्रश्न 24 तक आ सकता है। कुछ हम घटायेंगे, बढ़ायेंगे, और कु छ सम्मिलित हो सकता है। देखेंगे सदन की जब अगले सत्र में मीटिंग होगी उस वक्त आ सकता है।

श्री बलवीर सिंह---

निवेदन यह है कि कई दफा यह हो चुका है। आप कह देते हैं कि स्वीकार है। अब आप यह आदेश कर दें कि अगली सिटिंग म यह आ जाय।

श्री अध्यक्ष---

जब 10, 20 प्रस्ताव आ जाते हैं तो हम क्या करें ? अगली सिटिंग में पह ले दिन में इसे देख लूंगा।

वेतन आयोग की रिपोर्ट के संबंध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

पिछली मर्तबा कई बार माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई और मुख्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि वह वेतन आयोग को इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकते कि वह अमुक तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे दें। पिछली दफा आपने 15 के बजाय इसकी रिपोर्ट की तिथि 20 कर दी लेकिन आज 22 हो गयी और 24 को सदन बन्द हो जायगा। जब सरकार कोई कमीशन नियुक्त करती है तो टर्म्स आफ रिफरेंस देती है, समय भी बांधती है कि इतने समय में वह रिपोर्ट दे दे। मुझे आशंका है कि कहीं प्रदेश का वेतन आयोग केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट का इन्तजार तो नहीं कर हा रहे? हो सकता है कि इसके दिमाग में यह बात हो कि वह केन्द्रीय वेतन आयोग से मिलती-जुलती रिपोर्ट दे दे। लेकिन यह हमारा इंडिपेंडेंट आयोग है। हमारी सरकार ने इसे नियुक्त किया है और सदन को इस बात का आश्वसन दिया जा चुका है। लेकिन पहले 15 तारीख को कहा गया था, फिर 20 के लिये कह दिया गया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

बलबीर सिंह जी ने जो सवाल उठाया था उसका उत्तर आपने अध्यक्ष महोदय, नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था अगली बैठक में पहले दिन इसको रख दूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

दो दिन बाद सदन बन्द हो रहा है, लाखों कर्मचारी वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। माननीय वित्त मंत्री कम से कम प्रकाश डाल दें कि यह रिपोर्ट कब आ रही है?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मेरी कल ही दिल्ली में वेतन आयोग के अध्यक्ष श्री अली जहीर से भेंट हुई थी। उन्होंने कहा कि चार-पांच सदस्यों के दस्तखत हो चुके हैं। एक, दो के नोट आफ डिसेंट आ चुके हैं। दो-तीन दस्तखत बाकी हैं। वह अपनी सुपुत्री के विवाह के संबंध में गये हुए थे। 26, 27 को विवाह है। उसके उपरान्त ही वह रिपोर्ट दे देंगे ऐसा उन्होंने मुझे बतलाया।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

नारायण दत्त जी ने कहा कि एक दो सदस्यों ने नोट आफ डिसेंट दिया है और दो एक के दस्तखत बाकी हैं। लेकिन क्या उन्होंने यह सूचना भी उनको दी कि कुछ सदस्यों ने दस्तखत करने से इंकार कर दिया है क्योंकि वेतन आयोग ने कुछ दिया ही नहीं है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य कदाचित इस बात का विश्वास नहीं करेंगे कि वेतन आयोग ने कुछ दिया ही नहीं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इस आयोग में जितने सदस्य हैं वे ट्रेजरी बेंचेज के हैं। वे कौन से विधायक हैं जिन्होंने दस्तखत ही नहीं किये जबकि वे भत्ता लेते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कुछ सदस्य जानबूझ कर दस्तखत नहीं करते जबकि वे इसी सदन के सदस्य हैं और उस पार्टी के सदस्य हैं जो सरकार म हैं। यह शायद इस बात की पशकस है कि दस्तखत तब होंगे जब चुनाव का समय पास आ जाय, तभी वह रिपोर्ट सदन के सामने आयगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बतला तो दिया था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

एक निश्चित समय बतलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

26, 27 उन्होंने बतलाई, मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं तो प्रकाश डाल दें ।

श्री राम गोपाल संड—

फरवरी में बजट सेशन आ जायगा, तब कहेंगे कि उस समय तक रिपोर्ट आयेगी ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

वेतन आयोग की रिपोर्ट के लिये जो माननीय सदस्य इतने उत्सुक हैं, मैं समझता हूं कि उस आयोग में हम लोगों के लिये वेतन की कोई सिफारिश आने वाली नहीं है । हम लोगों का कोई लाभ होने वाला नहीं है । बाकी वेतन आयोग के अध्यक्ष की नीयत पर यदि आक्षेप होता रहे तो उसका कोई इलाज नहीं है और न उससे कोई लाभ ही है । वेतन आयोग का कार्य अब करीब-करीब समाप्त हो चुका है ... (व्यवधान) मैं उनकी नीयत पर आक्षेप नहीं करता (किसी माननीय सदस्य के धीरे से कहने पर) गलत बात धीरे से ही कही जाती है । हमारे वतन आयोग के अध्यक्ष ने वित्त मंत्री जी से कह दिया है कि उनका अन्दाज है कि 26/27 जनवरी तक वे रिपोर्ट दे देंगे । एक आयोग बना हुआ है और ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है कि भारत सरकार के वेतन आयोग की रिपोर्ट आने पर ही वह यहां की रिपोर्ट देंगे । मैं समझता हूं कि इस महीने के आखीर तक जरूर ही मिल जायेगी ।

श्री राम बिलास पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, आयोग के अध्यक्ष ने न मालूम वित्त मंत्री जी से क्या कह दिया है । इसका पता नहीं चलता है । इसलिये हम माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि वे स्वयं वेतन आयोग के अध्यक्ष से बात करें और यह निश्चित कर लें कि कब तक वह रिपोर्ट दे देंगे । दो दिन इस सदन की बैठक और हो रही है उसके बाद हम फरवरी में बैठेंगे इसलिये वे उनसे स्वयं बात करके सदन को बता दें । यह बात समझ में नहीं आती है कि रिपोर्ट तैयार है और किन्हीं सदस्यों के दस्तखतों की वजह से रुकी हुई है । मैं जब देहात में जाता हूं तो लोग पूछते हैं कि रिपोर्ट कब आ रही है ?

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, जब मैं अपने यहां इलाहाबाद जाता हूं तो वहां तो 70 हजार कर्मचारी हैं, वे मुझसे पूछते हैं .....

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ के स्थित पत्रक और लाभ-हानि का लेखा वर्ष 1970–71 सहित आडिट रिपोर्ट†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य भन्डारागार निगम, लखनऊ के स्थित पत्रक और लाभ-हानि का लखा वर्ष 1970–71 सहित आडिट रिपोर्ट को दी, वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छाप नहीं गये ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इसमें आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी गयी है। वह तो खाली बैलेस शीट है। इसलिये इसमें से आडिट रिपोर्ट शब्द को निकाल दिया जाय। वह हम लोगों को नहीं मिली है। मान्यवर,आप देख लें। या तो आडिट रिपोर्ट को भी पटल पर रखवा दें...

श्री अध्यक्ष—

वह तो मेरे पास मौजूद है.....

श्री विश्वनाथ कपूर—

वह आडिट रिपोर्ट नहीं है, बैलेंस शीट है इसमें लिखा हुआ है। "संहित आडिट रिपोर्ट...

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

आप कर्मचारियों को स्थायी कर दें, आडिट रिपोर्ट भी लगा दी जायगी। क्योंकि वे टेम्पोरेरी हैं, इसलिये नहीं लगाई है।

श्री अध्यक्ष—

जो चीज मेरे पास आई है उसमें लिखा हुआ है कि सदन के नेता द्वारा मुझे आपसे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित उत्तर प्रदेश विधान सभा की दिनांक 19 जनवरी, 1973 की कार्यसूची में सम्मिलित किया जा रहा है उसमें सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, "लखनऊ के स्थित पत्रक और लाभ हानि का लखा वष 1970-71" सहित आडिट रिपोर्ट को दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अनुसार सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आडिट रिपोर्ट यह नहीं है यह तो लाभ-हानि पत्रक है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मंत्री जी इसे वापस लें और इसे फिर से यहां पर लायें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दें कि वे आडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। यह तो केवल वैलेंस शीट है।

श्री अध्यक्ष—

सहकारिता मंत्री जी इस संबंध में कुछ बतलायेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह ट्रांन्सलेशन की गलती मालूम होती है। यहां आडिटेड रिपोर्ट यानी लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन से मतलब है।

श्री अध्यक्ष—

इसमे सिर्फ इतना है—"उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम, लखनऊ के 'स्थित पत्रक और लाभ हानि का लेखा वर्ष 1970-71' सहित आडिट रिपोर्ट को दी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) के अनुसार सदन के पटल पर रखेंगे"।

श्री विश्वनाथ कपूर---

वह आडिट रिपोर्ट थोड़े हैं ? वह तो यह है कि इस संस्था की हम लोगों ने इस तारीख को आडिट कर दी है । आप कृपा करके इससे आडिट रिपोर्ट दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष---

इसके अलावा कोई आडिट रिपोर्ट है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

ट्रांन्सलेशन की गलती से ऐसा हो गया लगता है । बलेंस शीट की आडिटेड रिपोर्ट से मतलब है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यह तो उस चीज को छिपाना चाहते हैं जो आडिट के अन्दर गलतियां आयी होंगी । उनको यहां रखने से इनको क्या लाभ है ?

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि वे कहते हैं कि यहां लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन होना चाहिये, खैर, मैं इसकी इंक्वायरी करा लूंगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

तो इसमें यह नहीं आयेगा ।

बिजली अभियंताओं द्वारा हड़ताल समाप्ति की सूचना

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, अभी माननीय नेगी जी ने बिजली इंजीनियरों की हड़ताल के बारे में एक प्रश्न किया था । अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना था, इसलिये मैंने आपसे आज्ञा चाही कि उन्होंने जो पूछा है उसके संबंध में सदन को स्थिति बतला दूं । स्थिति यह है और प्रसन्नता की बात है कि बिना किसी शर्त के विद्युत् परिषद् के इंजीनियरों ने आज सुबह 9,साढ़े 9 बजे अपनी हड़ताल वापस ले ली । वे मेरे पास आये थे और मुझसे मिले थे। मेरी उनसे बातें हुईं और उन्होंने यह स्वीकार किया कि हम बिना किसी शर्त के हड़ताल वापस ले रहे हैं । मैंने उनसे कह दिया है कि हड़ताल वापस लेने के बाद जो भी आपकी समस्या हो हमारे सामने रखें, उन पर सरकार बराबर विचार करती रही है और करेगी । लिहाजा उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है ।

श्री अध्यक्ष---

बड़ी खुशी की बात है, आपको बधाई ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरप्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अधिकतम संपत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 878 पर)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि:—

(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972 जो विधान सभा द्वारा 11 जनवरी, 1973 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 19 जनवरी 1973 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

मैं यह भी सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1973 जो विधान सभा द्वारा 17 जनवरी, 1973 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के 19 जनवरी, 1973 को वापस प्राप्त हो गया है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष जी, हमने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था।

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरे पास आया था उसको मैंने अस्वीकार कर दिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

ऐसा है कि 19 तारीख को वाद विवाद हो रहा था तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने प्रस्ताव रखा था कि इसकी एक समिति बना दी जाय और विभिन्न दलों के नेताओं को बुलाया था। लेकिन दो कैबिनेट स्तर के मंत्री श्री उदितनारायण शर्मा और श्री महमूद अली खां ने हाथ हिलाकर बाय-काट किया। यह सदन सुप्रीम है, आप सुप्रीम हैं। आप यह कहते थे कि आज मुख्य मंत्री जी नहीं हैं इसलिये आज इस पर निर्णय न लिया जाय। लेकिन उन्होंने इसी सदन में घोषणा की कि हम नहीं जायेंगे। यह उत्तर प्रदेश विधान सभा का और आपका अपमान किया है। इसलिये उनको क्षमा याचना करनी चाहिये। यह निश्चित लोक महत्व का प्रश्न है और आपके पद की गरिमा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आज मुझ से और माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी से टेलीफून पर बात हुई थी। उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि यह आपका अपमान है। मैंने कहा कि सवाल यह है कि आपने उस समय क्या कहा था कि दोनों पार्टियों के लोग शामिल हों, उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये, यानी सरकारी पक्ष भी और विरोधी पक्ष भी, और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगी। आपने प्रस्ताव में यह बात कही थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसको सिद्धान्ततः मानता हूं। गुप्त जी ने कोई अध्यक्ष की दृष्टि से थोड़े ही कहा था। उन्होंने मुझ से एक सार्वजनकि नेता के रूप में कहा था तो ऐसी हालत में मेरा अपमान है यह कहना ठीक नहीं यद्यपि सरकारी पक्ष के उसमें शामिल होने से उन्होंने इंकार किया। मैंने कहा कि मैं नहीं समझा कि अपमान कैसे हुआ। मैंने यह कहा कि

आप आजाइयें क्योंकि मैं चाहता था कि कमरे में एक समिति बन जाय तो आपने जो ताना दिया कि जब वे नहीं कह रहे थे और आप उनको बुला रहे थे। मैंने उनकी आवाज सुनी नहीं। वह बात हुई थी कि उन्होंने माननीय चन्द्रभानुगुप्त जी को पहले बता दिया था कि मुख्य मंत्री जी से पूछा जाय कि ऐसी समिति बनाई जाय या नहीं। जवाब उनको दे दिया था कि वे राजी नहीं हैं और यह लिखित भेंज दिया था। मैंने भी सार्वजनिक नेता की हैसियत से बात कही थी अध्यक्ष की हैसियत से नहीं कही थी। सवाल यह आता है कि नेता यह देखगा कि आपका इरादा क्या है। आपने इरादा किया था कि विरोधी दल और सरकारी दल के लोग शामिल हो जायें तब तो मैं स्वीकार करता वरना स्वीकार नहीं करता। अध्यक्ष की हैसियत से कमेटी बनाने की बात मैंने नहीं कही थी। अगर कही होती तो यहां वोट लेता और सदन की राय लेता। लेकिन वह चीज ऐसी नहीं थी। मैंने कहा था कि अपने कमरे में यह लोग आजायं और कमेटी बनती हो तो बना लें। मैंने कहा कि आप लोग भी आ जायं। मैंने यह समझा कि ये लोग भी आने वाले हैं। गृह मंत्री और उप मंत्री खड़े हो गये थे, वह आना चाहते हैं बल्कि पांडेय जी ने मेरा मजाक उड़ाया था कि वे नहीं कह रहे थे और मैं उन्हे बुला रहा था।

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नेता सदन मैजोरिटी का लीडर होता है। सब का सदन के नेता से भी ज्यादा विश्वास अध्यक्ष में होता है क्योंकि वह पूरे सदन द्वारा चुने जाते हैं और नेता सदन महज एक पक्ष के ही लीडर होते हैं। यह सही है कि श्री महमूद अली खां, जिन को कि कभी सदन में सौभाग्य ही नहीं प्राप्त हुआ कि कभी उन्होंने एकबार भी 'अध्यक्ष महोदय' ही कहा हो। वही एक ऐसे मंत्री हैं इस सारे हिन्दुस्तान में कि जिन्होंने कभी यह भी कहा हो कि 'अध्यक्ष महोदय' वह इतने सौभाग्यशाली मंत्री हैं कि उन्हें कभी इतने शब्द भी नहीं कहने पड़े। वह बाहर निकल कर बड़े तैश में कहते हैं, मैंने तो उनसे कभी यह समझा ही नहीं था और आशा मुझे नहीं थी कि वह इतने तैश में कहेंगे कि हमें आप बोलने ही नहीं देते, आप इस तरह की बातों में शामिल हो सकते हैं अध्यक्ष के कहने से, हमको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन उस दिन माननीय उदित नारायणशर्मा जी बोले और अन्य लोग भी बोले और उन्होंने मुख्य मंत्री जी की बात कहकर अपनी इनएर्विलिटी जाहिर की, अगर चीफ मिनिस्टर होते तो दूसरी बात थी लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की लेकिन हमारे महमूद अली खां ने क्लीयर ब्रीच आफ ट्रस्ट कर दिया जब कहा कि बोलने का मौका ही नहीं दिया और हम ऐसी मीटिंग या कांफ्रेंस में नहीं जाते। आप उनको अगर बुलायें तो शांति पूर्वक हम आधा धंटे उनको सुनेंगे हम टोकेंगे भी नहीं, हम उनका भाषण सुनना चाहते हैं कि उनकी वाणी से क्या निकलता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन का समय काटना नहीं चाहता।

श्री बंशीधर पांडेय—

जिस आदमी के बोलने से सदन का समय काटने की परिभाषा आये उस के ऐसी बात कहने पर रिग्रेट करना चाहिये और अगर ऐसी बात कही है तो उन्हें खेद प्रकाश करना चाहिये।

सोशलिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री हुकुम सिंह परिहार ने लिखा है कि सदन में वह और तेजभान सिंह व हरिवंश सहाय सोशलिस्ट पार्टी के रूप में काम करेंगे। उनमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपनेता, एक कोषाध्यक्ष होंगे और एक सचेतक होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि सोशलिस्ट पार्टी फंक्शन कर रही है। मैंने सूचना यह दी है कि सोशलिस्ट पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को निर्वाचित कर दिया है। एक अध्यक्ष, एक सचेतक और एक कोषाध्यक्ष होंगे। जितने भी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य यहां हैं वे सब सोशलिस्ट पार्टी में है, अगर उन में से कोई बाहर जाना चाहत हैं तो उन्हें सूचना देनी पड़ेगी। यह पूरी पार्टी की तरफ से है जो फंक्शन कर रही है, हमने किसी को अलग नहीं किया है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, एक ऐसी बात माननीय हुकुम सिंह परिहार ने कह दी यहां जिसके बारे में स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितने भी यहां सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं सबके वह नेता हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह कहते हैं कि वह नेता हैं लेकिन यदि वह नेता होते तो जब यहां संविद की सरकार थी तो उस समय वह कांग्रेस के साथ वोट करते थे उन्हें कोई अधिकार यहां समाजवादी दल के नेता बनने का नहीं है (व्यवधान) वह इन्दिरा पार्टी के नेता हो सकते हैं लेकिन....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह दल की लड़ाई यहां करना ठीक नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री--

वह अलग हो जायं यह ठीक है लेकिन....

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)--

क्या कारण है वह कैसे वापस आ गये, वह तो चले गये थे पहले, यह उल्टी गाड़ी कैसे चलने लगी ?

रायबरेली जिले की तहसील डलमऊ के कृषि केन्द्र के सुपरवाइजर द्वारा गेहूं के बीज को काले बाजार में बेचने के संबंध में वक्तव्य

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

रायबरेली जिले की डलमऊ तहसील के गदागंज बीज भण्डार से गेंहूं के बीज की अनधिकृत बिक्री के संबंध में दिनांक 6-1-1973 को जिलाधिकारी, रायबरेली को शिकायत प्राप्त हुयी थी जिसकी जांच के मौखिक आदेश जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को दिये थे।

जिला कृषि अधिकारी ने मामले की जांच की। जांच के फलस्वरूप यह पता चला कि गदागंज बीज भंडार पर 59.16 कुन्तल एफ0 सी0 आई0 के गेहूं छोटे साधन हीन कृषकों को निःशुल्क बीज वितरण हेतु गया था। जिसमें से 4 कुन्तल बीज भंडार के इन्चार्ज ने बेचा था जो अनियमित था। जांच में सीड स्टोर इंचार्ज का कथन था कि कुछ किसान तोरिया का बीज लेना चाहते थे जिनके नकद मूल्य देने पर किसानों को बांटने की व्यवस्था थी। उक्त सीड स्टोर इंचार्ज ने किसानों के आग्रह पर 4 कुन्तल गेहूं का बीज 90 रुपया प्रति कुन्तल मूल्य पर विक्रय कर दिया तथा उतनी कीमत का तोरिया किसानों को दे दिया।

स्टोर के कामदार ने अनौपचारिक रूप से पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस ने कुछ जांच की किन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक पुलिस से कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। इस मामले में किसी कामदार को निलंबित नहीं किया गया है।

सीड स्टोर इंजार्ज ने अनधिकृत तरीके से गेहूं का बिक्रय किया, यह अनियमितता थी और इस प्रकार कार्य करने के कोई आदेश नहीं थे। इसके लिये उसे तत्काल निलंबित करने के आदेश दे दिये गये हैं। साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि कृषि निदेशालय मुख्यालय पर से संयुक्त निदेशक स्वयं मौके पर जाकर पूरी जांच करें और अविलम्ब रिपोर्ट दें। अनियमितताओ के लिये जिम्मेदार कर्मचारी को दण्ड दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या इसमें उच्चाधिकारी भी दोषी हैं क्या सरकार उनको भी दंड देगी ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय—

जो भी उच्चाधिकारी दोषी पाये जायेंगे, उनको भी दंडित किया जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गदागंज बीज भंडार पर 59.16 कुन्तल एफ0 सी0 आई0 के गेहूं छोटे साधनहीन कृषकों को निःशुल्क बीज वितरण हेतु गया था। जिसमें से 4 कुन्तल बीज भंडार के इंचार्ज ने बेचा था। जो अनियमित था जांच में सीड स्टोर का कहना था कि कुछ किसान तोरिया का बीज लेना चाहते थे जिसके नकद मूल्य देने पर किसानों को बांटने की व्यवस्था थी। उक्त सीड स्टोर इंचार्ज ने किसानों के ग्राहक पर 5 कुन्तल गेहूं का बीज 90 रुपया प्रति कुन्तल मूल्य पर बिक्रय कर दिया तथा उतनी कीमत का तोरिया किसानों को दे दिया।

तो मैं जानना चाहता हूं कि इंचार्ज को क्यों मोत्तल नहीं किया गया और उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वक्तव्य में दिया हुआ है कि इंचार्च को मोत्तल कर दिया है। मामले की जांच संयुक्त निदेशक द्वारा कराई जा रही है। इसमें क्या-क्या अनियमिततायें हुई हैं, उसके बारे में जांच हो रही है।

श्री निजामुद्दीन निवासी ग्राम बिजौरा, जिला सीतापुर की पुलिस द्वारा मारे पीटे जाने के फलस्वरूप उसकी मृत्यु होने की घटना के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

पुलिस रिकार्ड के अनुसार दिनांक 6-1-73 को 7 बजे प्रातः थाना खैराबाद के थानाध्यक्ष अपने अन्य कर्मचारियों के साथ बाद गश्त वापस आ रहे थे तो रास्ते में विसवां की सड़क पर तीन आदमी खराबाद

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

की ओर से सरैया सानी की ओर जाते दिखलाई दिये। पुलिस वालों को देखकर वे लोग एकाएक मार्ग छोड़कर दूसरी तरफ चलने लगे। इस पर थानाध्यक्ष को कुछ शंका हुई तो उन्होंने उन व्यक्तियों को टोका। इस पर वे लोग उत्तर की ओर भागे। पुलिस के पकड़ो पकड़ो के शोर करने पर दो व्यक्ति और आ गये जिनकी मदद से उन तीनों व्यक्तियों को आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ा गया। उनके नाम मिराजुद्दीन (निवासी बिजौरा) शहीद (निवासी अन्दापुर) व राम किशन (निवासी शंकरपुर) जिला सीतापुर ज्ञात हुए।

उनकी तलाशी उसी समय ली गयी। राम किशन के पास से एक देशी पिस्तौल तथा दो भरी हुई कारतस, मिराजुद्दीन के पास से तीन भरे हुए कारतूस तथा शहीद के पास से एक अदद

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

फर्सा बरामद किया गया। मौके पर ही बरामद शुदा माल की फर्द आदि लिखने के पश्चात् थानाध्यक्ष तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों को लेकर थाने आये। फर्द के आधार पर तीनों के विरुद्ध आर्म्स ऐक्ट, के अन्तर्गत मुकदमें कायम किये गये। पुलिस रिकार्ड के अनुसार इन लोगों को दौरान गिरफ्तारी चोटें आई थीं। तीनों अभियुक्तों को उसी दिन सायंकाल 8 बजकर 20 मिनट पर सीतापुर जेल में दाखिल किया गया। इसमें से अभियुक्त मिराजुद्दीन (निजामुद्दीन नहीं) की मृत्यु जेल में रात के 1 बजकर 10 मिनट पर हो गई।

मृतक मिराजुद्दीन का जेल में दाखिल करते समय डाक्टरी मुआइना तथा आवश्यक उपचार किया गया। उस समय उसकी हालत ठीक थी। मिराजुद्दीन की जेल में मृत्यु के संबंध में मजिस्टीरियल जांच हो रही है।

रामकिशन और शहीद जो मिराजुद्दीन के साथ गिरफ्तार हुए थे, के विरुद्ध चार्ज शीट न्यायालय भेज दी गई है और मामले न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री विश्वनाथ कपूर(जिला फैजाबाद)—

पुलिस ने पकड़ो-पकड़ो के बल प्रयोग के बाद बल प्रयोग में लाठी और डन्डों से मारा, उसका क्या तात्पय है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, बाहरी सहायता आ गई और पुलिस वालों ने उसमें घेरा, उसमें डंडे जरूर लगे होंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

बल प्रयोग से क्या तात्पर्य है, क्या इसको स्पष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जैसा कि कहा गया है कि मिराजुद्दीन की डाक्टरी की गई और उसका उपचार किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह बल प्रयोग किस तरह से किया गया, यह बता दें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पुलिस वालों के हाथ में लाठी और बंदूक दोनों होते हैं। लाठी से चोटें जरूर हुई। यह उसमें लिखी है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, शोर मचाने पर जो दो व्यक्ति आये जिनकी मदद से पकड़ा गया वे कौन थे। पिस्तौल और कारतूस बरामद किये गये हैं उनको किसकी उपस्थिति में दिखाया गया है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

मान्यवर, जो मदद में आये हैं उनका तो नाम यहां पर नहीं है। लेकिन जो उन्होंने फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट लिखी है उसका मैं पूरा विवरण दे दूं। उससे सम्भवतः आपकी शंका का समाधान हो जायेगा।

मैं एस0 ओ0 समर बहादुर सिंह, मैं एस0 आई0.....

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जिन आदमियों के सामने पिस्तौल और कारतूस बरामद किये हैं उनके नाम क्या हैं और जो मदद के लिये आये उनके नाम क्या हैं ? हमें तो इतना ही मालूम करना है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सवाल की मैं इजाजत नहीं देता । यह अदालत के विचाराधीन है । नाम तो होंगे ही । नाम की क्या जरूरत है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

मान्यवर यह भी संभव है कि जो आदमी मदद के लिये आये हों उन्हीं की मदद से पकड़ा हो और उन्हीं की गवाही कर दी हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसीलिये मैं कहता हूं कि इसकी इजाजत नहीं देता हूं । यह अदालत में जायेगा ।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

मान्यवर, नाम मालूम करना सब्जुडिस नहीं है । य तो ओपिन फैक्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल तो जायेगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जिनके सामने बरामद हुए हैं उनके नाम तो बता दें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इसमें इसकी सूचना नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मिराजुद्दीन की मृत्यु के संबंध में मैजिस्ट्रीयल जांच हो रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जो फैक्ट्स हैं उन पर तो प्रश्न कर ही सकते हैं ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । अभी उन्होंने कहा कि कारतूस और पिस्तौल बरामद हुई जिसकी कि मौके पर फर्द लिखी गयी । मान्यवर, उनके पास फर्द बरामद है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह केवल वक्तव्य के लिये है । तफसील के लिये नहीं ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

जब फर्द बरामदगी की बात कही तो उन्होंने कहा कि सूचना की आवश्यकता है तो उसकी क्या आवश्यकता है ? इसमें व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माल बरामद हुआ यह तो वह कहते हैं । लेकिन किसके सामने हुआ यह उनके पास नहीं है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

यह केवल वक्तव्य के लिये था इसलिये इसको पूरा पढ़ा नहीं ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

जैसा कि वक्तव्य में स्पष्ट है कि शोर गुल सुनने पर मौके पर पहुंच गये तो उनके नाम तो होने चाहिये थे ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पूरी रिपोर्ट तो दो पेज की है । जहां तक काज आफ डेथ है वह है ड्यू टु शाक ऐंड हेमरेज एज ए रिजल्ट आफ एंटीमार्टल इंजरीज ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह भी बतला दें कि वह हवालात में कब गया और किस समय पोस्ट मार्टम हुआ और जब डेथ हुई तो उसका कितना ड्युरेशन है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

6.20 पर सीतापुर जेल में दाखिल किया गया । 1.40 पर मर गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने यह पूछा था कि डाक्टर ने इंजरी की रिपोर्ट दी तो उन्होंने क्या लिखा कि कितनी पुरानी है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

पोस्टमार्टम में इंजरी का समय नहीं लिखा जाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

किस शाक और हेमरेज से मरा है, यह दिया जाता है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

He died in district jail at 1.40 A. M,

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

पुलिस ने बल प्रयोग किया तब मुल्जिमों को पकड़ सके, तो वह क्या बल प्रयोग किया और क्या पुलिस वालों के भी चोटें आई हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उत्तर दे चुके हैं, दूसरे का उत्तर नहीं दिया है कि पुलिस वालों के भी चोटें आईं या नहीं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पुलिस वालों की चोटों की कोई सूचना नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मेरा प्रश्न था कि जो मृतक है, उसके बदन पर कितनी चोटें आई हैं ? अन्य व्यक्तियों की मदद लेकर पकड़ा तो क्या उनके भी कोई चोटें आई हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

तफसील के सवाल आप पूछ रहे हैं । केवल वक्तव्य में यह नहीं होना चाहिये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह तो उनके पास मौजूद है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वह मैजिस्ट्रियल इन्क्वायरी में आ जावेगा । इसलिये वक्तव्य में कह दिया कि मैजीस्ट्रियल इन्क्वायरी हो रही है । मिराजुद्दीन की मृत्यु जेल में हुई और उसकी मैजीस्ट्रियल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

7 बजे प्रातः उसको पकड़ा और 6.20 बजे सायं उसको जेल भेजा, तो 12, 13 घंटे कहां रहा ?

श्री उपाध्यक्ष—

पुलिस हिरासत में रहा होगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

5 बजे के बाद जेल बन्द हो जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह न्यायालय नहीं है । यह तो वक्तव्य दे रहे हैं । यहां जिरह नहीं हो सकती है।

श्री जयराम वर्मा—

3 आदमी गिरफ्तार किये गये और एक की जेल में मृत्यु हो गई । दो के विरुद्ध चार्ज शीट भेज दी गई है । वह मामला विचाराधीन है और एक के बारे में मैजीस्ट्रियल इन्क्वायरी हो रही है, तीनों के बारे में नहीं होगी । तो दो के खिलाफ चार्ज शीट अदालत में क्यों गई है?

श्री उपाध्यक्ष—

मैजीस्ट्रियल इन्क्वायरी मिराजुद्दीन की जेल में मृत्यु होने के बारे में हो रही है।

श्री जयराम वर्मा—

मारपीट के बारे में जांच हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अलग प्रकरण है । मृत्यु के बारे में क्या परिस्थितियां थीं, इसके बारे में जांच हो रही है।

श्री जयराम वर्मा—

चोट के कारण मृत्यु हुई है, तो पुलिस वालों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की की गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पुलिस वालों के खिलाफ जब आरोप सिद्ध हो जावेंगे तो कार्यवाही होगी । इसकी जांच हो रही है ।

हापुड़, जिला मेरठ में ट्रक दुर्घटना में एक छात्र की मृत्यु हो जाने के कारण विद्यार्थियों में व्याप्त रोष और तनाव के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (गोस्वामी राधा कृष्ण)—

उपलब्ध सूचना के अनुसार दिनांक 5 जनवरी, 1973 को लगभग 12 बजे दिन एस0 एस0बी0 इंटर कालेज, हापुड़ मेरठ का एक छात्र श्री राम निवास ट्रक संख्या डी0 एल0 एल0 3810 द्वारा टक्कर होने से घायल हो गया । घायल छात्र को एक व्यक्ति द्वारा स्थानीय अस्पताल पहुचाया गया, जहां से उसे मेरठ अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया । वहां दिनांक 5/6 जनवरी, 1973 की रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई । उक्त ट्रक दुर्घटना की कोई सूचना थाने पर नहीं दी गई। दिनांक 6 जनवरी, 1973 को अस्पताल से मेमो प्राप्त होने पर तुरन्त जांच की गई जिससे पता चला कि उक्त छात्र की मृत्यु उक्त ट्रक दुघटना में हुई थी इस आधार पर धारा 279/304ए भा0दं0 वि0 के अन्तर्गत ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया । दिनांक 7 जनवरी, 1973 को अभियुक्त ड्राइवर को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया ।

2—दिनांक 6 जनवरी, 1973 को एस0एस0 बी0 इंटर कालेज के छात्रों ने उक्त छात्र की मृत्यु के संबंध में एक शोक सभा की ओर लगभग 12 बजे दिन मजमा बनाकर नारे बाजी करते हुए सड़क पर आने जाने वाले ट्रकों को रोककर कुछ ट्रकों के सीसे, लाइट आदि पत्थर फेंक कर तोड़े । इस संबंध में धारा 147/336/426/42/ भा0द0वि0 के अन्तर्गत 700–800 अज्ञात छात्रों के विरुद्ध मुकदमा अंकित किया गया । शहर में पुलिस गश्त का उचित प्रबन्ध कर दिया गया ।

3—दिनांक 8/1/1973 को लगभग साढ़े 12 बजे दिन में 3–4 हजार छात्रों ने एक जुलूस निकाला, उत्तेजित नारे लगाये और मंडी लूटने को भी कहा । परगनाधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने छात्रों को समझाने की कोशिश की तो छात्रों ने पुलिस पर पथराव प्रारम्भ कर दिया । चेतावनी देने पर भी छात्र-तितर-बितर नहीं हुए। तब केवल शक्ति प्रदर्शन से छात्रों को तितर-बितर किया गया और आठ छात्रो को मौके पर गिरफ्तार किया गया । कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया। पथराव से पुलिस के 19 अधिकारियों व कर्मचारियों को चोटें आई। किसी छात्र या अन्य व्यक्ति को चोट नहीं आई । इस घटना के संबंध में धारा 147/153/336/332 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत थाना हापुड़ में एक मुकदमा दर्ज किया गया । सभी गिरफ्तार छात्रों को थाने से उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

4—ट्रक ड्राइवर दिनांक 8 जनवरी, 1973 को जूडीशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत पर रिहा हुआ । संबंधित मुकदमों की विवेचना की जा रही है।

5—उक्त घटना के संबंध में पुलिस द्वारा किये गये हस्तक्षेप से तनाव की स्थिति पैदा नहीं हुई शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये हापुड़ के कालेज एक सप्ताह के लिये बन्द कर दिये गये थे । जिले के किसी अन्य स्थान पर कालेज बन्द नहीं किये गये और

और न ही कहीं अशांति और तनाव है। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से कोई असंतोष व्याप्त नहीं है। उक्त घटना को लेकर हापुड़ के बाहर कहीं भी कोई प्रदर्शन या सभा नहीं हुई। हापुड़ में स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। जनता का कार्य सामान्य रूप से चल रहा है और समस्त विद्यालय दिनांक 17 जनवरी, 1973 को खुल गये हैं तथा पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फर नगर)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह ट्रांसपोर्ट का अड्डा स्कूल और कालेज के बीच में है जिससे इस किस्म की दुर्घटना होती रहती है, यदि हां, तो मंत्री जी इस अड्डे को हटाने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, स्कूल के बीच में ट्रांसपोर्ट का अड्डा न हो, ऐसा कोई नियम तो है नहीं। कोशिश की जायेगी कि इस तरह की व्यवस्था की जाय।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मंत्री जी ने बताया कि जब भीड़ तितर-बितर नहीं हुयी तो शक्ति प्रदर्शन से हटाया गया। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शक्ति प्रदर्शन से क्या माने हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

बाई फोर्स से जो तात्पर्य होता है। बल प्रयोग।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा किस तारीख को दर्ज किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

किस तारीख को मुकदमा दायर किया गया, इसकी इग्जैक्ट सूचना तो नहीं है लेकिन 5 तारीख की यह घटना है और 7 तारीख को उसे गिरफ्तर किया गया।

चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर के टिकट न मिलने के कारण छात्रों द्वारा कमला टावर के सामने प्रदर्शन करने के फलस्वरूप कालेजों को बन्द करने के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

मान्यवर, यह सत्य नहीं है कि कानपुर के कालेजों को कमला टावर के सामने प्रदर्शन करने के फलस्वरूप बन्द किया गया है। वस्तु स्थिति इस प्रकार है: कानपुर में इंग्लैंड तथा भारत के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच 25 से 30 जनवरी, 1973 तक ग्रीन पार्क मोदी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिये टिकटों की बिक्री लगभग 1 माह पूर्व आयोजकों द्वारा आरम्भ की गई थी। ग्रीन पार्क स्टेडियम में लगभग 28,000 व्यक्तियों के बैठने के लिये स्थान है जिसमें से 12,500 स्थान छात्रों के लिये आरक्षित किये गये हैं, जैसा पूर्व टेस्ट मैचों में किया जाता रहा है। इन टिकटों को बेचने के लिये आयोजकों द्वारा प्रबंध

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

किया गया। चूंकि कानपुर में छात्रों की संख्या अब बहुत अधिक हो गई है इसको देखते हुए 12,500 स्थानों का आरक्षण पर्याप्त नहीं है। छात्र आरक्षित स्थानों को बढ़ाने के लिये बार-बार मांग कर रहे हैं परन्तु आयोजकों के लिये इसको स्वीकार करना इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि वे अन्य स्थानों के लिये टिकट बेंच चुके हैं। इस कारण छात्रों में असंतोष उत्पन्न हो गया है। टेस्ट मैच का आयोजन श्री पदमपति सिंहानियां तथा श्री एस0एम0 वशीर द्वारा किया जा रहा है। मैच के टिकटों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में 12 जनवरी, 1973 को छात्रों ने कमला टावर के सामने प्रदर्शन किया किन्तु पुलिस के आवश्यक प्रबंध के कारण किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और पुलिस ने स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखा। 16 जनवरी, 1973 को सायंकाल जिलाधिकारी, कानपुर की अध्यक्षता में समस्त स्थिति पर विचार करने के लिये एक बैठक हुई जिसमें समस्त डिग्री तथा इंटरमीडियेट कालेजों के प्रधानाचार्य भी उपस्थित थे। छात्रों के लिये क्रिकेट टेस्ट मैच के टिकट उपलब्ध न होने के कारण छात्रों में बढ़ते हुए तनाव की स्थिति को देखते हुए समस्त प्रधानाचार्यों ने अपनी शिक्षा संस्थाओं को 17 से 31 जनवरी, 1973 तक बन्द करने का निर्णय लिया। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति पर बराबर निगाह रखी जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मान्यवर, मैं एक और निवेदन कर दूं। मैं मौके पर भी गया था। प्रबन्धकों को भी बुलाया था और जिलाधिकारी को भी बुलाया था। मैं स्टेडियम भी गया था। मौके पर जो भी स्थान उपलब्ध हो सकता था वह लिया गया। वहां पर बार्बड वायर था। कुर्सियों को भी इधर-उधर खिसकाकर जगह बढ़ायी गई। 5000 सीट्स और बढ़ जाएंगी। स्टूडेंट्स गैलरी के टिकट 15 व 30 रु0 के हैं। इस सिलसिले में भी प्रयास किया गया और उसमें मुझे थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। लकड़ी की सपोर्ट देकर कुछ और सीटें बढ़ायी जा सकती हैं। उसके लिए भी विशेष प्रयत्न कर लिया है। 6000 सीट्स के लिये उन्होंने एग्री भी कर लिया है। यह भी कह दिया है कि जो भी सीट्स बढ़ें उनके टिकटों की विन्डोसेल हो। कानपुर के लिये 125 टेलिविजन सेट्स की भी व्यवस्था कर दी गयी है। हर इंस्टीट्यूशन का केवल 250 रु0 लगेगा। 6 दिन तक वे उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। यह भी स्वीकृति दे दी है कि वे इसका इंतजाम अपने गेम फण्ड से कर लें। 25 सेट्स पब्लिक प्लेसेज में लगा देंगे। अब कोई चिन्ता की बात नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटिवज व स्टूडेंट्स सभी ने स्वीकार कर लिया था कि अब आसानी से मैच हो जाएगा।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि पिछली मर्तबा कानपुर में जब मैच हुआ था तो 50,000 टिकट बिके थे तो फिर इस साल केवल 25,000 टिकट ही क्यों बिकेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय सदस्य को गलत सूचना है। पिछली बार भी 27 हजार कुछ रुपये के टिकट बिके थे, 50 हजार के टिकट नहीं बिके।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

यह भी गम्भीर आरोप था कि 4–5 लोगों ने ब्लैक मार्केट में टिकट बेचें, जो सूचना मांगी गयी थी, उसमें था और यह भी उनसे आग्रह किया गया था कि चूंकि ये विद्यालय, महाविद्यालय लगभग 3 हफ्ते के लिये 24–25 दिन के लिये बन्द कर दिये गये हैं तो छात्रों की परीक्षा में बड़ा नुकसान हो रहा है, तो क्या उन दो समस्याओं के बारे में भी विचार हुआ कि 25 दिनों तक विद्यालय बन्द रहेंगे और ब्लैक-मार्केटिंग टिकट में किया गया? उसके लिए भी कोई जांच की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

टेस्ट से एक दिन पहले से, 24 तारीख से, तो परम्परा रही है कालेज बन्द होने की। बीच में यह निश्चय हुआ था कि चूंकि सारे अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबन्धकों और प्रशासकों ने प्रेस किया कि इन परिस्थितियों में, बहुत से लड़के हैं, अगर छुट्टियां होती हैं तो वह अपने अपने घर चले जाते हैं लेकिन यदि यहां रहते हैं तो वह जरूर भीड़-भाड़ में जाने की कोशिश करते हैं अव्यवस्था हो जाने की संभावनाएं हैं। इस आशंका पर आवश्यक समझा गया कि स्कूलों को ब द कर दिया जाय ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी मैं कानपुर गया था कल और चौराहों पर मैंने स्वयं देखा कि कोई चन्दू बाबू है उसका नाम लेकर लोग गाली दे रहे थे कि हर स्कूलों के नाम से टिकट ब्लैक में बेचे जा रहे हैं और ठीक से उसका प्रबन्ध नहीं हो रहा है। मैं सूचना दिये देता हूं मंत्री जी कि संभवतः वहां मैच होने के दिन कहीं गोली न चल जाय, पथराव न हो जाय क्योंकि बड़ी दुर्व्यवस्था है। मैंने विधिवत् देखा है और डी० आई० जी० से भी बात की है टिकट के संबंध में। ब्लैक बड़े जोरों से हो रहा है। जिन लोगों को मिलने चाहिए उनको नहीं मिल रहे हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी पुनः जा करके इस दुर्व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करेंगे ? और यह चन्दू बाबू कौन है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सुझाव है ।

श्री बांकेलाल—

मैं निश्चयपूर्वक आप से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जब मैच प्रारम्भ होगा तो टिकट न मिलने की वजह से लोगों को जो असंतुष्टि है उसका विस्फोट होगा। बड़ी भारी संख्या में पी० ए० सी० और पुलिस का वहां जमघट है और विद्यार्थी और जनमत असंतुष्ट है इस व्यवस्था से। इसलिये पुन आग्रह करता हूं कि वहां पर जाकर क्या पूर्णरूप से व्यवस्था करने की कृपा करेंगे और टिकट की बिक्री संबंधी खराबियों को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत अच्छा है। करेंगे क्यों नहीं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय बांकेलाल की कृपा रही तो पूरी शांति से वह सब निपटारा हो जायगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारा सारा प्रयास है कि हम सतर्क रहें और यह एक ऐसी व्यवस्था है कि आज माननीय बांकेलाल जी को संतुष्ट होना चाहिए कि जिस टेस्ट मैच को देखने के लिये इतनी संख्या में कभी लोग जाते नहीं थे, इतना पैसा खर्च नहीं करते थे, आज रिक्शे वाले वहां बतला रहे हैं कि दुर्रानी खेल रहा है या नहीं। प्रयास हमारा यही है कि अधिक से अधिक लोगों को हम संतुष्ट कर सकें और टिकट उपलब्ध करा सकें। ब्लैक-मार्केट में केवल एक स्टूडेंट पकड़ा गया था जो कि स्टूडेंट कंसेशन के सम्बन्ध में ब्लैक का मामला था, और न कोई ऐसी पकड़ , न धकड़ और न किसी प्रबंधक को बेंचने के लिये दिया। विद्यार्थी स्कूलों में जा जाकर एजेंटों से बेंचते हैं उसमें प्रधानाचार्य और प्राक्टर सहायता करते हैं। चन्द लोगों को शिकायत है वह तो अपने ढंग से होती है। लेकिन ब्लैक की शिकायत आयी नहीं है ।

एक सदस्य—

विधायकों की कोई सीटें हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

कानपुर की दो समस्याएं हैं—एक तो छात्रों को टिकट नहीं मिल रहे हैं दूसरे जो स्कूल हैं उनको बन्द कर दिया गया है । इससे छात्रों में बड़ा असंतोष है । तो मैं पहले तो यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार की सलाह से यह स्कूल और कालिज बन्द किये गये हैं ? दूसरी बात यह कि क्या छात्रों को उनकी परीक्षाओं में नम्बरिंग आदि में क्या कोई सहूलियत आदि देने पर भी विचार करेगी क्योंकि स्कूलस बन्द होने से उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

स्थानीय व्यवस्था ठीक रखने के लिये प्रधानाचार्य आदि की राय से स्कूल बन्द हुए हैं ।

श्री मनोहर लाल—

वहां के अधिकारियों ने बन्द कराये हैं । कानपुर के छात्रों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है.....

श्री उपाध्यक्ष—

वे कहते हैं कि यहां से आदेश नहीं गये है, शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति देखकर कर ही वहां के लोगों ने किया है ।

श्री मनोहर लाल—

श्रीमन्, हर चीज का सोल्यूशन यह नहीं है कि स्कूलों को बन्द कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता आप कृपया बैठें ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मुझे कुछ समय अपनी बात कहने के लिये दे दें । मैंने कामरोको प्रस्ताव भी इस संबंध में दिया था । इसके पहले भी कानपुर में टेस्ट मैच हुए हैं और पिछली बार कानपुर के अलावा इलाहाबाद, लखनऊ आदि कई जिलों में टिकट बिका करते थे । तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि अब को कानपुर में ही टिकटों की बिक्री क्यों करायी गयी ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या वे इसकी भी जांच करायेंगे कि जे0 के0 वालों ने कपड़ा और लोहा के व्यापारियो के माध्यम से ही टिकट बिकवाये ? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या पुलिस ने इन डीलरों के लिये कोई रेड किया ? क्या क्रुद्ध भीड़ ने ब्लैक में टिकट बेंचने वालों पर आक्रमण किया जिसके फलस्वरूप काफी मारपीट हुई और कुछ लोगों को हास्पिटल पहुंचाया गया ? मान्यवर, जसा अभी माननीय बांकेलाल जी ने कहा वह ठीक ही कहा वह गलत नहीं है । स्कूल, कालिज, आदि बन्द होने से छात्रों को टिकट मिल भी नहीं सकेंगे । होस्टल से कुछ लड़के भले ही चले जायेंगे । वहां टिकटों की फ्री सेल हुई ही नहीं । तो क्या आप इसकी जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री गोस्वामा राधाकृष्ण—

शरू में केवल 28 हजार के लिये बैठने की जगह थी । देखने वालों की तादाद इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि दूसरी जगह टिकट बेंचने की व्यवस्था कराना संभव नहीं था ।

लेकिन मैंने यह व्यवस्था करा दी है कि जो आसपास के कालिजों की यूनियन आदि के पदाधिकारी वगैरह हैं उनके लिये टिकट देने की व्यवस्था हो जाय तथा उनके देने के बाद विन्डो-सेल की भी व्यवस्था हो जाय। 35 हजार से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है। ज्यादा लोग देखना भी चाहें तो देख नहीं पायेंगे। जहां तक 5, 15 और 30 रुपये के टिकटों का सवाल है वह तो विद्यार्थियों को स्कूलों में जाकर दिये गये।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ में टिकट बेंचने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी। कानपुर में टिकट बेंचे नहीं गये। कालेजों में प्रधानाचार्यों को टिकट देने की व्यवस्था नहीं हुई।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

प्रधानाचार्यों की देखरेख में कालेजों में टिकट दिये गये हैं। उनके एजेंटों ने जाकर टिकट बेंचे हैं। अब 35 हजार से ज्यादा टिकट बेंचे जाएं यह तो संभव है नहीं। पहले तो 28 हजार की बात थी। इस बार 5 हजार और बढ़ा दिये गये। 33 हजार हो गये। फिर 2 हजार और सीटें उपलब्ध हो जाने से 35 हजार टिकट दिये गये। अब जो सीटें बढ़ी हैं उनके लिये हम विन्डो सेल भी देंगे। लेकिन जगह की कमी है और देखने वालों की तादाद ज्यादा है। स्वाभाविक है कि किसी न किसी वर्ग में असन्तोष होगा। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि जिसने ब्लैक में टिकट खरीदें हों और जिससे खरीदे हों वह एक, आध रिपोर्ट भी कर दें। केवल यह कि जहां सामान बिक रहा है, लेने वालों की तादाद ज्यादा है और सामान की कमी है और भीड़ बेचने वाले को मार दे तो इसका मतलब थोड़े ही है कि वह ब्लैकमार्केट कर रहा है।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, स्थान की कमी को देखते हुए क्या यह सही है कि मैच के आयोजकों ने सरकार से यह आग्रह किया था कि सरकार वहां पर स्थान बढ़ाने का प्रबन्ध कर दे जिससे अधिक से अधिक टिकट दिये जा सकें और सरकार ने उनके आग्रह पर कोई ध्यान नहीं दिया? उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो पैसा सरकार का लगेगा उस बोर्ड वापस दे देगा और सरकार यह जानते हुए कि अशांति पैदा होगी, स्थान की कमी है उसमे ऐसा प्रबन्ध क्यों नहीं किया? क्या यह सही है कि इस तरह का आग्रह आयोजकों ने किया था?

दूसरे, माननीय मंत्री जी कानपुर गये जरूर, लेकिन उनको कानपुर में भी यह बताया गया कि टिकटों का ब्लैक हो रहा है। अब, यह डुग्गी हम लोग पीटें कानपुर शहर में कि जिनको ब्लैक से टिकट मिला है वह रिपोर्ट करें यह व्यावहारिक नहीं है। मंत्री जी यह व्यावहारिक बात नहीं कर रहे हैं कि जिसने ब्लैक में टिकट खरीदा है वह हमको बताये कि किस से खरीदा है। यह संभव नहीं है कि जिसने चोरबाजार में टिकट लिया है और जिससे लिया है वह आकर सूचना दे कि हमने यह गलत काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष---

तो कैसे पकड़ होगी?

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

सी० आई० डी० की जांच करा लें, इससे पकड़ होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या यह सही है कि मैच के आयोजकों ने सरकार से प्रार्थना की थी कि स्थान की कमी है, सरकार स्थान की कमी को दूर करने के लिये प्रबंध कर दे ?

श्री उपाध्यक्ष—

सरकार कैसे स्थान की पूर्ति कर देगी ?

श्री मोतीलाल देहलवी—

उन्होंने शेड बनाने के लिये क्या आग्रह किया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मनोहर लाल—

जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि पहले 28 हजार सीटों की व्यवस्था थी और अब 35 हजार की कर दी गई है और विन्डों-सेल भी होंगे, तो क्या मंत्री जी इस बात का निश्चित आश्वासन देगें कि इन 7 हजार बढ़ी हुई सीटों के टिकट विन्डों सेल पर ही दिये जायेंगे ? क्योंकि मेरी जानकारी में यह है कि अभीतक विन्डों सेल की कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण—

विन्डो सेल के मैं निश्चित आदेश कर आया हूं, निश्चित रूप से विन्डों सेल होगा ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मंत्री जी ने टिकटो की ब्लैक मार्केटिंग के बारे में जो टालू बात कही है उसमें मुझे बड़ी आपत्ति है । अगर वह जांच करवायें तो मैं एक नहीं हजारों आदमी आपको दूंगा, उनको लाईन लगवा दूंगा, जो आपको बतायेंगे कि 21 दिसम्बर से,जब से टिकटों की बिक्री होनी थी, उस दिन से किसी को टिकट नहीं मिला है ।

दूसरा निवेदन यह है कि मंत्री जी के पास जो पास आये हैं, उसमें से कम से कम हमें तो वह एक टिकट देंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मेरी जानकारी में आया है कि एक भी पास किसी के पास नहीं आया है ।

मेसर्स सिन्थेटिक्स एन्ड केमिकल लिमिटेड, बरेली में श्रमिकों की बैठकी के संबंध में वक्तव्य

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

मेसर्स सिन्थेटिक्स एन्ड केमिकल लिमिटेड, फतेहगंज वेस्ट,बरेली में रबर बनाने की प्रक्रिया में विकृत स्प्रिट बड़ी मात्रा में प्रयोग होती है । इनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली विकृत स्प्रिट 3 नवम्बर, 1972 से रु 0 1–10 पैसे प्रति लीटर की दर से वेन्ड फी देय हुई । नियोजकों के अनुसार वेन्ड फी तथा उस पर बिक्री-कर जोड़ने पर विकृत स्प्रीट की कीमत इतनी बढ़ जायेगी कि सिन्थेटिक रबर का उत्पादन व्यावसायिक रूप से अलाभप्रद हो जायेगा । ऐसी अवस्था में उन्होंने फैक्ट्री को चालू रखने में अपनी असमर्थता प्रकट की । नियोजकों ने दिनांक 2 जनवरी, 1973 को श्रमिकों को नोटिस देने के पश्चात् 9 जनवरी, 1973 से अपने प्रतिष्ठान के

1291 श्रमिकों में से 982 श्रमिकों को बैठकी (ले आफ) पर भेज दिया । उन्होने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में भी रिट याचिका दायर कर दी जिस पर न्यायालय ने वेन्ड फीं की शासकीय विज्ञप्ति को स्थगित करते हुए यह आदेश दिया कि मेसर्स सिन्थेटिक्स एन्ड केमिकल्स जो विकृत स्प्रिट उठायेंगे उस पर लगने वाली वेन्ड फी के लिये वह कलेक्टर, बरेली को समुचित गारन्टी स्प्रिट उठाने के तीन सप्ताह में प्रेषित करें । नियोजकों ने गारन्टी देने से इस आधार पर इन्कार कर दिया कि वे इतनी बड़ी रकम की गारन्टी नहीं दे सकते ।

2--नियोजको को 10,500 टन विकृत स्प्रिट विदेश से आयात करने का परमिट मिला था और कांडला पोर्ट पर आ गया है । राज्य सरकार ने आबकारी आयुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट, बरेली को यह आदेश दे दिये हैं कि वे सेवायोजकों को अलकोहल आयात करने की स्वीकृति दे दें । इस आयात किये हुए अलकोहल पर कोई फीस वगैरह नियमानुसार देय नहीं है । अलकोहल उठाने की दिशा में नियोजक कार्यवाही कर रहे हैं । रिट याचिका की सुनवाई 1 फरवरी, 1973 को होनी है और उम्मीद है कि इस विषय में जल्दी फसला हो जायेगा ।

उक्त परिस्थिति में स्थिति के शीघ्र समाधान होने की आशा है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है वह अधूरा है । मेरी सारी बातों का उसमें उत्तर नहीं है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि वहां पर 1291 आदमी काम करते हैं, तो उसमें से केवल 982 को ले-आफ देने और शेष को न देने का क्या कारण है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

जो उनका सुपरवाइजरी स्टाफ है उसे उन्होंने अपने काम में बुलाना जरूरी समझा, उसे बुलाया, इसलिये इतने लोग ले-आफ में कम है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मुझे सूचना मिली है कि जो सरकार ने 1.10 रुपये लीटर की वेन्ड फी लगाई है, उससे सरकार को करोड़ों रूपया वार्षिक मिलेगा । लेकिन फिर अब आप पर इतना जबरदस्त राजनैतिक प्रेशर पड़ा है कि आगामी चुनाव की दृष्टि से केन्द्र की यह सलाह मिली कि आप यह वेन्ड फी उठा लें तो क्या यह सरकार यह वेन्ड फी को हटाने की सोच रही है और केन्द्र से सुझाव आया है कि आप इसे वापस ले लें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह-

हाई कोर्ट में रिट दायर है । अगर डिसीजन यही होता है और रिट मंजूर हो जाती है तो उठा लेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर हाई कोर्ट रिट में निर्णय दे देती है कि आप हटा दें वेन्ड फी तो आपको हटाना ही होगा । मेरा सवाल है कि आप क्या इस बीच में हटाने को तैयार है रिट के निर्णय के पूर्व और क्या केन्द्रीय सरकार से राजनीतिक कारणों से यह सुझाव आपके पास आया है कि आप इस वेन्ड फी को हटा लें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

यह बिल्कुल असत्य है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

प्रदेश और मजदूरों के हित में क्या सरकार इस फैक्ट्री का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है क्योंकि दो करोड़ रुपया तो सरकार केवल सेल्स टैक्स में इस फैक्ट्री से वसूल करती है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

राष्ट्रीयकरण की बात बिल्कुल असंगत है ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

1 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ जाने से फैक्ट्री वालों ने कह दिया कि हमारा इतना बड़ा घाटा है कि किसी सूरत में फैक्ट्री को नहीं चलायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इस सम्बन्ध में अभी हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और उन्होंने इस बात का प्रयास किया है हटाने का लेकिन बाद मुकदमा क्या आधार लेते हैं इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री राजमंगल पांडेय---

मेरा सवाल इतना है कि 1 रु० 10 पैसा प्रति लीटर ड्यूटी बढ़ जाने से फक्ट्री वाले किसी भी प्रेशर पर इसको चलाने की तैयार नहीं हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मुख्य मंत्री जी के यहां बैठक हुई थी और विचारों का आदान प्रदान हुआ था । मुकदमे के बाद क्या सूरत होती है इस पर बाद म विचार होगा ।

श्री राज मंगल पांडेय---

सवाल कुछ है जवाब कुछ दिया जाता है । मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि 10 रु० 10 पैसे लीटर ड्यूटी बढ़ जाने से वह फैक्ट्री नहीं चलायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

यह तो फैक्ट्री वालों के सोचने की बात है । इसका उत्तर क्या दिया जा सकता है कि वह चलायेंगे या नहीं चलायेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)---

यह इम्पोर्टेड अलकोहल कब पहुंच जायगा कांडला में और पंहुचने पर क्या फैक्ट्री में जो ले आफ हुआ है उसे वह वापस ले लेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

20, 25 दिन अथवा 1 महीने पंहुचने में लग सकता है और पंहुचने पर अल्कोहल के यह निश्चित आशा है कि फैक्ट्री चालू हो जायगी और ले-आफ खत्म हो जायगी ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

फैक्ट्री की प्रति वर्ष स्प्रिट बाहर से मंगानी पड़ती थी या इसी वर्ष बाहर से मंगाने की जरूरत पड़ गयी ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह---

इस वर्ष उन्होंने बाहर से मंगाने का प्रयास किया है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि फैक्ट्री के पास अल्कोहल नहीं है जिसके कारण वह नहीं चल रही है लेकिन कांडला पर अल्कोहल पंहुचाने के लिये भी अकारण विलम्ब किया जा रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

अल्कोहल होता तो ले-आफ नहीं होता, अल्कोहल नहीं है इसीलिए ले आफ किया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि एक रुपया दस पैसा प्रति लीटर जो वेन्ड फीस लगाई गई है वह किसी आधार पर लगाई है और क्या वह आधार आज तक कायम है या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आबकारी विभाग तथा अन्य विभाग जो हैं उन्होंने एक कमेटी में तय किया कि 1.10 पै० प्रति लीटर वेन्ड फीस लगाई जाय ।

श्री रामधारी शास्त्री---

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि केवल इसी वर्ष स्प्रिट का आयात जरूरी हो गया था तो क्या उनको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के अल्कोहल कारखाने जो हैं उनमें शुगर फैक्ट्री से जो सीरा मिलता है वह फर्जी रूप से काफी तादाद में चीता उद्योग आदि दूसरे लोगों को दे दिया गया जिससे कि स्प्रिट नहीं बन सकी और इसीलिये इसे बाहर से मंगाने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है । चीता उद्योग के बारे में माननीय सदस्य मुझसे बात कर लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मान्यवर, मैंने 50 पत्र लगभग माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में लिखें होंगे किन्तु मुझे सही जवाब नही दिया गया । इसलिये मैं एक घन्टे के लिये सदन से वाक आउट करता हूं ।

(श्री सुरेन्द्र विक्रम सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 को वापस लेने का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

श्रीमन्, इस बिल का प्रस्ताव पेश करने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को इसलिये लाया जा रहा है कि हमारा यह वायदा था कि हम जल्दी से जल्दी शहरी सम्पत्ति पर भी विधेयक यहां पर प्रस्तुत करेंगे . . .

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

उसका उल्टा होने जा रहा है ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी विधेयक हम यहां पर लाते हैं वे विधान परिषद् में भी पास होते हैं । इसलिये हमन यह तय किया कि जब हमको यहां पर समय नहीं मिल रहा है तो उसे हम वहां पर पहले पास करा दें और उससे समय की बचत हो जायेगी। उसके वहां पर पास होने के बाद उसे हम यहां पर लाकर पास करा देंगे तो तुरन्त पारित हो जायेगा । इसे जल्दी लागू कराने के उद्देश्य से वहां पहले पारित कराना चाहते हैं । इसके साथ ही मैं यह भी अनुरोध सदन से कर दूं कि कार्य मंत्रणा समिति में विरोध पक्ष के नेताओं से इसे स्वीकृति मिल चुकी है कि पहले इसे कौंसिल में पास करा लीजिये उसके बाद यहां पारित कर दें ।...

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मान्यवर, मैंने लिखकर दिया है कि मैं इसका विरोध करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको प्रक्रिया बता दूं । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172 में लिखा है कि "प्रस्ताव की वापसी का प्रस्ताव या उसका विरोध करने वाले सदस्य द्वारा व्याख्यात्मक वक्तव्य--यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे और उसके बाद और अधिक वाद-विवाद के बिना, प्रश्न रख सकेंगे ।" तो यह नियम की स्थिति है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

हमें तो आप विरोध करने का अवसर देंगे ही ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद(जिला बदायूं)---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । मंत्री जी ने फरमाया कि कार्य मंत्रणा समिति में तय हो चुका है । मैं कहता हूं कि म भी उसका सदस्य हूं । वहां पर कभी यह सवाल नहीं आया है । मंत्री जी ने गलत--बयानी कर दी...

श्री बंशीधर पांडेय (जिला बस्ती)---

कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ था कि आप शहरी सम्पत्ति वाला विधेयक जल्दी लाना चाहते हैं । या पार्लियामेंटरी मिनिस्टर ने कहा था ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यह सवाल वहां पर नहीं आया था । कार्य मंत्रणा समिति में इस तरह की कोई बात तय नहीं हुई है । ये कहते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति में यह बात तय हो गयी है, आप उस दिन की प्रोसीडिंग्ग मंगा कर देख लीजिय कि मैं सही कह रहा हूं या माननीय मंत्री जी सही कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसका फैसला तो आप लिख कर देंगे तब होगा। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मने लिख कर दिया है कि इसका मैं विरोध करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपा कर आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आप मुझे अनुमति देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने निवेदन किया कि एक तो प्रस्ताव को रखने वाले नियमानुसार संक्षिप्त भाषण देंगे और उनके बाद में विरोध करने वाले सदस्य को एक और भाषण के लिये मौका दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यही तो मैं कह रहा हूं कि आप मुझे मौका देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह पहले से मैं कैसे कह दूं, जब इसका अवसर आवेगा तब तय किया जायेगा । माननीय राजस्व मंत्री अपना संक्षिप्त भाषण करें ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 जो विधान सभा में दिनांक 9 मई, 1972 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय ।

मान्यवर, ऐसा करने का अभिप्राय मैंने अभी आपसे निवेदन किया । हमारे माननीय सदस्यों ने जो कहा और इस पर आपत्ति की कि कार्य मंत्रणा समिति में ऐसी कोई बात नही आयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय मंत्री ने मुझे यह बतलाया कि जितने भी अपोजीशन के लीडर्स हैं उन सब की सहमति इसमें प्राप्त कर ली है, और उसके बाद ही यह प्रस्ताव आया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

यह सर्वथा असत्य है ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले वे वक्तव्य दे लें, उसके बाद जो कुछ आपको कहना हो, कहें ।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह बात सही है कि मैं स्वयं कार्य मंत्रणा समिति में नहीं था । जो कुछ मुझसे कहा गया उस सूचना के आधार पर ही मैंने आपसे यह निवेदन किया । सम्भव होगा तो मैं संसदीय मंत्री जी को बुला लूंगा ताकि वे उसका निराकरण कर सकें लेकिन यदि वहां यह प्रश्न न भी आया हो तो मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जितने दिन से आपके यहां की कार्य मंत्रणा समिति में या यहां की कार्यसूची में न आ सका हो और यह भी मान लिया जाय कि यदि आप यहां इसकी इजाजत न दें या इजाजत दें, आपकी बात ही मान लें तब भी जब तक यह आपके यहां आवेगा उससे पहले हमारा इरादा है कि हम इसको विधान परिषद् से पास करा लें और उसके बाद फिर इसको लेकर आपके सामने आवें ।

मेरे पास आज सूचना आयी है कि कल के लिये वहां विचार करने के लिये यह लगा हुआ है, तो इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है । आपको याद होगा कि 19 तारीख को ही

[श्री उदित नारायण शर्मा]

इसका वापस लेने का प्रस्ताव आपके सामने मैंने पेश कर दिया था लेकिन उस रोज यहां कुछ व्यवधान हो गया और उसके आधार पर आइटम 10 तक उस दिन मुल्तवी कर दिया गया । मैंने उस रोज भी निवेदन किया था कि अगर आप इजाजत दे दें तो इसको पेश कर दूं लेकिन आपकी सहमति नहीं हुई इसलिये उस रोज नहीं पेश हो सका। केवल इतनी बात जरूर है कि सम्भव है कल वहां इस पर एतराज हो जाय कि एक दिन पहले आना चाहिये था । मेरी सूचना के अनुसार कल इस पर विधान परिषद् में विचार होना है । कल ही यह पुरःस्थापित होगा और यह व्यवस्था करनी है कि कल ही इस पर विचार हो जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

नयी शक्ल में या ऐसे ही ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

बिलकुल यही । इसमें जहां विधान सभा लिखा है वहां विधान परिषद् लिखा होगा और इसीलिये सब माननीय सदस्यों से निवेदन किया कि कृपा करके इसकी इजाजत दे दीजिये। संसदीय मंत्री जी ने मुझसे जरूर कहा कि हमने विरोधी दल के नताओं से पूछ लिया है और उनको कोई इस पर एतराज नहीं है । यदि किसी को एतराज हो तो इसके गुण दोष के आधार पर आप विचार कर लें और इस पर मुझे स्वीकृति दे दीजिये । यहां मैं सिर्फ कांग्रेस (ओ) के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आपके नेता,श्री गिरधारी लाल का लिखित पत्र उन्होंने मुझे दिखलाया जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझको इस पर कोई एतराज नहीं है यदि आप इसको पहले विधान परिषद् में पेश करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी-

मेरा भी कोई पत्र था ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

आपका नहीं था ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मंत्री जी ने यह बताया कि कल इसको कौंसिल में पेश करना चाहते हैं तो फिर उनको यहां पेश करने की कब की योजना है ? उनका क्या खयाल है, कब तक यहां पेश कर सकेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

कार्य मंत्रणा समिति अनुमति दे देगी तो जल्द से जल्द पेश कर देंगे । हो सके तो कुछ काम को मुल्तवी करके हम इस बिल को यहां लाना चाहते हैं लेकिन कुछ अध्यादेश ऐसे हैं जिनका लाना बहुत जरूरी है, इसकी वजह से यह नहीं आ सका ।

श्री जयराम वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार दिसम्बर के महीने में उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिला था...

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, जो विधेयक वापस लिया गया है, यह विधेयक उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है । लेकिन नियम 171 में यह है कि--"विधेयक की वापसी--विधेयक के भार साधक

सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेंगे कि—

(क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है, या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारतः रूपान्तर हो जायेगा ।"

इससे मालूम होता है कि आप दूसरा विधेयक लाना चाहते हैं तो उसमें कुछ तब्दीली होनी चाहिये । लेकिन आपने बताया कि इसी रूप में लायेंगे और उसकी आज्ञा मांग रहे हैं तो नियमों के अनुकूल नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके यह कहने के बाद किसी रूलिंग की आवश्यकता नहीं रहती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह कहा कि जो उन्होंने पढ़ा है वह ठीक ही है । अभी हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं ।

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि दिसम्बर में सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 जनवरी में आयेगा और उसे पास किया जायेगा । मैं समझता था कि सरकार अपने आश्वासन पर रहेगी और इस महीने में विधेयक जरूर पास हो जायेगा । यह बात सही है कि जब वित्त मंत्री जी की तरफ से यह बात हमारे सामने लाई गई और मैं मानता हूं कि यह बात रखी गई थी कि इसको जल्दी करने की दृष्टि से यहां पहले पेश करने में देर होगी क्योंकि वहां समय है और यहां नहीं है, इसलिये यहां इसको वापस लेना चाहते हैं और कौंसिल में पेश करना चाहते हैं । जब यह बात कही गई तो हमने अपनी अनुमति दे दी थी । हमें इसमें कोई आपत्ति नही है । यह बात अपनी जगह पर सही है, कार्य मंत्रणा समिति वाली बात सही नहीं है ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह हो सकता है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह न आया हो । लेकिन इसका एक ही अर्थ था ।

श्री जयराम वर्मा—

जिस दृष्टि से वह बात वहां रखी गई थी उसको देखते हुये मैं कोई आपत्ति नहीं करना चाहता हूं । लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां पर इसको जल्दी से पास करा लें और फिर इसे यहां ले आयें, मैं चाहता हूं कि सम्भव हो तो 24 के भीतर ही इसे यहां फिर ले आयें वर्ना फिर यही कहा जायगा कि वह इसको टाल रहे हैं और सरकार इसको शीघ्र पास कराना नहीं चाहती ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय त्रिवेगी सहाय ने जो कहा यह ठीक है लेकिन उन्होंने नियम पढ़ा, पर उसे पूरा नहीं पढ़ा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नीचे वाला उन्होंने नहीं पढ़ा है उसे मैं पढ़े देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप परन्तुक पढ़िये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

परन्तु जब कोई विधेयक परिषद् में आरम्भ हुआ हो और सदन के समक्ष लम्बित हो तो विधेयक भार साधक सदस्य सदन में एक प्रस्ताव करेंगें कि जिसमें यह सिफारिश की जायगी कि परिषद् विधेयक को सदन द्वारा वापस किये जाने की अनुमति से सहमत हो और सदन द्वारा प्रस्ताव के अंगीकृत किये जाने के और परिषद् द्वारा सहमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त विधेयक भार साधक सदस्य विधेयक को वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे । जब सदन द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव से परिषद् सहमत हो जाय तो सदन का विनिश्चय अभिभावी होगा ।

मैं यही सब देख रहा था और पढ़ रहा था कि आप स्वयं चिन्तित हैं कि यह सब उनके खिलाफ पड़ रहा है । ऊपर जो यह 3 शर्तें दी हैं जिन के पूरा होने पर विधेयक वापस हो सकता है उनमें से एक भी यहां पूरी नहीं होती ।

श्री उपाध्यक्ष--

इन 3 शर्तों के अलावा सरकार वापस ले ही नहीं सकती ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमारा कहना है कि हर चीज के लिये नियम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा भी हो सकता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं वह फिर पढ़े देता हूं वर्ना कन्टेक्ट टूट जायगा, यह 171 में वापसी के निश्चित आधार दिये हैं कि या तो "विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी है ऐसी बात भी नहीं और दूसरे" बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसके उपबन्धों में कोई सारतः रूपान्तर हो जायगा ।ऐसा भी यहां नहीं होने वाला है । और तीसरे दिया है कि बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कुछ उपबन्ध सम्मिलित होंगे । और

यदि ऐसी अनुमति दी जाय तो उस विधेयक के सम्बन्ध में अग्रेतर प्रस्ताव नहीं किया जायगा और वह स्वतः वापस किया हुआ समझा जायगा । यह शर्त भी पूरी नहीं होती ।

अब आप परन्तुक को भी पढ़ें । कोई विधेयक परिषद् में आरम्भ हुआ हो । तो आरम्भ भी नहीं हुआ । वह कह रहे हैं कि वहां कल आरम्भ होने वाला है और जैसी उनकी नीयत रहती है कौन जाने क्या शर्त वह लगा दें और वहां यह सवाल हो जाय कि समय से एक दिन पहले क्यों नहीं रखा ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब तक यहां से वापस नहीं करते वहां कैसे पुरःस्थापित होगा। आप 173 (2) पढ़ें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

परिषद् में कोई विधेयक आरम्भ नहीं हुआ है तो कौन सी परिस्थिति आ गई है । यह नियमावली विधान सभा की है और इसमें लिखा है कि जब ऐसी परिस्थिति आयगी यानी जब विधेयक परिषद् म आरम्भ हो गया होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

लम्बित क्या है? और पहुंचाया गया क्या है? नियम 173 में जो व्याख्या की गयी है यह है कि सदन में पुरःस्थापित विधेयक जो इस नियम या नियम 174 में उल्लिखित विधेयकों के वर्गों के अन्दर नहीं आता। यथास्थिति, परिषद् को पहुंचाया गया तथा परिषद् द्वारा संशोधन, या सिफारिश सहित लौटाया गया और नियम 154 के अन्तर्गत पटल पर रखा गया है। नियम 173 (2) की जहां पर व्याख्या की बात है।.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

इससे उसका क्या सम्बन्ध है। मैं तो समझ नहीं पाया हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप को एतराज क्या है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

हमारा एतराज यह है कि लौटा नहीं सकते हैं। जब आप कह देंगे कि लीगली ठीक है, तब हम एतराज करेंगे। हमें उनकी नियत में सन्देह है। ये हमेशा पूंजीपतियों के साथ रहते हैं। अगर ये उनके साथ न रहते तो यह विधेयक उन्हें पहले लाना चाहिए था ताकि खेत वाले उनके सामने न रखते कि दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर पूरा सदन सहमत हो तब भी क्या वह वापस नहीं हो सकता है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यदि सारा सदन कह देगा तो मैं कौन हूंगा। आपकी रूलिंग फाइनल है, यह टैक्नीकली है। वह मुझे भी शिरोधार्य है।

श्री उपाध्यक्ष---

क्या इसको वापस करने की यह सदन इजाजत नहीं दे सकता है? यदि ऐसा हो गया तो यह अलोकतंत्रीय होगा?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, आप तो इसे वापस लेने की बात कर रहे हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव ---

श्रीमन्, यह अवैधानिक है। ऐसा प्रस्ताव सदन में आ ही नहीं सकता है। जब तक ये 3 कारण पूरे न हों, सदन में आ ही नहीं सकता है। यह बिल्कुल अनकान्सटीट्यूशनल है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप हम को समझाइये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

श्रीमन्, एक नजरिया इन्होंने रखा है कि सदन को यह अख्तियार नहीं है कि वह उसको वापस करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

एक-एक करके माननीय सदस्य कहें तो अच्छा होगा। एकदम खड़े होकर कहने लगने से समझ में नहीं आता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे माननीय स्वामी जी ने भी लिख कर दिया और मैंने तो कह दिया है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, मैं 2 बातें निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह आपत्ति बिल्कुल सही है कि 171 के (क) (ख) और (ग) में यह नहीं आता है। इसका जो परन्तुक है, मेरा निवेदन है कि उसमें यह जरूर आता है और वह इसलिए आता है। इसमें यह लिखा हुआ है कि जब कोई विधेयक परिषद् में आरम्भ हुआ हो, यह प्रारम्भ की बात लिखी हुयी है, लेकिन जब यहां से वापस नहीं होगा, वहां पर प्रारम्भ नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है।

श्री उदित नारायण शर्मा—

जब तक यहां से वापस नहीं होगा तब तक प्रारम्भ नहीं होगा। प्रारम्भ के माने यह हों कि उसको लेना स्वीकृत कर दिया हो तो सम्भव है कि वहां की कार्य सूची के अनुसार परिषद् इसको लेगी। श्रीमन्, इनको अगर बहुत ऐतराज हो तो चलने दीजिये। इसमें कोई बहस की बात नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

किन परिस्थितियों में मान्यवर, इसमें लिखा है कि "परन्तु जब कोई विधेयक परिषद् में आरम्भ हुआ हो और सदन के समक्ष लम्बित हो तो विधयक भार साधक सदस्य सदन में एक प्रस्ताव करेंगें जिसमें यह सिफारिश की जायगी कि परिषद् विधेयक की सदन द्वारा वापिस किये जाने की अनुमति से सहमत हो और सदन द्वारा प्रस्ताव के अंगीकृत किये जाने के और परिषद् द्वारा सहमति प्राप्त हो जाने क उपरान्त विधयक भार साधक सदस्य विषयक को वापिस लेन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे ....."

तो मान्यवर, कौन सी परिस्थितियां हैं आज।

श्री उदित नारायण शर्मा—

यदि ये सदस्य, मान्यवर, हमको इस बात की अनुज्ञा नहीं देना चाहते हैं, यदि मतभेद हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, न इजाजत दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, ये कह रहे हैं कि अगर सदस्य न चाहते हों तो न इजाजत दें। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि ऐसे गलत तरीके से यह कारण उपस्थित करक बताना और सदन का इतना समय बरबाद करना क्या उचित था? ऐसा ही कह देना क्या अच्छी बात है। यह कोई खिलवाड़ की जगह है? हमें तो इस पर भी एतराज है, मान्यवर।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इसलिये किया कि हमारे माननीय संसदीय मंत्री के अनुसार विरोधी पक्ष के नेताओं से पूछ लिया गया था। उनकी सहमति थी जिसका मतलब यह था कि सदन इसकी इजाजत देगा।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

मान्यवर, इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं यदि उसको सदन मान ले तो सारी समस्यायें हल हो जायं। मैं समझता हूं कि यदि इस विधेयक को पास करना चाहते हैं तो उनकी तरफ से तो कोई विरोध होगा नहीं। जैसा कि समय की कमी बतलाते हैं, इसके लिये एक घंटा किसी दिन निश्चित कर दीजिये और उस विधेयक को पास किया जा सकता है सिर्फ एक ही संशोधन के साथ कि तीन लाख की सम्पत्ति को घटा कर एक लाख कर दिया जाय। इस संशोधन के बाद पूरा विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जायेगा।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

अगर मान्यवर, इनकी नीयत साफ हो तो विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा कि माननीय रूपनाथ सिंह और माननीय भानु प्रताप सिंह कह रहे हैं, कार्य मंत्रणा समिति के पास समय नहीं था और उसने इसके ऊपर विचार के लिये रक्खा नहीं है। अगर आप सब सहमत हो जायं और दूसरों को सहमत कर लें---एक घंटे की बात है, समय निकाला जा सकता है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला रक्खी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, यह सदन वापिस देने की इजाजत दे सकता है। प्रश्न यह है कि वापस लेने का जो प्रस्ताव है, वह प्रस्ताव नियमों के अनुकूल पेश भी हो सकता है या नहीं। माननीय राजस्व मंत्री स्वीकार करते हैं कि 171 की क, ख, ग, के अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु क मैं यह रिलाई करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

172 को पढ़ लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

वह तो बाद में आयेगा। पहले 171 की शर्तें पूरी कर लें। 171 कंडीशन प्रोसीडेंट है। परन्तुक में यह है कि कोई विधेयक परिषद् में आरम्भ हुआ हो...

श्री उपाध्यक्ष---

आप इसमें कौन सी बारीकी निकाल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

आप की तरफ से एक प्रस्ताव आया था कि एक घंटे में हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। वह तो आप ही लोग कह रहे हैं। आपने एक बात कही और दूसरे माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही। अगर मान लीजिये सदन सर्वसम्मत हो जाय तो क्या वापस करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर सरकारी पक्ष इसको न रखे तो आप कैसे करेंगे। नियमों की स्थिति पर स्पष्टता से विचार होना चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति में समय नहीं मिल सका था। 24 तक का प्रोग्राम छप गया था और उसमें जगह नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए दो दिन पहले लिख कर दे दिया था कि मैं विरोध करूंगा। एक तो हुआ रास्ता निकालना। वह बात अलग है कि कार्य मंत्रणा समिति क्या करेगी। दूसरी बात यह है कि नियमों के अन्तर्गत यह जो अनुज्ञा के लिए खड़े हो गये तो वह मिलेगी या नहीं। यह एक वैधानिक आपत्ति आ गयी है तो इसके बाद और आपके पीठासीन होने के बाद और मंत्री जी द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद कि 171 की तीनों कंडीशन एप्लाई नहीं होतीं और परन्तुक भी एप्लाई नहीं होता तो आपकी पहली रूलिंग यह होनी चाहिए कि आप इसकी अनुज्ञा न दें। उसके बाद हम सब बैठेंगे और रास्ता निकालेंगे। हमें दुःख यह है कि 31 तारीख तक रजिस्ट्री बन्द है। यह लम्बा खिसकता जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने यहां फ्लोर पर आश्वासन दिया था कि दोनों विधेयक साथ-साथ आयेंगे लेकिन उसकी भी पूर्ति नहीं कर रहे हैं और बार-बार इसको खिसका रहे हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं आपका ध्यान नियम 172 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि जब कि वापस करने के लिए अनुज्ञा मांगी जाय तो विरोधी दल के आदरणीय सदस्य चाहें तो उन्हें विरोध करने का अधिकार है लेकिन उसके बाद आपको रूलिंग देने के लिए, जैसे नेगी जी और स्वामी जी कह रहे हैं, कहें तो वह स्थिति नहीं है। वह अनुज्ञा मांगेंगे वापस करने के लिए और उस पर जो चाहें वे विरोध करेंगे लेकिन उसके बाद 172 के अन्तर्गत सदन के सम्मुख प्रश्न रख देंगे। नियम 172 में है कि यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे और उसके बाद और अधिक वाद विवाद क बिना प्रश्न रख सकेंगे। आपने अनुज्ञा दे दी। उसके बाद और अधिक वाद-विवाद के बिना प्रश्न रखे जाने की आज्ञा दे देंगे, तो वापस होगा, नहीं तो नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

172 तो स्पष्ट है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, 172 का जो इन्टरप्रेटेशन राय साहब ने किया है, उससे मैं सहमत नहीं हूं। कारण यह ह कि नियम 171 में श्रीमन्, की क्या राय है, यह जब तक स्पष्ट रूप से न हो जाय, तब तक व्यवस्था पूरी नहीं होती है और इसी कारण राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया कि नियम 171 के होते हुये वापस का प्रस्ताव ठीक नहीं है। जो 171 के इन्ग्रीडेन्ट्स हैं, वह पूरे नहीं होते हैं, तो 172 लागू नहीं हो सकता है। यह भी कहा गया कि तमाम विरोधी दल के सदस्यों ने वापस करने को सहमति दी है,आप मौजूद थे, इस सम्बन्ध में विचार विमर्श नहीं हुआ है। यह सरकार कल परिषद् से पास कराना चाहती है तो जो कार्यक्रम बना उसमें रख लेते। हम लोगों का कहना था कि जल्दी दोनों को पास कर दिया जाय। इसमें की कोई बात होगी जो सरकार कहना नहीं चाहती है, क्योंकि पहले भी जो देहाती सम्पत्ति पर सीमा लाने की बात थी, उसको 6 महीने तक रोके रहे। स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि क्या तब्दीली करना चाहते हैं वह 171 में आ जावेगी। जैसा कि श्री भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अगर

यह सरकार की न है तो यह सदन तैयार है लेकिन उनका संशोधन स्वीकार कर लें। आपको 171 में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम की स्थिति के बारे में मुझे यह कहना है कि जो कार्यमंत्रणा समिति में 24 का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, उसमें इस पर बहस के लिये कोई समय निर्धारित नहीं हुआ। दूसरी चीज जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, 171 में वापसी का प्रश्न नहीं है, वह प्रश्न 172 में है और इसमें साफ है कि यदि किसी विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे और उसके बाद और अधिक वाद विवाद के बिना प्रश्न रख सकेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते थे। आपने मौका दिया कि अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका उनको मिले।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या 171 डिलीट हो गया है? 171 कब लाग् होगा इसकी व्यवस्था कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको कहने की मुझे जरूरत नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

वह प्रस्ताव तभी करेंगे जब कंडीशन फुलफिल करेंगे, आप इसको देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रस्ताव लाये जाते हैं, उन्हें अध्यक्ष को रोकने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

कार्य सूची में यह नहीं आना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

हमको फिर वोट लेनी पड़ेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

172 में वोट मांग सकते हैं, इसमें नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

171 में विरोध करने का मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 जो विधान सभा में दिनांक 9 मई, 1972 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

चूंकि यह अनुत्तरदायिक ढंग से लाये ह, इसलिये हम 5 मिनट के लिये सदन का त्याग कर रहे हैं।

(श्री नित्यानन्द स्वामी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामधारी शास्त्री—

यह बहुमत के बल पर किया जा रहा है, अतः हम भी सदन त्याग करते हैं।

(श्री रामधारी शास्त्री अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

काम रोको प्रस्ताव 5 हैं और पांचों अस्वीकार किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश (श्री रोशन लाल) द्वारा की गई जांच रिपोर्ट पर चर्चा

*श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, म आपके सचिवालय को बधाई देना चाहता हूं कि डेढ़ साल के प्रयास के बाद यह चर्चा के लिये आया। सरकार हमेशा इसका विरोध करती रही। 14 अगस्त, 1971 को यह प्रश्न आया था कि इसकी रिपोर्ट सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, इस पर बाद में आऊंगा। बात यह थी कि इनके विभाग की सारी स्थिति जनता के समक्ष आ रही थी। इसलिये इस पर चर्चा नहीं हो सकी। इसकी फाइल गायब करा दी गयी। डेढ़ साल तक प्रयास किया गया तो यह चर्चा हुई। इसके लिये आपको सचिवालय को बधाई देता हूं और आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

इस फेडरेशन के संबंध में पहली बात यह है कि इसमें कहीं एकाउन्ट नहीं रखा गया। कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया। आपकी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, उसी को सामने रख रहा हूं। फतेहपुर में एक बिल्डिग बनी, जिसकी लागत 33 लाख के करीब थी। इसी प्रकार से कानपुर में भवन बना। न कहीं पर कोई नक्शा न कोई इस्टीमेट। यह भी पता नहीं कि किस ठेकेदार ने बनाया, यद्यपि लाखों रुपयों की बिल्डिग बन गयीं। क्लास 1 का अधिकारी उस विभाग का है। उसके बाद एडीशनल रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार होते हैं। उनको पावर है कि व एकाउन्ट न रखें और सदन में यह कह दिया जाय कि यह जनहित में नहीं, तो मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि इसको आप देखें और कृपया बतावें कि इनके विरुद्ध आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? यही नहीं, मान्यवर, कैपर रोड पर जो बिल्डिग बनी है और जिसमें मंत्री का कमरा बना है, उसका भी कोई एकाउन्ट नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मान्यवर, रोशनलाल रिपोर्ट इस समय सदन के विचारार्थ है। यह सही है कि उसमें अपव्यय और भ्रष्टाचार के साफ-साफ आरोप हैं। कपूर साहब अब फिर उन्हें दुहरा रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि पहले इस रिपोट पर सरकारी पक्ष की ओर से कोई लिखित नोट आ जाये और तब हम इस पर विचार करें। जब दोनों पक्षों की ओर से तथ्य सामने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आ जायें तभी विचार करना ज्यादा मुनासिब होगा। उसमें आरोप तो सूरज की रोशनी की तरह से साफ ह। मैं समझता हूं सरकार भी उन्हें स्वीकार करेगी और जो लोग दोषी हैं उन्हें दंड दिया जायेगा ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय मित्र ने जो उधर से सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह रिपोर्ट सन् 1971 में आई थी । करोड़ों रुपए का गबन है । मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि गवर्नमेंट ने इस पर अब तक कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया ? शायद ही दुनिया में ऐसी कोई गवर्नमेंट हो जिसने किसी आई० ए० एस० अधिकारी की रिपोर्ट पर, जिसमें लाखों रुपए का गबन और एम्बेजलमेंट हो और मिसएप्रोप्रिएशन वगैरह सब कुछ हो—आफिसरों के जरिये से हो, जिनको गवनमेंट अब तक सपोर्ट करती रही है, कोई कार्यवाही न की हो। माननीय मित्र का सुझाव बहुत ही मुनासिब है और कपूर साहब को भी उसको मानने में बड़ी खुशी होगी ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

यह गड़बड़ी 25 सालों की है और डेढ़ साल पहले यह रिपोर्ट मिली। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मन्त्री जी बैठे हैं वे अपनी मिन्यूज बता दें।

श्री रघुनाथ सिंह—

यह एक ऐसा मसला है जिसमें पूरे सदन की दिलचस्पी है क्योंकि हमारे प्रदेश की धन की हानि हुई है । मैं समझता हूं जैसा कि चौधरी साहब ने कहा अगर वह स्वीकार हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री चरण सिंह—

यही नहीं, उनकी मिन्यूज भी आ जायं कि अब तक इस रिपोर्ट पर उन्होंने क्या कार्यवाही की है।

श्री उपाध्यक्ष—

तब तो आज तो नहीं होगा, इस को तो टालना होगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, यह मेरा प्रस्ताव था और कार्य-मन्त्रणा समिति में गया । डेढ़ साल हो गया। जो कुछ कार्यवाही हुयी उसको मन्त्री जी बता दें और फिर विचार प्रारम्भ हो जाय।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, माननीय सदस्य और नेता विरोधी दल ने जो भावनायें व्यक्त की हैं इस रिपोर्ट की गम्भीरता के बारे में शासन भी उतनी ही गम्भीरता से इस रिपोर्ट को देखता है। 25 सालों में जो कुछ भी इस फडरेशन में हुआ है उसके उत्तरदायित्व को हम विभिन्न सरकारों पर नहीं बांटना चाहते बल्कि जो सरकार इस समय है, वह कमियों को दूर करे और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके विरुद्ध कार्यवाही करे। 25 वर्ष बाद एक उप निबन्धक द्वारा यह रिपोर्ट आई। इससे साफ जाहिर है कि बराबर सरकार इसके लिए सचेष्ट थी कि जितनी भी एपेक्स बाडीज हैं उनकी जांच कराने की व्यवस्था कराये।

शासन को एक उप निबन्धक ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के आने के बाद उसे रजिस्ट्रार को भेजा गया कि वह अपनी आख्या दे। रजिस्ट्रार ने उस रिपोर्ट पर पी०सी० एफ० के मौजूदा अधिकारियों से अलग-अलग ब्योरेवार जानना चाहा है कि उन्हें उसके बारे

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

में क्या कहना है। शासन इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि यह विदित हुआ है कि पी0सी0एफ0 के अधिकारियों द्वारा आख्या रजिस्ट्रार आफिस में पहुंच गयी है। रजिस्ट्रार के यहां से आने के बाद, जैसा कि डर सदन के अधिकांश इस पक्ष और उस पक्ष के साथियों में है, उस पर पूरी-पूरी जांच कराई जायगी और जो भी छोटे या बड़े अधिकारी कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उन्हें निश्चय ही दंडित किया जायगा।

जो भी विलम्ब अब तक हुआ है, उसके लिए मैं मानता हूं कि वह उचित नहीं है। ऐसे गम्भीर मसले में शीघ्रता भी होनी चाहिए और तत्पर्ता के साथ जांच रिपोर्ट के परिणामों पर अमल भी होना चाहिए। माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं कि इस पर कोई लिखित रिपोर्ट या कार्यवाही हुई, वह यहां पर रख दी जाय और तब उस पर विचार हो, तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी कार्यवाही हुई वह लिखित रूप में रख दी जायगी और जैसा कि माननीय सदस्यगण चाहेंगे, दोबारा भी चर्चा हो सकेगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय मन्त्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को आये हुए काफी समय हो गया और जैसा कि मन्त्री जी ने कहा कि कुछ कार्यवाहियां हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, तो क्या मन्त्री जी इस बात का आश्वासन सदन को दे सकेंगे कि ऐसी स्थिति में किसी निश्चित समय के अन्दर उस रिपोर्ट पर जो भी कुछ कार्यवाही उनके अधिकार में हैं उनको मंगाकर कार्यवाही करेंगे और उसको सदन में रखेंगे? वरना 2 साल, 4–6 साल लग सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह तो बात साफ हो गयी कि कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। अगर की गई होती तो उनके पास सभी जवाब होते और वह जवाब देने के लिए तैयार रहते। मन्त्री जी साफ-साफ बतावें कि क्या करना है, अगर नहीं करना है तो अच्छा है, सब लोग अपनी बातों को रिपोर्ट के सम्बन्ध में रखें और कोई कार्यवाही कर ली जाय तो करें, वरना सुनकर करने के लिए उनको तैयार रहना चाहिये। यह तो साफ है कि कुछ किया नहीं गया।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, सारी स्थिति स्पष्ट है। एक अधिकारी ने जैसाकि नेता विरोधी दल ने कहा—एक आई0ए0एस0 आफिसर ने रिपोर्ट दी है जोकि लम्बी है और धन का अपहरण, दुरुपयोग आदि गम्भीर मसलों से सम्बन्धित है। जबतक जिसके बारे में रिपोट है उससे कोई पूछ-ताछ न कर ली जाय जब तक उसकी माकूल जांच न कर ली जाय तब तक शासन द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चरण सिंह—

यह तो सबको एडमिटेड है जो पांडेय जी ने पूछा कि अभी तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई। रियासत हुसैन साहब का मंशा यह है कि सरकार कार्यवाही करने में जल्दी कर रही है या नहीं, यह तसल्ली कैसे हो? कार्यवाही जो आपने इनीशिएट की वह किस स्टेज पर है, कितने दिन में आपको उम्मीद है कि कार्यवाही फाइनल हो जायगी, यह आप स्पष्ट कीजिये, ताकि हाउस के सामने फिर दोबारा आ सकें।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

डेढ़ साल में जो कार्यवाही हुई है उसपर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से आख्या मांगी गयी। जैसा कि निवेदन किया, रिपोर्ट लम्बी है। उसके बाद रजिस्ट्रार आफिस

से उस पर टिप्पणी मांगी गयी है। यह मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शासन की ओर से एक मिनट का भी विलम्ब नहीं किया जायगा। जसे-जैसे टिप्पणी आती जायेंगी अलग-अलग विषयों पर राय आती जायगी, शासन उसपर विचार करेगा और पूरी रिपोर्ट आये या न आये, उस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी जायगी।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा तजुर्बा है कि एस्टीमेट्स कमेटी के जरिये से जब कोई जांच कोआपरेटिव विभाग से की जाती है तो आमतौर से यह देखा गया कि कोआपरेटिव का विभाग अपने को यह समझ कर कि वह इंडिपेंडेंट हैं, वह बिलकुल अलग हैं, वह इस बात की उपेक्षा करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जवाब देने से बचें और उसका नतीजा यह है कि जो गलतियां खराबियां, मिसअप्रोप्रिएशन की हैं या जो उस विभाग में गड़बड़ घोटाला है उस पर कोई भी कार्यवाही समिति नहीं कर पाती। उस चीज को सामने रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी कोई निश्चित समय फिक्स करेंगे—एक महीना, दो महीने, 6 महीने, साल भर, कुछ भी कि इस पीरियड के अन्दर जो भी हमें किसी से लेना है वह ले लेंगे और उस पर अमल-दरामद इस समय के अन्दर कर दिया जायगा? अगर नहीं करेंगे तो दूसरी कार्यवाही सदन तय करेगा कि हमको क्या करना है। यह ढील डालने की प्रथा जो खासतौर से कोआपरेटिव विभाग में है, उसको रोकने के लिए माननीय मन्त्री जी अवश्य कुछ कहें।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी ने बहुत सी बातें कहीं लेकिन हमारी शंका जाती नहीं है। माननीय मन्त्री जी ने ही 18 तारीख को लिखा था हमारी विधान सभा को कि 22 तारीख को यह सदन में उठ नहीं सकता है और यह भी लिखा था कि यह मैटर सबजुडिस है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो दूसरा प्रश्न है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

नहीं श्रीमन्, वह इस तरह से टालना चाहते हैं। ए ल0 आर0 ने लिखा है कि वह सब जुडिस नहीं है। और इसलिए वह आज आ गया है। इतना तो हो सकता है कि आज इस पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाय, लेकिन पहले दिन जब सदन बैठेगा तब उसको रखा जायगा, बल्कि एक संकल्प हो जाय कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि पहले दिन जब सदन बैठेगा तो इस रोशनलाल कमेटी रिपोर्ट पर विचार अवश्य होगा। अगर इतना करा दें तो हमको शंका नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले दिन तो और भी कार्यवाहियां होती हैं। इतनी जल्दी यह कैसे हो सकता है?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात तो उपाध्यक्ष जी आप भी मानेंगे कि इस तरह की रिपोर्टों पर जब चर्चा होती है तो उस पर चर्चा होती है और सरकार का जवाब आ जाता है कि अब आज इस पर यह कहने लगें कि अभी तब सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और इस पर चर्चा भी न हो। तो चर्चा तो इसीलिए होती है कि यह सरकार निकम्मी है और इसने सदन की या अन्य कमेटियों की रिपोर्टों पर यह-यह कार्य नहीं किया। यह हो सकता है कि आज इस पर चर्चा न हो, दो दिन बाद हो लेकिन चर्चा तो होनी ही चाहिये वह इस बात को बताने के लिए

[श्री बंशीधर पांडेय]

कि उन्होंने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के सुझावों पर काम नहीं किया है, आश्वासन समिति के सुझावों पर काम नहीं किया है।

तो मैं यह निवेदन करूं श्रीमन्, कि आज पन्द्रह दिन से यह तय है कि इस पर विचार होगा लेकिन इन्होंने इस समय के अन्दर भी कुछ नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट की कांस्टीट्यूशन बेंच ने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को डिजाल्व करने वाले मसले पर परसों ही रूलिंग दे दी है और सरकार के कंटेंशन को टर्न डाउन कर दिया है कि इनका कहना गलत है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स जहां 60 परसेंट इनकी पूंजी होगी वहां होंगे। अब वह बोर्ड फिर आ जायगा तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इसपर चर्चा होनी ही चाहिए। अब यह बात है कि यह संक्षिप्त विवरण भी नहीं दे सकेंगे आज इसलिए कल या परसों या जिस दिन कार्य-मन्त्रणा समिति उचित समझे रख ले लेकिन आज यह टलाई तभी होगी जब कि कोई निश्चित डेट आप तय कर देंगे कि किस तारीख के लिए टलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हो सकता है। आमतौर पर जो प्रतिवेदन समितियों के आते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं, यही देखना पड़ता है। कार्यमन्त्रणा समिति में आप हैं और जिस दिन चाहेंगे रख देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

इस प्रतिवेदन का मंशा यह है कि जो चीजें सेलेक्टेड हों उन पर सरकार ने क्या-क्या किया है, उसकी चर्चा सदन में होनी ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

सिर्फ कुछ बातों में होता है कि सरकार ने क्या-क्या काम किया है क्योंकि सदन तो पूरे मामले को नहीं देख सकता है इसलिए वह कमेटी को सुपुर्द कर देता है और वह उस आइटम को खासतौर से देखता है। अब चूंकि आज उस पर चर्चा रुकने की बात है इसलिए यह कार्य-मन्त्रणा समिति को निर्दिष्ट कर दिया जायगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

यह रिपोर्ट किसी समिति की नहीं है यह तो एक अलग सी चीज है.....

श्री उपाध्यक्ष—

चाहे समिति का प्रतिवेदन हो या यह हो, एक ही बात है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

आप पूरी बात को सुन लीजिये, श्रीमन्। यह तो रोशनलाल कमेटी की रिपोर्ट है और इससे सदन की कमेटी की रिपोर्ट का सम्बन्ध नहीं है। इसके बारे में विधान सभा में प्रश्न हुआ तो सरकार ने कहा कि यह जनहित में नहीं है कि इस पर सदन में विचार हो, यह कांफीडेंशियल रिपोर्ट है। अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं इस पर विचार होगा तब जाकर आज यह आया और यह हुआ कि आज सदन में वितरित हुई। उसके बाद 62 माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर करके यह मांग की कि इस पर चर्चा करा दी जाय। किसी प्रकार कार्य मन्त्रणा समिति में निर्णय हुआ कि 22 तारीख को इस पर चर्चा हो। उसके बाद सदन ने भी निर्णय लिया कि आज यहां चर्चा हो। तो मेरा निवेदन यह है कि इसको फिर कार्य मन्त्रणा समिति में जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से तो यह मसला टलता जायगा और फिर सन् 74 आ जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

किसी को भी यह आपत्ति नहीं है कि चर्चा न हो। जो सुझाव आया है वह केवल मन्त्री जी की तरफ से ही नहीं आया है, कुछ माननीय सदस्यों की तरफ से भी आया है।

श्री रघुनाथ सिंह (कानपुर)--

चर्चा तो हम कर सकते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जैसा हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय चौधरी साहब ने कहा कि हम उस वक्त चर्चा करें जब उसका कोई नतीजा निकले। हम चाहें तो आज ही चर्चा कर लें परन्तु वह केवल चर्चा के लिए चर्चा होगी जिसका व्यवहारिक लाभ कुछ न होगा सहकारिता के महासागर में जाने कितने मगर मच्छ पल रहे हैं। मन्त्री जी ने अभी अभी इस विभाग को सम्भाला है। इसलिए हम लोग भी तैयार हो कर आ जाये।

*श्री चरण सिंह--

माननीय कपूर साहब का मतलब यह है कि कोई जल्दी की तारीख तय हो जाय ताकि क्या कार्यवाही हुई है उसकी रिपोर्ट सामने आ सके। तो उसके लिए डेट निश्चित कर दी जाय।

आपकी इजाजत से मैं एक और बात माननीय राज्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं। इस विभाग में एक आफिसर हैं, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। करोड़ों रुपया का गबन उनके जरिये से हुआ है। आप कह सकते हैं कि उस समय आपकी शायद बी0 के0 डी0 की सरकार थी और कांग्रेस की थी, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने यह आदेश उस समय दिये थे कि सरकार के 2-3 शेयर नहीं होने चाहिए और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इतमें में ही दूसरी सरकार आ गयी। उस दूसरी सरकार ने फिर गवर्नर साहब से कह कर उसे बदलवा दिया और फिर यह आर्डर करवा लिये कि 2-3 आदमी संचालक मण्डल में सरकार के रहेंगे। चूंकि बी0 के0 डी0 का आदमी चेयरमैन, संचालक मंडल, हो गया था और यह बात सरकार के लिए बरदाश्त नहीं थी इसलिये आदेश बदलवा दिये। खैर फिर सुप्रीम कोर्ट की राय आयी, उसने जो मेरी राय थी उसी को अपहोल्ड किया है कि गवर्नमेंट के 50 प्रतिशत शेयर नहीं हैं, लिहाजा उसके, संचालक मंडल में दो तिहाई मेम्बर नहीं रह सकते। शायद उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो रोशनलाल की रिपोर्ट है, उस पर गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए।

अब डेढ़ साल रिपोर्ट आये हुये हो गये हैं, जिसके मश्विरे पर गवर्नमेंट ने यह गलत काम किया था, और जिसके बारे में रिपोर्ट में लिखा है कि लाखों-करोड़ों का गबन इसके वजह से हुआ है, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने कोई ऐक्शन क्यों नहीं लिया जबकि, प्राइमाफेसी केस तो सरकार ने उसके विरुद्ध बना लिया है। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट उसके खिलाफ है, तो अब इस गवर्नमेंट का क्या तरीका है काम करने का, इसका कोई ध्यान करप्शन पर है या नहीं, आपने उस अफसर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? सिवाय इसके कि आपने उसका ट्रांस्फर कर दिया, आपको उसे तुरन्त सस्पेंड करना चाहिये था। आपने उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया, साल भर इसमें लगा, अब वहां रहेगा, फिर हाई कोर्ट चला जायगा, फिर उसका कोई मिनिस्टर आ जायगा, तब तक वह किसी कार्यवाही से बच निकला। इस तरह से तो किसी बेईमान आदमी को सजा मिलना मुश्किल हो जाता है। जो आई0 सी0 एस0 अफसर की रिपोर्ट है, प्राईमाफेसी केस है तो आपने अब तक उसे क्यों नहीं सस्पेंड किया ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न उठा था 20 अगस्त, 1971 को और उस प्रश्न का सरकार की ओर से जो उत्तर दिया गया था वह यह है---"यह सही है कि उत्तर प्रदेश सहकारी फेडरेशन, लखनऊ की जांच के फलस्वरूप कुछ अनियमिततायें प्रकाश में आई हैं, यह जनहित में नहीं है कि अनियमितताओं का विवरण अथवा निवारण हेतु की गई कार्यवाही का ब्योरा दिया जाय। इसके बाद वह लोग आये और मेरे सामने बात आई।मैंने उनको बुलाकर कागज-पत्र देखे और अध्यक्ष महोदय ने उनसे सहमत होकर आदेश दिये कि इस पर चर्चा होगी। अब प्रश्न यह नहीं है कि इस पर चर्चा नहीं होगी, यह कपूर साहब को आशंका नहीं होनी चाहिए। अब यह है कि मैंने कह दिया विवरण अथवा निवारण हेतु कार्यवाही का ब्योरा दिया जाय, यह भी आपने शासन की तरफ से उस दिन जवाब में कहा था। अब इस बीच अमल कार्यवाही नहीं ही हुई है, यदि हुई है तो बहुत कम हुई है ?

श्री विश्वनाथ कपूर---

किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो अब जब चर्चा हो, सरकार की तरफ से इस पर ठोस जवाब आना चाहिये, ताकि माननीय सदस्य आश्वस्त हो जायें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ कार्यवाही हो रही है। तभी तो बहस की उपादेयता है। कपूर साहब के सवाल उठाने का उद्देश्य भी यही है। सिर्फ कागज-पत्र पर नहीं, कार्य रूप में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए काम किया जाय। इस पर कब समय मिलेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

चर्चा का आइटम आज आपने रखा, इससे माननीय सदस्यों की उस भावना का निवारण होगा कि चर्चा यहां कराये जाने का शासन का इरादा नहीं था। चर्चा के लिए जो भी कार्यवाही हुई, चर्चा यदि पूरी तौर पर होती है जो भी कार्यवाही हुई है, उसको भी आपके सामने कहा जाता। एक सदस्य ने बीच में एक बात प्रकट की और नेता विरोधी दल ने यह सुझाव दिया कि अच्छा यह होगा कि सारी कार्यवाही जो अब तक हुई है, लिखित-रूप में सदन में वितरित कर दी जाय, तो अधिक उपयोगी होगा। मैं यह भी इससे सहमत हूं। इसलिए चर्चा के लिए जो भी समय आप उचित समझें, जो तिथि भी आप निश्चित कर दें, मैं उसके लिए तयार हूं। यह एक बड़ी रिपोर्ट है और उस पर कार्यवाही हुई, उसको देखते हुए जो भी तिथि, जो भी समय आप तय कर देंगे, वह हमें सहर्ष स्वीकार होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप कार्यवाही की प्रतियों का वितरण कब कर सकेंगे ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

आप उसे कब सस्पेंड करेंगे, उसके खिलाफ कब कार्यवाही करेंगे ?

श्री रियासत हुसैन---

एक सवाल मेरा है, स्पष्टीकरण के तौर पर, आपने जैसा पिछले वर्ष जवाब देते हुए कहा था जो अनियमिततायें हुई हैं यानी यह इस्टेब्लिशड है कि अनियमिततायें हुईं, लेकिन उनको बताना जनहित में नहीं है। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर अनियमितताएं जनहित में नहीं हैं तो उस रिपोर्ट पर बहस करने से पहले क्या उन अनियमितताओं को करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और वह जनहित में होगा या नहीं होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो तर्क आप दे रहे हैं उसको मैंने स्वीकार नहीं किया। चर्चा का विषय यह बना दिया गया और रिपोर्ट में वह आपके समक्ष है लेकिन जैसा कि चौधरी साहब ने बताया अमल से ताल्लुक रखने वाली यह चीज है। इस दृष्टि से अगर बहस चली तो सुझाव आयेंगे कि यह करना चाहिए। इसमें अधिकारियों के नाम भी लिये जायेंगे और कोई लपेट में भी आयेगा। इस प्रकार एक अच्छी तथा सुसंगत चर्चा के लिए हम तैयार हैं लेकिन समय कार्य-मन्त्रणा समिति में ही तय हो सकेगा। अगर तीन-चार रोज के बाद चर्चा हो सकती तो हो जाती लेकिन हाउस कब बैठेगा। और सरकार कब उस पर चर्चा के लिए तैयार है। तय करना होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार के पास तो पहले से रिपोर्ट मौजूद है और कुछ दिन तक वह गोपनीय बनी रही और आज भी सरकार यह कहने में सक्षम नहीं हो रही है कि उसने इस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की और आगे वह कौन सी कार्यवाही करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी बतला दें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जैसे ही अगला सत्र शुरू हो उसमें जिस दिन भी आप चाहेंगे उसी दिन चर्चा हो जायगी और जो कुछ हुआ है उसकी प्रतिलिपि वितरित कर दी जायगी और उसके बाद जो तिथि आप चाहेंगे दे देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर—

उस दिन तक कार्यवाही जो कुछ हुई है यह बड़ी वेग बात माननीय मन्त्री जो कह रहे हैं, वह यह कहेंगे निश्चितपूर्वक वह कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले दिन जब सदन बैठेगा वह अपनी रिपोर्ट दे देंगे और वह बट जायगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

रिपोर्ट बट चुकी है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सद्भावना से काम काम करना है तो इतनी बड़ी रिपोर्ट यह है। करोड़ों रुपए का गोलमाल है। जो अधिकारी सबसे बड़ा इसके लिए दोषी आप पाते हैं उसको कम से कम सस्पेंड करते। अब छानबीन की क्या जरूरत है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

त्रिपाठी जी मुझसे कहीं ज्यादा अनुभवी हैं। सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु कुछ प्रोसीडिंग्स हैं। शासन कोई कार्यवाही करता है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट बचती नहीं है। अनियमितताओं के ऊपर कार्यवाही हो रही है उस पर पूरी छानबीन की जाती है। जिस पर अभियोग लगाया जाता है उससे जवाब तलब किया जाता है तब कायवाही की जाती है। जो भी रिपोर्ट आई है उस पर कायवाही प्रारम्भ

[श्री गोपीनाथ दीक्षित]

हो गयी है। पी0सी0एफ0 तथा रजिस्ट्रार से सिफारिश मंगाई गई है। अब तक 42 आदमियों के विरुद्ध कार्यवाही भी हुई है और यह कार्यवाही बाकायदा चलती रहेगी और जो-जो कर्मचारी दोषी पाया जाता रहेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही होती रहेगी।

विशेषकर आदरणीय चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है किन्तु दुर्भाग्य से उसकी प्रतिलिपि अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो भी उसका फैसला होगा वह हमें शिरोधार्य होगा। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि रंगनलाल जी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने सरकारी पूंजी का जो प्रतिशत दिया है वह 7 प्रतिशत है और यही हाई कोर्ट का फैसला है कि सरकार की पूंजी 7 प्रतिशत है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसके हित में कार्यवाही की जायगी और उस पर विचार किया जायगा।

श्री चरण सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हाई कोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया था कि मामला किस तरह से है। किन्तु जिस फैसले की तरफ माननीय त्रिपाठी जी ने इशारा किया है उसे माननीय दीक्षित जी भली भांति जानते हैं क्योंकि वह रिकार्ड में है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उनके खिलाफ रिपोर्ट आल-रेडी मौजूद है, प्राइमा फेसी केस मौजूद है और आप कहते हैं कि आफिसरों के खिलाफ कार्यवाही करने के कायदे होते हैं। तो जो कायदे-कानून का तकाजा है वह पूरा हो गया कि जब उनके खिलाफ रिपोर्ट मौजूद है और वह भी एक नहीं कई रिपोर्ट्स हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है। आपने सिर्फ उनका ट्रांसफर कर दिया यह क्या बात हुई? अब आप कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। कार्यवाही आप करते हैं किन्तु उसमें देर लगेगी लेकिन जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार आदमी है उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं करते?

आप कहते हैं कि रिपोर्ट बहुत बड़ी है। सिर्फ 60 सफे की है। मैं समझता हूं कि उसे आपने पढ़ लिया होगा। आपके पास 6 लाख आफिसर हैं उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी होगी। मैं कहता हूं यदि बड़ी भी है तो दो-दो, तीन-तीन पेज हर एक को दे दीजिये। किन्तु प्रश्न यह है कि डेढ़ साल हो गया है 60 सफे की कुल रिपोर्ट है और अभी तक कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई है। कानून का पेट तो भर गया है किन्तु सारा सवाल तो दिल का है, मन का है और बेईमानों के खिलाफ कार्यवाही करने का है। मैं फिर कहूंगा कि आपकी गवर्नमेंट इसी तरह से काम करती रहे, हमें तो लाभ ही है आपका और पब्लिक का तो नुकसान हो रहा है। हम आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हैं, परमात्मा करे आप ऐसा ही काम करते रहें, पब्लिक अपने आप समझ लेगी। हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं और वह आपको कड़वी लग रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष जी, जो रिपोर्ट है उसके अनुसार इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की है और जिसके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए, जोकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की। यह तो वैसी ही बात हो गई जसे कि पुलिस वाले करते हैं। जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा कि यदि बेईमानों के खिलाफ कार्यवाही करने का आपका इरादा है तो जिनके खिलाफ रिपोर्ट है उनके ऊपर आप कार्यवाही करें। निर्दोष लोगों पर क्यों कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री रियासत हुसैन--

अन्त में एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। यह विषय इतना गम्भीर हो गया जिस पर इतनी देर से चर्चा हो रही है और यह सदन की प्रोसीडिंग्स में भी आ गया

होगा इसलिए यह जरूरी हो गया कि उतने बड़े अधिकारी जिसकी चर्चा इस सदन में हो गयी, यह जनहित में है कि कम से कम उसका नाम यहां जरूर मालूम हो जाय ताकि प्रदेश की सारी जनता को मालूम हो जाय कि वह अधिकारी कौन है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जब मैंने इस पर चर्चा प्रारम्भ कर दी और आपने भी इस पर चर्चा प्रारम्भ कर दी तो उधर के सुझाव पर आप इसको एक डेफिनिट पीरियड के लिए स्थगित कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप अभी इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शासन की तरफ से इस तरह का कोई सुझाव नहीं आया है।

श्री विश्वनाथ कपूर--

थोड़ी-सी चर्चा मैंने प्रारम्भ कर दी और चौधरी साहब ने भी थोड़ी-सी बात बतला दी तो अगर आप कहें तो मैं चर्चा शुरू कर दूं।

श्री रियासत हुसैन--

उस अधिकारी का नाम बतला दिया जाय।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मैं नाम बतलाता हूं। एक त्यागी जी हैं जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं और एक ओ0पी0 शर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। त्यागी जी यहां से चले गये थे तो फिर उनको बुलाया गया और भूतपूर्व मन्त्री पर लाखों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। इसमें कुछ करोड़ नहीं बल्कि पचासों करोड़ का गड़बड़ घोटाला है। 5 करोड़ रुपया तो अधिकारी ही खा गये। ये उस जमाने की बातें हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जो चीजें पर्दे के पीछे हैं उनको वे सामने नहीं लाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप अभी चाहते हैं कि इस पर चर्चा शुरू हो जाय, तो हमें एतराज क्या है?

श्री बंशीधर पांडेय-

डेट तो बतला दीजिए कि कब इस पर चर्चा होगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

कपूर साहब तो चाहते हैं कि अभी चर्चा शुरू हो जाय, फिर तारीख की क्या बात है?

श्री बंशीधर पांडेय--

तारीख निश्चित कर दीजिये, इसमें उनको भी कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप तारीख जरूर लगा दीजिये ।

श्री चरण सिंह---

फरवरी महीने का आखिरी शनिवार रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह हो सकता है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित---

जो भी तारीख आप कार्यवाही के वितरण के लिए निश्चित करना चाहें मुझे स्वीकार है। चर्चा के लिए भी जो तारीख आप निश्चित करना चाहें वह मुझे स्वीकार है, मुझे नहीं मालूम फिर बहस किस बात की ?

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा तो ठीक है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

कोई तारीख एलान कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा कि चौधरी साहब ने सुझाव दिया है, फरवरी के अन्तिम सप्ताह का शनिवार, उस दिन इस पर चर्चा करने के लिए रख दिया जाय ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मेरा ख्याल है कि फरवरी का आखिरी वृहस्पतिवार रख दिया जाय।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

तिथि के बारे में बाद में विचार करके तय हो जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

चौधरी साहब ने जो कुछ कहा उसमें बहुत दम और वजन भी है । सरकार रिपोर्ट पर बहस करना टालना चाहती है। अगर आपको समय नहीं मिले तो फरवरी के अन्तिम शनिवार के बदले अन्तिम शुक्रवार रख दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज शाम को कार्य मन्त्रणा समिति है, उसमें इसको रख दिया जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इसकी सूचना हमको कल मिल जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो उसमें रहेंगे ही ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के गठन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री उपाध्यक्ष---

अब कार्यसूची 16 पर वित्त एवं संसदीय कार्य मन्त्री अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

इस पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, मान्यवर। यह संकल्प माननीय मन्त्री जी ला नहीं सकते, किसी कीमत पर नहीं ला सकते। इसके बारे में नियम समिति ने नियम बना कर सदन में 10 जनवरी, 71 को प्रस्तुत कर दिया और वह पेंडिंग है। जब नियम पेंडिंग है तो इस पर आपत्ति हो सकती है, आब्जेक्शन हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम पेंडिंग हो, तो नियम लम्बित होने के की वजह से कार्यालय का कोई कार्य कैसे रोक दिया जाय? वह नियम तो खुद रुका हुआ है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

पहले मेरी बात आप सुनलें, उसके बाद कोई निर्णय दें। नियम समिति ने नियम बना कर सदन के पटल पर रख दिया 10 जनवरी, 71 को। अगर समय नहीं मिला और आपत्तियों का समय समाप्त हो गया और अब मंशा इस सदन की है कि जो नियम पेंडिंग हैं उस पर यहां डिस्कशन हो, तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर कोई नियम पेंडिंग हो तो क्या उसके खिलाफ कोई संकल्प आ सकता है?

उस नियम के विपरीत है जो हमने डिसक्शन के लिए रखा है। दूसरी बात यह है कि एक संकल्प के निरस्त करने की बात है। मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि जब नियम निलम्बित हैं तो इस पर बहस नहीं हो सकती। नियम नहीं बन सकते।

श्री उपाध्यक्ष—

आप स्वयं कह रहे हैं कि नियम नहीं बन सकते, नियम निलम्बित है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

इसका नतीजा क्या होगा। नियम निरस्त करना नहीं चाहते हैं और नियम पड़े रहेंगे। यह नियमों के विपरीत दे रहे हैं। नियमों के खिलाफ कोई चीज नहीं आ सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो नियमों की स्थिति के वर्णनातीत है उसके आधार पर बात न करें। सम्भावित, कल्पित अथवा दुष्कल्पित विचारों से रहित होकर बात करें। जब तक वे नियमों के रूप नहीं ले लेते तब तक हम अपने कर्त्तव्य से च्युत हों इस बात को मैं नहीं मानता हूं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

अगर यह संकल्प पारित हो गया तो नियमों की क्या स्थिति होगी?

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी स्थिति क्या होगी जब वह नियम ही नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं कह रहा था कि एक यह संकल्प है और दूसरी बात और है जिसके अन्तर्गत संकल्प की बात आ रही है। वह एक सप्ताह पहले मिलना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपकी आपत्ति निर्मूल है। निवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप नियम बताइए।

श्री विश्वनाथ कपूर—

श्रीमन्, मैं नियम बता रहा हूं कि एक सप्ताह पहले वह आना चाहिये । वह नियम में दे रहा हूं। नियम 86 की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं। वह इस प्रकार है कि "यदि मन्त्री कोई संकल्प उपस्थित करना चाहें तो वे सात दिन की सूचना देंगे"।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो दूसरी बात आप कह रहे हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, पहले मेरी बात सुन तो लीजिये फिर निर्णय दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक ऐसी बात उठा रहे थे ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

पहले मैं एक बात कह रहा था। दूसरी बात मैं कहता लेकिन कहने नहीं दे रहे हैं। सात दिन की सूचना देंगे और उसके साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को जो साधारणतया उसकी प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

परन्तु अध्यक्ष, उससे कम समय की सूचना स्वीकार कर सकेंगे ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

इस पर श्रीमन्, मैं आ रहा हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

9 जनवरी को नोटिस सरकार से आई थी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

लेकिन यह हमें 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई है। यह हमें 48 घंटे के भीतर मिलना चाहिए था, जब आप के आफिस में यह आया उसके 48 घंटे के भीतर हमें वितरित होना चाहिए था लेकिन वह नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

17 जनवरी, 1973 को श्री अध्यक्ष ने इसे कार्यसूची में रखने का आदेश दिया।

श्री विश्वनाथ कपूर—

नियम है कि एक सप्ताह पहले सूचना देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना तो है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

प्रश्न यह है कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, इसको देखने दें और हम भी विचार करलें और परन्तुक जो है वह तो असाधारण स्थिति के लिए है लेकिन वह साधारण स्थिति के लिए नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अभी इस संकल्प को देख रहा था जो एजेंडे पर छपा है। इसमें लिखा है कि "यह विधान सभा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के गठन के सम्बन्ध में विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1970 को पारित तथा विधान परिषद् में विचारार्थ लम्बित संकल्प को निरस्त करते हुए यह संकल्प करती है कि..." मेरा मतलब यह है कि चूंकि उपरोक्त संकल्प विधान परिषद् में विचारार्थ लम्बित है इसलिए इस संकल्प को निरस्त करने का प्रस्ताव करना सदन के कार्य-क्षेत्र पर एक अतिक्रमण होगा। इसलिए इस संकल्प पर हमारे यहां से निलम्बन या निरस्त करने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए, इससे यहां के कार्य में बाधा पड़ेगी। यदि ऐसा होगा तो उस सदन में जो विचारार्थ लम्बित संकल्प है उसमें बाधा पैदा होगी। जब तक वहां से वह पारित न हो जाय और सूचना सदन को न मिल जाय उस पर यहां विचार नहीं होना चाहिए। अगर सरकार कोई प्रस्ताव लाना चाहती है या संशोधन लाना चाहती है तो वह पहले परिषद् में आना चाहिए यहां नहीं.....।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं उस भाग को पढ़ने ही नहीं जा रहा था, मैं आपका आभारी हूं, आप ने मेरी बात को.....

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह तो संकल्प छपा है एजेंडे में संशोधित कैसे करेंगे। यह देखिये कि यह इनका तरीका है....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं इसे संशोधित रूप में रखने वाला था, आप पहले ही खड़े हो गये। वह छप गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस रूप में सदन के समक्ष रखा जायगा वही माना जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपने श्री विश्वनाथ कपूर के व्यवस्था प्रश्न पर कहा कि अध्यक्ष जी ने आदेश दिया कि यह रखा जायगा और आपने स्वीकृति दे दी तो वह सदन में जैसे एजेंडे पर आया है उसकी ही तो स्वीकृति हुई है। इस तरह से चोर दरवाजा खुल गया है। आप यह बतायें कि विधान परिषद् में यह संकल्प विचारार्थ लम्बित है या नहीं और अगर वहां लम्बित है तो इस पर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

यह विधान सभा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के गठन के सम्बन्ध में विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1970 को पारित संकल्प को निरस्त करते हुए यह संकल्प करती है कि :—

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये चाहे उसकी शब्दावली का इस्तेमाल करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

1—राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जाये, जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति कहलायें और जिसमें 35 सदस्य हों, जिसमें से 25 विधान सभा और 10 विधान परिषद् के होंगे । यह सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल-संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट) द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित होंगे :

2—उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

(क) अनसूची में उल्लिखित और नेता सदन (मुख्य मंत्री) के परामर्श से अध्यक्ष विधान सभा द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की तथा संतुलन-पत्रों और लाभ एवं हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना, जिन्हें तयार करने की राज्यपाल ने अपेक्षा की हो या जो किसी विशेष सार्वजनिक उपक्रम या निगम के लिये वित्तीय व्यवस्था विनियमित करने वाले संविहित नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत तैयार किये गये हों, और उन पर महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की, यदि कोई हो, जांच करना ।

(ख) उक्त उपक्रमों एवं निगमों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुये उनकी दक्षता की जांच ऐसे दृष्टिकोण से करना कि क्या उनका प्रबन्ध ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों तथा व्यापारिक कार्य प्रणाली के अनुसार किया जा रहा है ।

(ग) उक्त उपक्रमों एवं निगमों के सम्बन्ध में अन्य ऐसे कर्तव्य जो अन्यथा लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के कार्य-क्षेत्र में आते हैं और जिन्हें विधान सभा के अध्यक्ष इस समिति को समय-समय पर निर्दिष्ट कर दें । प्रतिबन्ध यह है कि समिति निम्न मामलों की जांच नहीं करेगी:—

1—शासन की नीति के प्रमुख मामलों जो सार्वजनिक उपक्रमों के व्यावसायिक कार्यों से भिन्न हों ।

2—दिन-प्रति-दिन के प्रशासकीय मामले ।

3—ऐसे मामले जो सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की स्थापना करने वाले अधिनियम द्वारा किसी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किये जाने हों ।

3—(अ) उक्त समिति विधान मंडल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी ।

4—उक्त समिति के सभापति की नियुक्ति उसके सदस्यों में से विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी । समिति की बैठक करने के लिये गणपूरक संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी । प्रथम समिति के सदस्य अपने पदों पर वर्तमान विधान सभा की अवधि तक रहेंगे तथा उसके बाद संघटित समिति का काय-काल वह वित्तीय वष होगा जिसके लिये वह संघटित की जाय परन्तु ऐसे कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी वह उस समय तक बनी रहेगी और कार्य कर सकेगी जब तक कि नयी समिति संघटित न हो जाय ।

अन्य विषयों में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के समितियों से सम्बन्धित उपबन्ध ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायं ।

5—उक्त समिति के गठन के दिनांक से सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों सम्बन्धी सभी कृत्य विधान सभा की लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति के अधिकार-क्षेत्र व कृत्यों के बाहर होगा और इसके लिये उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में आवश्यक संशोधन करने की नियत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाय ।

6—इस संकल्प के अधीन उक्त संयुक्त समिति के गठन के दिनांक से विधान सभा एवं विधान परिषद् की तद्विषयक पृथक-पृथक समितियां समाप्त हो जायेंगी ।

7—यह सदन विधान परिषद् से यह सिफारिश करता है कि यदि विधान परिषद् इस संकल्प से सहमत हो तो उक्त संयुक्त समिति के गठन के लिये परिषद् द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नामों की सूचना इस सदन को दे ।

अनुसूची

1—उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

2—उत्तर प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ।

3—उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ।

4—उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ।

5—उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।

6—उत्तर प्रदेश इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ।

7—उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड ।

8—उत्तर प्रदेश स्टेट शूगर कारपोरेशन लिमिटेड ।

9—उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड ।

10—उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिजेज कारपोरेशन लिमिटेड ।

11—उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग बोर्ड ।

12—उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन कारपोरेशन ।

13—हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ।

14—प्रदेशीय इन्डस्ट्रियल ऐन्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर-प्रदेश लिमिटेड ।

15—इन्डियन टरपेन्टाइन ऐन्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड ।

16—उत्तर प्रदेश स्टेट हैंडलूम कारपोरेशन लिमिटेड ।

17—पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड ।

18—बुन्देलखंड विकास निगम लिमिटेड ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, इसमें उत्तर प्रदेश मंत्रि मंडल लिमिटेड भी जोड़ दिया जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उत्तर प्रदेश विरोधी पक्ष अनलिमिटेड भी इसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह दल इतना अनलिमिटेड हो जाय कि सब इधर पंहुच जायें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप इस "अनलिमिटेड" को मान लें, हमें लिमिटेड की मान लेंगे ।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो है वह इसलिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय 2—2 पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटीज चल रही हैं । एक इस सदन की और एक दूसरे सदन की कमेटीज हैं । इस सदन की भी इच्छा थी कि एक ही समिति होनी चाहिये । दूसरे एक निगम या कापोरेशन के लिये एक ही रिपोर्ट होना आवश्यक है, भिन्न-भिन्न रिपोर्ट्स नहीं होनी चाहिये । इस सदन की भावना भी थी कि इस प्रकार एक समिति बनायी जाय । इससे कि एक तो इस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है । दूसरे लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के काम का क्या बटवारा होगा । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था । यह मामला कई बार आपके सामने आया कि लोक लेखा समिति क्या करेगी, प्राक्कलन समिति क्या करेगी और पब्लिक अन्डर-टेकिंग क्या करेगी । किस विषय पर कौन-कौन जांच करेगा । अगर मान लिया जाय कि आडिट रिपोर्ट में कोई ऐसा पैराग्राफ है जो कि पब्लिक अन्डरटेकिंग के बारे में है तो उसकी दोनों समितियां जांच करें और उसमें भिन्न-भिन्न रिपोर्ट हो सकती है । तो यह बहुत उचित नहीं होगा । इसलिये बैठक अध्यक्ष जी ने बुलाई थी और पारस्परिक विचार विनिमय भी हुआ था । उसमे यह विचार आया था कि इसमें स्पष्टीकरण कर दिया जाय ।

इस बैठक में आपकी जो पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमन हैं उनसे भी परामर्श का मौका मिला । उन्होंने कहा कि जो सहकारी संगठन हैं उनको भी पब्लिक अन्डरटेकिंग में शामिल होना चाहिये, मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि ये दोनों कमेटियां एक साथ होनी आवश्यक हैं इसलिये यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाय । एक बैठक बुला लें जिसमें सभापति, लोक लेखा समिति, सभापति प्राक्कलन समिति और सभापति पब्लिक अन्डरटेकिंग हों और अगर आप आज्ञा दें तो अन्य नेता जो हैं, वे भी हों, और उसमें यह तय कर लिया जाय कि सहकारी समितियों का जो स्कोप है उसके संगठन के बारे में क्या हो, उसमें अन्तिम निर्णय ले लिया जाय और जो निर्णय हो उसके अनुसार यदि आवश्यकता पड़े तो स्कोप में संशोधन कर दिया जाय । तो मैं आग्रह करूंगा कि समिति के कार्य में एकीकरण होना चाहिये, कार्य का समीचीन बंटवारा होना चाहिये, । इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इसको पारित कर दिया जाय ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं निवेदन कर दूं कि जितनी 25—26 स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण है पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी । तो यह बात समझ में आती है कि एस्टीमेट्स कमेटी का कार्य एस्टीमेट्स का होता है इसलिये उसका अध्यक्ष नामांकित होता है सरकारी पक्ष का और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का चेयरमैन विरोध पक्ष का होता है । जितनी भी प्रस्ताव में बातें हैं ये सब बातें सार्वजनिक संस्थानों की जांच करने की हैं जसा कि लिखा है—उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे—

(क) अनुसूची में उल्लिखित और नेता सदन (मुख्य मंत्री) के परामर्श से अध्यक्ष विधान सभा द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य सार्वजनिक उपक्रमों तथा निगमों की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा—विवरणों की तथा संतुलन पत्रों और लाभ एवं हानि के लेखों के ऐसे विवरणों की जांच करना.....

मेरा अनुरोध है कि इसमें संसदीय कार्य मंत्री को बहुत उदारता के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि जिस पार्टी की सरकार होगी उसी पार्टी का अध्यक्ष उसके द्वारा ही आज तक तो यह है कि पब्लिक अन्डरटेकिंग एस्टीमेट्स कमेटी का काम नहीं करेगी बल्कि इसका कार्य पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के अनुरूप है इसका काम एस्टीमेट्स का नहीं है । जांच करने का काम है ।

अब आप यह सोंचे कि इसका जो नेचर आफ वर्किंग है वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की तरह से संस्थानों की जांच करना है और उनमें सुधार लाना है। यह कार्यक्रम कोई सरकारी दल की ओर से, जिस पार्टी की सरकार है, उसी के अध्यक्ष से यह कभी नहीं हो सकता। अभी तक पब्लिक अन्डरटेकिंग बनी हुई है। मैं कहना नहीं चाहता वह हाउस की कमेटी है, अध्यक्ष द्वारा नामांकित है। उसमें आदरणीय सदस्य हैं लेकिन मुझे जो रिपोर्ट मिली है इस कमेटी के मेम्बर्स स्वयं इसके कार्य से सन्तुष्ट नहीं थे जो आपसे और मुझसे भी कह चुके हैं। चाहे इधर के मेम्बर हों या उधर के हों। इसका कारण यह है कि सरकारी दल के चेयरमैन हो जाने से इस कारपोरेशन आदि की जांच वे नहीं कर सकते हैं। सरकारी दल का चेयरमैन मिनिस्टर के खिलाफ, जैसा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कहा, उसकी इतनी हिम्मत या क्षमता नहीं पड़ेगी कि वे मंत्रि परिषद् के सदस्यों या जो कुछ चहेते लोग हैं आई० ए० एस० उनके खिलाफ वे कार्यक्रम कर सकेंगे.... ।

इसलिये मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इसमें इनको लाना चाहिये कि कम से कम दो कमेटी हों। आप देखें कि जितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके अध्यक्ष मंत्री हो जाते हैं। मैंने एक बार सुझाव भी दिया था और पं० कमलापति जी ने स्वीकार भी किया था कि स्टैंडिंग कमेटीज का बनाना निरर्थक है और मेम्बर्स भी असंतुष्ट रहते हैं। तीन चार बड़ी कमेटीज हैं जिनके लिये हर पार्टी में झगड़ा होता है। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी के लिये लाये होते कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन सभी मिनिस्टर के अलावा नान आफिशियल होगा तो म खुश होता क्योंकि मंत्री को फुर्सत नहीं रहती। बावजूद इसके कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि चार पांच मीटिंग साल में होनी चाहिये लेकिन वह नहीं होती।

जितनी मेहनत से इन कमेटीज का चुनाव होता है उतना लाभ नहीं होता और केवल नाम के लिये यह कमेटीज होती हैं। इसलिये इन कमेटीज का अध्यक्ष मिनिस्टर न रहे और यदि शासक पार्टी चाहती है तो अपना आदमी ही उसका अध्यक्ष बना दे। जितना अनुपात आपका निकले उतने आप अध्यक्ष बना दें और हमारी तरफ जितना अनुपात निकले उतने हमारे आदमियों को अध्यक्ष बना दें। जिस कमेटी का अध्यक्ष मिनिस्टर हो जाता है तो चाहे मेम्बर्स यहां वोट कर दें लेकिन दिल में सब यही महसूस करते हैं कि मंत्री जिस कमेटी का अध्यक्ष हो जाता है उस कमेटी का बेड़ा गर्क हो जाता है क्योंकि मंत्री कभी कमेटी बुलाते नहीं। या तो वह दिल्ली की दौड़ में लगे रहते हैं और या किसी और काम में। अगर आप चाहते हैं कि स्थायी समिति कार्यशील हो और उससे कोई लाभ मिले तो उन कमेटीज का अध्यक्ष नान आफिशियल आदमी को बनायें। चाहे तो मंत्री भी उसमें बैठे। मंत्री को उसमें बैठना चाहिये। इससे कोई शान कम नहीं होती क्योंकि एक्री मेम्बर इज ए पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर। हर मेम्बर चीफ मिनिस्टर हो सकता है। इसलिय मैं जोरदार अपील करूंगा कि अगर संसदीय कार्य मंत्री चाहते हैं कि सही मायने में इसका लाभ हो तो इसका अध्यक्ष विरोधी दल के सदस्यों में से स्वीकार करना चाहिये ताकि विरोधी दल का अध्यक्ष सारी चीजों की जांच करके प्रभावशाली कार्यक्रम आपके सामने रख सके।

एक कमेटी का जिक्र और कर दूं। एक डेलीगेटेड कमेटी है। उनके अध्यक्ष यहां हैं नहीं। उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं और इसे आप उनको कन्वे कर दें। उन्होंने बहुत मेहनत की। यह सरकारी कमेटी है। चेयरमैन और सदस्य सभी लोग इसमें ह। मैं चेयरमैन बदलने की बात कर रहा था। चेयरमैन शासक कांग्रेस के हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट जो आई, उसके एक अक्षर को भी इस सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अभी तक 27 या 30 प्रतिवेदन दे दिये। इनकी पार्टी के चेयरमैन हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है और कार्यवाही उसके बाद नहीं की गई। वही हश्र इस कमेटी का भी होगा, अगर उसमें शासक कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। आपने देखा, अभी रोशन लाल कमेटी

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

की बात आई। कोआपरेटिव मिनिस्टर सो रहे थे। मिनिस्टर ने जैसे देखा ही नहीं, एक साल पहले रिपोर्ट छपी थी, पिछली मई में सदस्य चर्चा कराना चाहते थे और आज तक नहीं हो सकी। अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तो कब करेंगे ? इसलिये आप इस कमेटी में परम्परा कायम कीजिये। अगर जांच कराना चाहते हैं तो ऐसा किया जाय। सुझाव प्रभावकारी लाना है, तो विरोधी चेयरमैन की बात इसमें स्वीकार करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जो वित्त मंत्री जी ने संकल्प रक्खा है उसमें मुझे नम्बर 5 के बारे में घोर आपत्ति है। इसमें कहा गया है कि इन 18 कारपोरेशन्स को, जो अनुसूची में हैं, उनको पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के परव्यू से निकाल दिया जावेगा। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी यह दो कमेटीज इस सदन की ऐसी कमेटीज हैं जो सारे रुपये पैसे के बारे में पूरे तौर से विचार करती हैं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी जब ए0 जी0 की रिपोर्ट आ जाती है तब विचार करती है कि गड़बड़ी हुई है या नहीं और कहती है कि यह कार्यवाही की जाय।

इसी तरह से एस्टीमेट्स कमेटी है। इसके सामने जो सप्लीमेन्ट्री बजट है उसे एस्टीमेट्स कमेटी के सामने आना चाहिये और वह देखें कि नये आइटम्स ठीक हैं और अपनी उन पर सिफारिश करे। यह एक परम्परा पड़ी हुई है। एस्टीमेट्स कमेटी को आजतक वह काम नहीं सौंपा गया जो होना चाहिये। एस्टीमेट्स कमेटी के सामने सप्लीमेन्ट्री बजट के प्रस्ताव जो होते हैं या नई मदें होती हैं, वह नहीं जाती हैं। बार-बार इस पर जोर दिया गया कि एस्टीमेट्स कमेटी का जो काम है वही इससे लिया जाय। इससे वह काम न लिये जाने के कारण यह भी वही काम करती है जो पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी करती है। बार-बार अधिकारियों से कहा जाता है कि जो एस्टीमेट्स भेजे जाते हैं वह इस कमेटी के सामने आने चाहिये क्योंकि इस हाउस की यह सबसे ज्यादा जिम्मेदार कमेटी है। वह उन पर विचार कर ले कि वह सही है या गलत है। जो इन मदों पर रुपया खर्च किया गया है वह बरबाद तो नहीं हुआ है। इस कमेटी की उस पर सिफारिश हो कि सप्लीमेन्ट्री की शक्ल में रुपया दे दिया जाय लेकिन बार-बार लिखत पढ़त की गई है कि हमारी एस्टीमेट्स कमेटी का इस सदन का परव्यू क्या हो लेकिन उस पर आजतक सफाई नहीं हो पाई है। माननीय अध्यक्ष से भी एस्टीमेट्स कमेटी की ओर से रिक्वेस्ट की गई और वह आये। उन्होंने कहा कि एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी दो ऐसी कमेटीज हैं जो इस सदन के द्वारा एक-एक पैसा जो किसी भी मद में पास किया जाता है, उसके ऊपर विचार कर सकती हैं।

श्रीमन् नं० 5 के अन्दर लिख दिया कि ये 18 चीजें जो हैं, जिसके अंदर बोर्ड, कारपोरेशन, एग्रो, हिल डेवलपमेंट बोर्ड से जितने बन चुके हैं और 10/5 जो बनने जा रहे हैं, इन सारे मामलों में जो पैसा खर्च होगा, उसके ऊपर एस्टीमेस्ट्स कमेटी कोई विचार नहीं करेगी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी कोई विचार नहीं करेगी। लेकिन, श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। उदाहरण के लिये एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के मसले को ले रहा हूं, कि जो खर्च की बात आये, तो सदन इसको वोट करे, सवाल बजट में आये तो उसे पास करे कि इतना रुपया दे दिया जाय। जब सदन इन सारे 18 बोर्डों को चलाने के लिये, डेवलपमेंट के खर्च के लिये, सारी मदों को पास करेगा तो यह मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि एस्टीमेट्स कमेटी जो कि बजट के एस्टीमेट्स पर विचार करने के लिये खासतौर से बनाई गई है, उसके परव्यू से बाहर से 18 चीजें कैसे चली गयी ? सिर्फ यह कहकर उनको नहीं दिया जाता कि इनकी गोपनीयता खतम हो जायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जो बजट के प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से चलते हैं, वहां उन्हें सुपरवाइजर, क्लर्क और ओवरसीयर आदि बनाते हैं और वहां से चलकर वे विभाग में होते हुये आपकी सरकार में और फिर मंत्री जी के पास आते हैं कि इन मदों में इतनी रकम की जरूरत है। इतने करोड़ रुपये को सदन के अंदर पास कराया जाय। तो वहां गोपनीयता नहीं भंग होती है। लेकिन उसी प्रपोजल को, उसी स्कीम को यदि माननीय सदस्यों की जो एस्टीमेट्स कमेटी है, उसके सामने मांगा जाय तो अधिकारी यह कहते हैं कि इसलिये नहीं दिये जा सकते क्योंकि उससे उसकी गोपनीयता भंग हो जायेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब सदन का हर माननीय सदस्य, जिसने यहां पर बैठने के पहले आपके पास जाकर इस बात की ओथ ली है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम हर काम ढंग से करेंगे, जब उसको वह प्रपोजल मालूम हो जायगा, तो कैसे उसकी गोपनीयता भंग हो जायगी ? और क्लर्क, चपरासी, ओवरसीयर और सुपरवाइजर, जो मौके पर उसको बनाकर भेजते हैं, वहां उसकी गोपनीयता नहीं भंग होती ?

हां, अगर कहीं नये टैक्सेज और रिसोर्सेज का सवाल हो, कि कहां से पैसा वसूल होगा, तब तो बात है कि नये टैक्सेशन का प्रपोजल बजट प्रस्तुत होने के पहले सदस्यों के सामने चला जायेगा तो उस लीकेज से वे अनड्यू फायदा उठायें। लेकिन जहां विकास का सवाल है, प्लानिंग का सवाल है, सड़कों, नहरों और बिजली का सवाल है, उनमें कौनसी बात है कि जिससे गोपनीयता भंग हो जाती है। क्लर्क, ओवरसीयर, सुपरवाइजर, आई० ए० ए० आफिसर से गोपनीयता नहीं भंग होती, लेकिन एस्टीमेट्स कमेटी के सामने से गोपनीयता भंग हो जायगी। इन पब्लिक अन्डरटेकिंग में कोई गड़बड़ी न हो, इसलिये माननीय सदस्यों की ये कमेटी बनी कि कोई घपला न हो, कोई गड़बड़ी न हो।

चूंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी उस वक्त विचार करती है, जब आडीटर की रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट का पोस्टमार्टम पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी करती है, इसलिये यह जरूरी समझा गया कि उससे पहले एक समिति बने जो इन पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में जा करके उसके अन्दर कौड़ी-पैसे का हिसाब देख सके और सारी बातों पर विचार कर सके कि वहां रुपये की बरबादी तो नहीं हो रही है, गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी बनाये जाने के लिये सदन के सामने मसला आया था और सदन ने उसको पास किया था। एस्टीमेट्स कमेटी तो इतनी अहम कमेटी है कि वह फाइनेंस कमेटी को रिप्लेस करती है। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी आडिटरों की खर्च की सारी रिपोर्ट का पोस्ट-मार्टम करती है। उसके अधिकारों को करटेल कर दिया जाये, उसके अधिकारों को खत्म कर दिया जाए और यह कह दिया जाये कि अब पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी इन बातों में जायेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इस माननीय सदन की एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी अपनी अपनी जगह काम करती हैं वे अहम कमेटीज हैं। यह इन कमेटियों का अधिकार है कि वे एक-एक पैसे का हिसाब देखें जो कि इस माननीय सदन द्वारा पास किये गये बजट से स्टेट के अन्दर किसी भी अन्डरटेकिंग्स में लगा हुआ है। यह अधिकार एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का रहना चाहिये, यही मेरा सुझाव है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस संबंध में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। यह जो संकल्प रखा गया है जिस कमेटी के निर्माण के लिये, मान्यवर, मैं उसे बहुत समझ नहीं पा रहा हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुयी जबकि इन कार्यों के लिये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी है। हां, जो कारण दिये हैं उनमें थोड़ा भेदभाव इन्होंने रख दिया है। मैं अधिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कुछ नहीं कहना चहता, कदाचित केंद्रीय सरकार ने भी एक ऐसी ही कमेटी बनायी है, जहां तक कि मेरी सूचना है ।

(इस समय 3 बजकर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुए) । उस संबंध में हमारा एक एतराज है । मेरा ऐसा अनुभव है कि अगर कमेटी के सदस्यों की संख्या बहुत लम्बी है तो कार्य जिस कुशलता से होना चाहिये वह नहीं हो पाता है । 25, 10, 35 सदस्यों को जो इन्होंने प्राविधान किया है, वह मेरी समझ में बहुत ही अधिक है । दरअसल काम नहीं होगा । किसी और दृष्टिकोण से आपने 35 रखा होगा । राजनीतिक दृष्टिकोण है अगर किसी को कुछ न बना सकें तो उसको कमेटी में ही रख दें, यह दूसरी बात है । पार्लियामेंट में 520 सदस्य होते हैं । वहां पर लोक सभा के 10 सदस्य और राज्य सभा के 5 या 6 ही कुल मिलाकर 15–16 इंडस्ट्रियल अन्डरटेकिंग कमेटी के सदस्य हैं, जैसी कि मेरी सूचना है । बहुत अनवील्डी कमेटी नहीं बननी चाहिये । न बैठने की जगह होगी और न रहने की जगह होगी । आप दलील दे सकते हैं कि छोटी छोटी सब कमेटीज बना देंगे । उनके लिये तो स्टाफ भी नहीं मिलता है । अनेक दिक्कतें आ जायेंगी । तो 35 की संख्या बहुत अधिक है ।

दूसरी बात बंशीधर जी ने चेयरमैन के बारे में कही । बात सही है कि इसका चेयरमैन नान-आफिशियल, नान-आफिशियल तो मैं गलत कह गया, सरकारी दल का नहीं होना चाहिये । अभी कोआपरेटिव फेडरेशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुयी । सरकार के सामने भी दिक्कत होती है–वह किसी सरकार को बचाने की कोशिश करती है, कहीं रिपोर्ट ऐसे आदमी के हाथ में न आ जाये जो सरकार से सहमत न हो । मंत्री जी को प्राविधान करना चाहिये कि सरकारी पक्ष का कोई व्यक्ति इसका चेयरमेन न हो अगर नेकनीयती से इस समिति का निर्माण करना चाहते हैं तो और अधिक नहीं कहना चाहता । इसको नहीं समझ पा रहा हूं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी के रहते हुए इस कमेटी की आवश्यकता क्यों पड़ी ? अधिक इसलिए नहीं बोलता हूं कि केंद्र में चूंकि एक कमेटी बनी है, कदाचित आपके पास आधार हो इसका ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्रीमन्, अभी आप जब वहां पर आसीन थे तो आप इस विषय पर कुछ विचार प्रकट कर चुके हैं और फिर पीठासीन हो गये । अब इसी विषय पर चर्चा होगी और संभवतः आपको कोई रूलिंग देनी पड़ेगी । तो जो विचार आपने व्यक्त किये और जो हम व्यक्त कर रहे हैं उनके बाद अगर कोई रूलिंग देनी पड़े जिसमें कि स्वयं आप चर्चा के अन्दर एक हिस्सेदार हो गये तो क्या श्रीमान के लिये उचित होगा कि आप पीठासीन हों और फिर उसके ऊपर अपनी रूलिंग दें?

श्री अधिष्ठाता—

इसका निर्णय तो सदन स्वतः करेगा जो कुछ भी संकल्प प्रस्तुत है उस पर मैं नहीं करूंगा ।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

नित्यानन्द स्वामी जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो मैं और आप दोनों ही एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य हैं । मैं आपके विचार से जो आपने पहले प्रकट किये उनसे पूर्णतया सहमत हूं और यह इत्तफाक है कि आप कुर्सी पर बैठे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आप अपने भाषण में कह दीजियेगा, लेकिन इस समय मुमताज मोहम्मद खां साहब को जरा सुन लीजिये पहले ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, जो सदन में संकल्प प्रस्तुत है, मैं उससे सहमत हूं, बहुत हद तक सहमत हूं, हालांकि उसमें जो अनुसूची दी गयी है उसमें एक बात को देख कर मुझको आश्चर्य हुआ । उसमें सहकारी जो संस्थायें थीं जो कि प्रथम संकल्प में इस विधान सभा में दिसम्बर, 1970 में पास हुआ था उसमें थीं, उनको निकाल दिया गया। समिति के सम्मुख यह प्रश्न बार-बार आया और इसके संबंध में काफी विचार-विमर्श किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय ने एल0 आर0 से भी इसके संबंध में राय मांगी और वह आयी । सहकारिता विभाग की ओर से भी इसका विरोध किया गया । एकाउन्टेंट जनरल ने भी अपनी राय दी कि सहकारी उपक्रम किसी समिति की परिधि में होने चाहिये । मैं माननीय संसदीय-कार्य मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने सदन को यह आश्वासन दिया है कि इस विषय पर बाद में बैठ कर विचार-विमर्श कर लिया जायगा, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय ने .....

श्री कल्पनाथ सिंह—

मुझे यह कहना है कि 4 बजकर दो तीन मिनट हो गये और नियमों के अन्तर्गत नियम 51 में सूचनायें 4 बजे ले ली जायंगी । आज एजेंडे पर नियम 51 का एक वक्तव्य है खाद्यान्नों पर चर्चा से संबंधित, तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह जो भाषण है, अब अगले दिन उस पर चर्चा हो। इस विषय पर और जो आज नियमित एजेंडा है वह चलना चाहिये ऐसी कृपा करिये ।

श्री अधिष्ठाता—

यह भी एजेंडा के अन्दर है, उसी के आधार पर मुमताज साहब का भाषण हो जाय। अगर आप लोग बोलना चाहेंगे उसके बाद तो वह सब कार्यवाही हो जायगी । तसल्ली रखिये, वह सब कार्यवाही हो जायगी जो नियम 51 के अधीन है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

4 बजे, नियमों में यह है कि, नियम 51 की सूचनायें ले ली जायंगी ।

श्री अधिष्ठाता—

जिस वक्त समय आयेगा, अध्यक्ष जी इसको ले लेंगे। सूचनाओं के आधार पर ही समय वे देते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नियम 51 की सूचनाओं को 4 बजे ही लिया जाता है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां—

माननीय सदस्य खामोखां सदन का समय बरबाद कर रहे हैं, इतनी देर में अपनी बात कह लेता ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सदन की कार्यवाही नियम के अनुसार ही तो चलेगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह कौन सा नियम है कि ठीक 4 बजे ही लिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

नियम है, मैं बताता हूं आपको।

श्री मदन मोहन मिश्र (जिला रायबरेली)---

जो विषय चल रहा है उसके समाप्त होने पर लिया जाता है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

इनके हिसाब से जब विषय यह समाप्त होगा तभी 4 बजेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

4 बजे के बाद ही ऐसी सूचनाओं को लिया जाता है । समय आने पर उसको लिया जायेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

नियम यह है कि समय से एक घंटा पूर्व लिया जायेगा, अर्थात् 4 बजे लिया जाना चाहिये ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

कल्पनाथ सिंह जी इस तरह से सदन का समय नष्ट कर रहे हैं, उन्हें सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

यह दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है, क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि फलां सदस्य सदन का समय नष्ट कर रहा है?

श्री अधिष्ठाता---

यह हर माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठाकर उस पर या कोई अन्य प्वाइंट आफ इन्फारमेशन पर जानकारी प्राप्त कर सकता है ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, यह मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक समिति के चेयरमैन भी हैं, इनको जरा समझा दीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं निवेदन करूंगा कि पुरानी दोस्ती को देखते हुए इसे खत्म करें ।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

यह क्यों भूल जाते हैं कि वे पी0 एस0 पी0 के सदस्य भी रहे हैं ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां---

मान्यवर, कल्पनाथ सिंह जी मेरे मित्र हैं, लेकिन अफसोस है कि उन्होंने इस समय सदन का समय बरबाद किया ।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया अपना भाषण जारी रखें ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

आप भी जरा कम बोलिये जनाब। (व्यवधान)

मैं अर्ज यह करना चाहता था कि जो सहकारी समितियां हैं .....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जरा एक बार और कह दें ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य गम्भीरता के साथ माननीय ममताज मोहम्मद का भाषण सुनें क्योंकि वह पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के जिस विषय पर विचार हो रहा है, उसके चेयरमैन हैं । इस लिये गम्भीरता से सुनें ।

*श्री मुमताज मोहम्मद खां--

उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझको निर्देश दिये थे कि जो सहकारी समितियां हैं उनको परिधि में ले सकते हैं । ऐसी सहकारी समितियां जिनमें सरकार का सार्वजनिक धन लगा हुआ है । इन अनुसूची में उनका कोई जिक्र नहीं है । मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिलाया है कि वह इस प्रश्न पर बाद में बैठ कर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ विचार कर लें । जहां तक समिति का मत है वह तो स्पष्ट है कि समिति इसको अपना अधिकार समझती है कि जो सहकारी समितियां हैं उनको वह अध्ययन कर सकें ।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आज सदन में जिक्र हुआ कोआपरेटिव फेडरेशन के संबंध में करोड़ों रुपये का गोलमाल है और उसमें गम्भीर अनियमितताएं हैं । तो क्यों नहीं सदन को अख्तियार हो जाता कि अपनी किसी समिति द्वारा उसको देख सकें, उसका परीक्षण कर सकें । जहां तक सहकारी समितियों के आडिट का ताल्लुक है, एकाउन्टेंट जनरल ध्यान आकर्षित कराते रहे हैं और वह चाहते यह हैं कि जो उनका प्राफिट और लास का खाता है, उसको देख सकें । लेकिन सरकारें आयीं और जाती रहीं, बदलती रहीं । लेकिन अभी तक किसी सरकार ने स्वीकार नहीं किया और एकाउन्टेंट जनरल की बात अभी तक नहीं मानी गयी । इसी तरह से यह आवश्यक हो जाता है कि सदन अपनी किसी कमेटी के जरिये, सरकारी समितियों को देख सके, उसका परीक्षण कर सके । मैं इससे सहमत नहीं हूं कि लोक सभा में ऐसी पद्धति नहीं है, या दूसरे प्रदेश में ऐसा नहीं है । यह कोई मिसाल नहीं है । अगर हमारा प्रदेश एक अच्छी मिसाल कायम करता है तो वह अच्छी बात है ।

जो पहला संकल्प इस विधान सभा में आया था और मंजूर हुआ था उसकी अनुसूची में सात सहकारी संस्थाओं का जिक्र था । आज खेद का विषय है कि इस अनुसूची में वह सात संस्थायें नहीं हैं जिनका रखना बहुत जरूरी है । जो अभी मान्यवर ने फरमाया पैराग्राफ पांच के लिये, मैं इस बात से सहमत हूं कि डुप्लीकेशन का वर्क नहीं होना चाहिये, वही विषय पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के पास चला जाय और वही विषय एस्टीमेट्स और पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी के पास चला जाय । अलहदा-अलहदा विषय हैं और हर कमेटी के अलहदा-अलहदा अधिकार हैं । यह संकल्प उसकी पूर्ति करता है।

जहां तक पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी का सवाल है, उसका जो कार्य है पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, और एस्टीमेट्स कमेटी दोनों से भिन्न है और उसमें काफी फर्क है । पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी आडिट रिपोर्ट पर विचार करती है । इसका दायरा देखने का बहुत बड़ा है और बहुत वसीय है । यह न सिर्फ लाभ और हानि को देखेगी बल्कि यह उसके साथ साथ जो वर्किंग का भी पहलू है वह जोड़ लेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मुमताज मोहम्मद खां]

अब तो बहुत ही शीघ्र हमारी समिति की प्रथम रिपोर्ट आयेगी, वह आप देखियेगा, वह फाइनेंशियल कारपोरेशन पर होगी, उसमें आपको ज्ञात हो जायेगा कि किस तरह से डिटेल में सारी चीजों को लिया गया है और किसी बात को छोड़ा नहीं गया है, हर बात पर गौर किया गया है। तो इन तीनों कमेटियों का कार्य अलग अलग हो, मैं यह नहीं चाहता हूं, न ठीक ही है कि काम का डुप्लीकेशन हो। ये जो एस्टीमेट, पी0ए0सी0 और सार्वजनिक उपक्रम समितियां हैं, इन तीनों का कार्य जुदा-जुदा है, अलग अलग है। मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि एक संयुक्त समिति बनेगी। इस समय इसकी, सार्वजनिक उपक्रम समिति की दो कमेटियां हैं, एक विधान सभा की है, एक विधान परिषद् की है। अब ये दोनों टूटकर एक में बन जायें, इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। इस वक्त बंशीधर पांडेय ने जो बातें कही हैं, पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी के विषय में, मैं उनसे और रामबिलास पांडेय से कहना चाहता हूं कि कौन उसका सदस्य है जो यह कह सकता है कि इस समिति ने अपना कार्य बहुत ही कार्य कुशलता और अच्छी तरह से नहीं किया है। यह जो हमारी रिपोर्ट आने वाली है, उससे आपको स्पष्ट हो जायेगा। मैं ऐसी गैर-जिम्मेदाराना बातें बहुत ही नापसन्द करता हूं। जो बंशीधर जी ने कहा है वह मुझे पसन्द नहीं है, उनके पास रामबिलास पांडेय जी बैठे हैं, वह बता सकते हैं कि उसने किस तरह से, कितने परिश्रम से अपना कार्य किया है। इतने गैर-जिम्मेदाराना ढंग से बात कर दी जाये, मैं समझता हूं वह इस सदन में कहना मुनासिब नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब कुछ संवैधानिक प्रश्नों पर श्री नेगी जी प्रकाश डालना चाहते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा समय है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

इससे मेरा बुनियादी मतभेद है और मैं बुनियादी तौर पर इस संकल्प का विरोध करता हूं। आप इसे देखें कि लोअर-हाउस की क्या स्थिति है। आप संविधान के अनुच्छेद 198 से 206 तक देखें, जो भी मनी-बिल होगा, उसका पुरःस्थापन केवल लोअर-हाउस में हो सकता है, कटौती केवल लोअर हाउस कर सकता है, आदि। तमाम वित्तीय अधिकार लोअर हाउस को हैं। इस संकल्प के द्वारा क्या कोशिश की जा रही है? लोक लेखा समिति का जो कार्यक्षेत्र है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है, इतना ही नहीं, उसके अतिक्रमण में केवल लोअर हाउस को नहीं बल्कि अपर हाउस को भी शामिल किया जा रहा है। यह सब मैं समझता हूं कि संविधान के विपरीत है। आपको ज्ञात होगा हमारी जो संसदीय अध्ययन समिति है, उसके सामने भी यह सवाल आया था कि क्या लोक लेखा समिति में अपर हाउस के सदस्य को भी शामिल किया जाए और उसने इस विषय में कहा है कि वित्तीय मामलों में लोअर हाउस अपने अधिकार किसी भी मामले में अपर हाउस को नहीं दे सकता है। दूसरे शब्दों में अपर हाउस को वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट की जो पी0ए0सी0 कमेटी है, उसने इस मामले में फैसला दिया है:—

"The Public Accounts Committee having been informed of the desires of the Council of States to be associated with Committee in their functions and having seen the draft rules framed by the Rules Committee of the Council of States regarding a Joint Committee of the two Houses on Public Accounts, hereby unanimously resolve that the Committee is strongly of opinion that the suggestion of a Joint Committee on Public Accounts or a separate Committee

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

of the Council of States in the nature of a Public Accounts Committee being against the principles underlying the Constitution is not acceptable.....

यह जब मावलंकर साहब के पास गया था, जो हाउस आफ पीपुल के स्पीकर थे, तो उन्होंने दिया था:—

"The question about a Joint Committee was raised at the instance of some Members of the Council of States, and the matter was referred to me by the Leader of the House of the People. I distinctly communicated to him my view that I could not be a consenting party to a Joint Committee either in respect of the Estimates Committee or in respect of the Public Accounts Committee and that for the simple reason that I feel it is against the spirit of the Constitution to give the Upper House any share whatever in the shaping of the decisions of the Estimates Committee or the Public Accounts Committee."

मान्यवर, इसके अलावा जो हमारी संसदीय अध्ययन समिति है, उसने विधि परामर्श की राय ली और उनकी भी यही राय थी कि वित्तीय मामलों में कोई भी हस्तक्षेप अपर हाउस का नहीं होना चाहिए। आप देखें कि लोक सभा के अन्दर जो लोक लेखा समिति है उसके अन्दर राज्य सभा के कुछ एसोसियेटेड मेम्बर्स लिये गये थे और जब प्रस्ताव आया तो माननीय मावलंकर ने कहा और स्पष्टतया इस बात की घोषणा की कि यह संयुक्त समिति नहीं है। यह लोक सभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में लोक सभा की समिति है।

यह एक विचार विनिमय, मतदान तथा अन्य बातों का प्रश्न है, अन्ततोगत्वा उसके सभी सदस्य हैं और उनका एक सा मत है। जहां तक लोक लेखा समिति में उनके कार्य करने का प्रश्न है, केवल यह अन्तर है कि वे राज्य सभा के चेयरमैन के नियन्त्रण में न रह कर लोक सभा के अध्यक्ष के नियन्त्रण में रहेंगे। यही केवल एक अन्तर है।

जब आपके अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के अन्दर जब यह प्रस्ताव आया तो उस समय भी आप देखेंगे कि वे बंगाल के जो स्पीकर थे उनको यह कहना था कि—

"There has been a unanimous resolution by Conference of the Chairman of Public Accounts Committee in India that Members of the Council should not be associated with the Public Accounts Committee."

उस कांफ्रेंस के अन्दर यह भी आबजर्व किया गया कि लोक सभा के अन्दर जो लोक लेखा समिति में राज्य सभा के सदस्य रखे गये हैं वह एक हेल्थी कंवेन्शन नहीं है और यह संविधान की स्प्रिट के खिलाफ है। जहां जब तक इस सदन का ताल्लुक है यह पहले ही यह प्रस्ताव पास कर चुका है कि अपर हाउस सुपरफ्लूअस बाडी है और इसको कायम नहीं रहना चाहिये। एक मत से इस सदन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। औचित्य यह है कि यह सदन अपने प्रस्ताव से अपर हाउस के सदस्यों को उस क्षेत्र के अन्दर हस्तक्षेप करने की आज्ञा न दे जिसमें वह संविधान के अन्तर्गत हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, संकल्प जो सदन के सम्मुख है, उसके लाने का कोई कारण सरकार के पास नहीं है लेकिन जैसा कि बतलाया गया मैं वह नहीं कहता कि सरकार की नीयत में खराबी है। नीयत ठीक होगी लेकिन सरकार यह चाहती है कि लोक लेखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवीर सिंह---]

समिति के अधिकार आहिस्ता आहिस्ता किसी तरह से खिसका दिये जायं और किसी रूप में दूसरी जगह पहुंचा दिये जायं और वहां उन बातों को देखा न जा सके जिसके लिये यह समिति बनाई गई है ।

दूसरे यह भी समझ में आता है कि शायद सरकार ने यह सोचा कि राज्य परिषद् के सदस्यों को भी उसमें शामिल कर लिया जाय जिस तरह से कि लोकलेखा समिति को फायनेन्शियल मेटर्स में कन्ट्रोल करने का अख्तियार है। यह सदन को बतलाया जा चुका है और इस तरह का प्रस्ताव दूसरी कमेटियों में आ चुका है और जो संसदीय अध्ययन समिति की राय थी, उसको नेगी जी ने पढ़ कर सुनाया भी है।

जो अधिकार लेजिस्लेचर को हैं चाहे वह पार्लियामेंट को हों या विधान सभा को हों, फाइनेंशियल कन्ट्रोल रखने का अधिकार इस सदन को है तो फिर उसमें दूसरे सदन को क्यों शामिल किया जाता है? मेरी समझ में आता है कि मन्त्री जी इसे स्पष्ट कर दें कि कोई चीज नाकामयाब हो जाने के बाद भी इस तरह का प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है जिससे कि फाइनेंशियल मेटर्स के सम्बन्ध में दूसरे सदन को जो भी मौका दिया जा सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की मंशा माननीय मन्त्री जी की हो तो वह बात सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि माननीय मन्त्री जी यह कहेंगे कि ऐसी मंशा नहीं है तो फिर ऐसा प्रस्ताव क्यों लाया गया और क्यों ऐसी कमेटी बनाकर लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को बार किया गया? इसे मन्त्री जी स्पष्ट कर दें। यह सही नहीं है और इसका नतीजा सही नहीं निकलेगा।

दूसरी चीज संक्षेप में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कमेटी का अध्यक्ष कौन हो। क्या आप नामिनेट करेंगे? यदि हां, तो वह कैसे और किसे नामिनेट करेंगे? लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वह विरोधी पक्ष का होता है। यह प्रथा अंग्रेजों ने सोच समझकर ही अपने देश में रखी थी और हमारी पार्लियामेंट और सदन ने भी उसे स्वीकार किया है कि लोक लेखा समिति का चेयरमैन अपोजीशन का होना चाहिए। वरना गवर्नमेंट के ऊपर कैसे कन्ट्रोल हो सकता है। यदि उसका चेयरमैन सरकारी पक्ष का हो तो मैं समझता हूं कि कन्ट्रोल नहीं हो पायेगा। इसलिए वह जरूरी था। आप आहिस्ते से एक प्रस्ताव के द्वारा अपने दल के और अपने पक्ष के आदमी को इस कमेटी का चेयरमैन नामिनेट करना चाहते हैं तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये इस पर अवश्य विचार कर लें और उसके बाद इसमें लिख दें कि जो इस कमेटी का चेयरमैन होगा वह विरोधी पक्ष की ओर से होगा, सरकारी पक्ष का नहीं होगा।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और मैंने इस सम्बन्ध में कोई अमेंडमेंट भी नहीं दिया है कि अगर आप इसे पास भी करना चाहते हैं तो जो आठ-दस कारपोरेशन्स आपने इसमें शामिल किये हैं, उसमें खादी बोर्ड, ग्रामोद्योग कमीशन और गांधी आश्रम आदि जो प्रदेश में चल रहे हैं उनमें सरकार का पैसा भी लगता है किन्तु किसी भी प्रकार का कन्ट्रोल इनके ऊपर नहीं है। इन्हें भी आप इसमें शामिल कर दें। इनमें किसी भी प्रकार का फैक्टरी ऐक्ट लागू नहीं होता है। मेरे यहां मेरठ में कई गांधी आश्रम हैं किन्तु इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लाखों रुपया अधिकारियों के जरिये व्यय होता है।

कहने के लिए तो यह कहा जाता है कि वहां पर जो अधिकारी हैं, ये छोटे मुलाजिम हैं जो सौ डेढ़ सौ रुपए पाते हैं वे इन्हें चला रहे हैं। तो मन्त्री जी इसे भी देखें कि उनकी हैसियत क्या है। इनको डेढ़-डेढ़, दो-दो हजार रुपया एलाउन्स के नाम पर दिया जाता है

और जो बड़े हैं उनको और भी दिया जाता है। तो इस तरह से पब्लिक के पैसे का अपव्यय होता है, मिस एप्रोप्रियेट होता है, चोरी होती है और वह संस्था बची हुई है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस प्रदेश की जनता के ऊपर बड़ा उपकार होगा, गांधी आश्रम के उन गरीब मजदूरों के ऊपर बड़ा भारी उपकार होगा और वे आपका अहसान मानेंगे और अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर कन्ट्रोल हो तो आप उस संस्था को भी इसके अन्दर कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब साढ़े 4 बज गये हैं। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो प्रश्न यह है कि इस पर मन्त्री जी भी जरूर कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नम्बर 5 वाला निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने भी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसको फिर से लिखने की आवश्यकता है। इसको छोड़ दिया जाय और फिर जब समय आयेगा तब इस पर चर्चा होगी। विधान परिषद् के बारे में हिस्से को इसमें न रखा जाय तो अच्छा होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

परसों ले लिया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

बहुत मुनासिब काम हो रहा है। आपने जो अभी व्यवस्था दी वह बिल्कुल शिरोधार्य है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, अभी बोलने का समय थोड़ा है। जो आप चर्चा स्थगित कर रहे हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह जो परसों के लिए समय मांग रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है, वही मान्य होनी चाहिये, इस सरकार को और इस सदन को भी। मैं समझता हूं कि इस पर परसों ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, परसों आप बोलेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

संशोधित रूप में लावेंगे तो सभी बोलना चाहेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है इस पर आम चर्चा तो आज पूरी करा दें और जो संशोधन वगैरह हैं, उनको परसों ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

तो फिर जायसवाल जी बोलें ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस सदन के प्रवक्ता और इसके अधिकारों के संरक्षण के नाते अपना मत व्यक्त किया कि विधान परिषद् के सदस्यों को इस कमेटी में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं कहा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपकी मंशा वही थी। आशय उसका यही था ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आशय उसका यही था । अब दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने न्याय की बात कही लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बन्ध है, मेरा यह जो सदन है मान्यवर, उसके लिये इसी को आब्सोल्यूट पावर दिया गया है। इसमें किसी भी तरह से अपर हाउस हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आय-व्ययक यहीं प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदान होते हैं उनको भी यही हाउस पारित करता है और अगर उनमें कोई कटौती करनी हो वह भी इसी सदन को अधिकार है। इसी तरह से मान्यवर, अगर कोई मनी बिल या फाइनेंशियल बिल इन्ट्रोड्यूस करना हो तो वह भी इसी हाउस में इन्ट्रोड्यूस होता है। इस तरह से मान्यवर, यह मेरे सदन का विशेष अधिकार है कि वित्तीय मामलों में उसको सर्वाधिकार प्राप्त है।

अगर यह प्रस्ताव पास कर दिया जाता है मान्यवर, तो जो यह संवैधानिक स्थिति है, वह टूट जाती है और इस सम्बन्ध में जो अभी तक मान्यतायें रही हैं उनका भी उल्लंघन होगा। जो संवैधानिक स्थिति है वह मैंने आपके सामने रखी है ।

अब मैं आपका ध्यान परम्पराओं की ओर दिलाना चाहता हूं। जो यह परम्परायें डाली गई हैं, वह जो संविधान में प्रावीजन किये गये हैं, उनके अनुसार हैं, अलग नहीं हैं। अभी कुछ राय माननीय गोविन्द सिंह नेगी ने आपके सामने रखी। एक दफा विवाद खड़ा हुआ लोक सभा में बहुत पहले कि क्या वहां की लोक लेखा समिति में अपर हाउस के, राज्य सभा के सदस्यों को शामिल किया जाय। लोक समिति ने एक प्रस्ताव पारित करके आपत्ति की क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जा सकता है और हम अपने अधिकारों में कमी करने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं। लोक सभा के जो प्रथम स्पीकर, श्री मावलंकर जो रहे हैं, उन्होंने भी इसी राय की पुष्टि की। लेकिन उन्होंने इस कमेटी में राज्य सभा के पांच सदस्यों की सहयुक्ति की बात कही। वह उनकी इच्छा के विरुद्ध था क्यों कि तत्कालीन प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि इस समिति में राज सभा के पांच सदस्यों को रख दिया जाय। इसलिए उन्होंने सहयुक्ति की बात मानी थी और इसके लिये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो गई थी। हर साल लोक सभा प्रस्ताव पास करती थी कि राज सभा से 5 नाम भेजे जायं। यह स्थिति रही, यह परम्परा रही। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस परम्परा को जो अधिकार इस सदन को है, उसको कृपया भंग न करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक पहलू इसका यह हुआ और दूसरा पहलू यह है कि लोक लेखा समिति और एस्टीमेट कमेटी के रहते हुए इस कमेटी की आवश्यकता क्या है। जो काम लोक लेखा समिति तथा एस्टीमेट कमेटी कर सकती है, करीब-करीब वही काम आप इस कमेटी को देने जा रहे हैं। कोई नया काम नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार ऐसी कमेटियों के जरिये से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है क्योंकि जितने भी इसकी पार्टी के सदस्य हैं, उन सभी को मन्त्री नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन लालच में सभी को डाल दिया है, जिसकी कोई सीमा नहीं रह गई है, कोई मर्यादा नहीं रह गई है। इस तरह यह सरकार ऐसी कमेटियां का गठन करती है।

जब यह कमेटी बनी थी, उसको मुश्किल से एक साल हुआ होगा और जो इसके चेयरमन हैं वे भी मन्त्री होने का हौसला रखते थे। उनको मन्त्रि-परिषद् में नहीं खपाया जा सका। इसलिए इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन अगर इसके काम को देखें तो मैं समझता हूं कि इस कमेटी के कार्यकाल में 80 बैठकों से कम नहीं हुई होंगी और घूमे कहां कहां, हैदराबाद चले गये हैं, मैसूर चले गये हैं, मद्रास चले गये हैं, गोआ चले गये हैं। इन जगहों का यह भ्रमण कर आये हैं, इतना सारा पैसा खर्च हुआ, इतनी इस कमेटी की बैठकें हुईं, लेकिन इससे पैदा क्या हुआ ? मैं कहता हूं कि इस कमेटी का काम अभी तक एक बांझ का रहा है। यह कमेटी अभी तक एक भी प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी। खाली इस कमेटी के सदस्यों का और चेयरमैन का काम यह रहा है, दौरा करें और भत्ता बनायें और कोई काम इस कमेटी का नहीं हो सका जो देखने में आया हो।

मेरा कहना यह है कि एक तरफ तो राज्य का दिवाला निकल रहा है, हमारी जो आज की वित्तीय स्थिति है उसको आप देखें तो आप से ज्यादा और कौन समझसकता है और श्रीमन्, करीब करीब इस राज्य का दिवाला निकल चुका है। जरूरत इसकी है कि एक-एक पैसे की किफायतशारी करें लेकिन मालूम होता है कि इस सरकार का एक धर्म बन गया है कि वह फजूलखर्ची जरूर करेगी। यह खर्च बिलकुल फजूल का ही है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय जायसवाल जी ने जो फरमाया उसका स्पष्टीकरण मैं आप के समक्ष जरूर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हमारी समिति ने कोई कार्य नहीं किया, यह बिलकुल निराधार और गलत बात है। हमारी समिति के तमाम सदस्य चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, वह सब जानते हैं कि समिति ने कितना काम किया है, और कितना अध्ययन किया गया है। यह बात दूसरी है कि अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आसकी है लेकिन हमने चूंकि 4 5 उपक्रमों का एक साथ अध्ययन किया है और उसको करीब-करीब हम मुकम्मिल कर चुके हैं और हम समझते हैं कि जल्द उसकी एक रिपोर्ट सदन के विचारार्थ आने वाली है और मैं वैलेन्ज करता हूं कि कोई भी सदस्य चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, कोई यह नहीं कह सकता कि इस समिति ने कोई कार्य नहीं किया है। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि इस समिति ने पूरी तौर पर, पूरी कुशलता और काबिलियत के साथ कार्य किया है और जैसा जायसवाल जी ने कहा वह बिलकुल निराधार और गलत है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

वह बता दें कि उनकी समिति तामिलनाडु में एक सप्ताह तक क्या करती रही, उसने वहां क्या कार्य किया ? वहां कौन सी संस्था उत्तर प्रदेश सरकार की थी जिसे देखने गये थे ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उनका चैलेन्ज तो माननीय महीलाल जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन चेयरमैन साहब सुन कर चल गये, वह पहले उनको आ कर बतायें, हम तो इधर से बाद में बतायेंगे। चेयरमैन साहब इसका स्पष्टीकरण कर दें कि तामिलनाडु में वह कौन सी उनकी संस्था थी जिसे देखने उन की समिति वहां गई थी ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम--

यह भी तो सरकार का कर्तव्य ही था कि बेरोजगारों को समिति में रोजगार दिया।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय महीलाल जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि हम तामिलनाडु का जो फाइनेन्शियल कारपोरेशन है उसका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये गये थे, हमने तो महत्वपूर्ण कार्य वहां किया है वह सब रिकार्ड पर है और कोई भी माननीय सदस्य उसको आकर देख सकते हैं। महीलाल जी को दिखाई नहीं देता है तो हम क्या करें लेकिन जो कार्य वहां समिति ने किया है उसे आकर देखा जा सकता है और वह सब रिपोर्ट में सम्मिलित किया जायगा ।

श्री महीलाल---

वहां उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा संस्थान था जिसका निरीक्षण समिति ने वहां किया ?

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

वह एतराज किये हैं तो हमारी भावना उनको सुनना पड़ेगी . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

सदन में निजी स्पष्टीकरण की इजाजत दी जा सकती है लेकिन किसी समिति या उसके चेयरमैन के किसी कार्य की आलोचना होती है, टीका टिप्पणी होती है तो वह कोई स्पष्टीकरण का कारण नहीं है। चर्चा हो रही है और हर आलोचक की बात पर उत्तर देने खड़े हो जाना उचित नहीं है, यह अधिकार आपका नहीं है। यह मैं बता दूं कि हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई थी और वहां यह निश्चय किया गया था कि समितियों के बाहर भेंजने को निरुत्साहित किया जाय । पूरी समिति कहीं न जाय, हां उसकी उपसमिति किसी विशिष्ट विषय के अध्ययनार्थ जा सकती है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आपके परामर्श से ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह बात आपने बड़े पते की कही ।

श्री उपाध्यक्ष---

हम लोग भी इस पर चिन्तित थे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस समिति ने लगभग 80 बैठकें की हैं, और अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो चेयरमैन साहब, इसको भी बतला दें कि मैं गलती बोल रहा हूं। उस वक्त भी मैं समझता हूं कि उसकी सदस्य की संख्या 25 से कम नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि यह सदन 90 दिन नहीं बैठ सकता है तो यह समिति तो कम से कम 80 दिन बैठ जाय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मेरी भी यही शिकायत है कि इस सदन को बैठना चाहिये लेकिन सरकार के कृपा-पात्र ही इधर-उधर जाते हैं। 80 दिन बैठक हुयी। तामिलनाड, मैसूर और हैदराबाद और गोवा वगैरह यह समिति गयी। माननीय चेयरमैन साहब और उनके साथियों ने बड़ी मेहनत की और उनकी सफर में जो तकलीफ हुयी है, उसके प्रति हम सब को सहानुभूति है लेकिन हकीकत क्या है, इन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि ऐसी मेहनत का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। तो इसलिये मैंने कहा था कि यह समिति बिल्कुल बांझ है और चेयरमैन साहब का यह एक्सपैक्टेशन है।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन अगर बांझ के पुत्र पैदा हो जाय तो बड़ी सुखद स्थिति होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

तो एक्सपेक्टेशन है कि जो इश्यू इसका होगा, वह बड़ा हसीन होगा, खूबसूरत होगा जिसके कोई पैरेलल नहीं होगा। जो अभी तक कंशिश हुयी है और जो कुछ हम देख रहे हैं मैं यह समझता हूं कि जब वह इश्यू होगा तो सदन को निराश होना पड़ेगा।(हंसी)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, इन्हें कैसे मालूम हुआ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस देश में ज्योतिषों की कमी नहीं है(हंसी)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

80 दिन का इश्यू कितना बड़ा होगा?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हर स्पेसीज होती है किसी को 9 महीने में, किसी को 3 महीने में और किसी को 1 महीने में और यह 80 दिन का होगा। पंडित जी बतादें कि कितना वक्त लगेगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह अति हो रही है। फिजूलखरची हो रही है, फिजूली हो रही है। और गम्भीरता से इस पर सदन को विचार करना चाहिये। स्पीकर्स कौन्फ्रेंस में भी यह प्रस्ताव करना पड़ा कि ऐसी समितियों को बार-बार बाहर नहीं जाना चाहिये। किसी विशेष काम के लिये कुछ सदस्य को बाहर भेजा जा सकता है। तो मेरा निवेदन है कि इस अति को रोकने के लिये प्रयास होना चाहिये। इस फिजूली को रोकने का प्रयास

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

होना चाहिये । उसके लिये पहले ही आपकी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति मौजूद हैं । मैं चाहता हूं कि आप अपने धन की बरबादी न करें।

जो काम लोक लेखा समिति और आपकी प्राक्कलन समिति करती है इस प्रस्ताव के जरिये से आप लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के अधिकार क्षेत्र से इन चीजों की निकाल रहे हैं । यह आपका प्रस्ताव है । इसका मतलब है कि वह पहले से वही काम करती थी । आप भी वह कर सकते हैं । इसलिये इस नई कमेटी का गठन नहीं होना चाहिये । आपका पैसा होता, आपके पुरखों का पैसा होता तो हमें कोई दर्द न होता ।

मान्यवर, यह कमाई तो हमारे प्रदेश के करदाताओं की है और इसमें किसी को इस सदन में इजाजत नहीं देनी चाहिये कि यह जो जनधन इकट्ठा होता है, उसकाएक पैसा भी आप इस तरह से फिजूल खरची में लगायें । इसमें गम्भीरता से चिन्ता करें कि आखिर यह कमेटी क्यों बनाई जाय । आप 35–35 आदमियों की कमेटी बनाना चाहते हैं । कमेटी होती है पांच सात की । बड़ा आब्लाइज करना चाहते हैं तो दस की कमेटी बना दी जाय । यह तो आप पूरा सदन ही बनाना चाहते हैं । यह तो इस तरह से मिनिएचर सदन ही हो जायेगा । उसमें वे सदस्य न विवेचना कर सकेंगे, न स्टडी कर सकेंगे । 35–35 आदमियों की कमेटी केवल दौरा ही कर सकती है । जहां तक गम्भीर अध्ययन का सवाल है, 35 लोग वह कभी करते ही नहीं । इतनी बड़ी कमेटी--फिर हैसियत क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग या निगम हैं वे कुल 18 हैं । इनमें तो कुछ शायद पूरी तरह से जन्म भी ले नहीं पाये हों । वे बन रहे हैं । दे आर इन दि प्रोसेस आफ मेकिंग । इस तरह से अन्डरटेकिंग हैं जैसे ब्रिज निगम आदि । और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके 15–20 लाख रुपया लगा होगा । इसका मुकाबिला केंद्र द्वारा संचालित जो पब्लिक अन्डरटेकिंग हैं वे कम से कम 100 होंगी, उसमें बारह अरब रुपया लगा होगा । वहां की कमेटी दस-बारह आदमियों की होगी और आप अपनी कमेटी बना रहे हैं 35 आदमियों की । तो कहीं कोई संतुलन नहीं रक्खा है । इसलिये धूम फिरकर सवाल आ जाता है । आपभ्रष्टाचार को बढावा दे रहे हैं, आदमियों का लालच बढा रहे हैं । लालच इतना बढ़ गया है कि जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके चरित्र का भी ह्रास होता जा रहा है । कोई मर्यादा नहीं रह गई है । इस कमेटी को भी भ्रष्टाचार और लालच बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं । इसका सहारा आप चाहते हैं आपकी सरकार टिकी रहे । जो कोई चाहे दल बदल कर ले दूसरी तरफ घूम जायं । लोगों को आप इस तरह से मौका देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज इसे यहां खत्म कर दें, आगे चलें ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, वे अभी बोल रहे थे, अभी मैं बोलने वाला हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, अभी तो मेरा इन्ट्रोडक्शन हुआ है । बोलना अभी बाकी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें आपको यह नहीं कहना चाहिये कि 25 सदस्य हो सकते हैं, 25 विधान सभा के हों और दस विधान परिषद के हों शायद यह कह सकते हैं कि इसकी संख्या 35 हो जिसमें विधान सभा के 25 हों ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, विधान सभा के अध्यक्ष के आदेश पर ही यह प्रस्ताव तैयार हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन यह है कि हम इसमें न कहें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस प्रस्ताव की भाषा आप ठीक कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

विधान परिषद् का एक अलग हाउस है । हम अपनी बात कह दें और इसमें यह निहित कर दें कि अगर वे चाहें तो जोड़ दें । लेकिन अपनी तरफ से न कहें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, आप भाषा ठीक करके संशोधित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

परसों इस पर चर्चा होगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

हम अब नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें लेते हैं । सर्वश्री सुरेंद्र विक्रम सिंह, बंशीधर पांडेय और राम बिलास पांडेय ने दिया है कि रामपुर जिले में भेड़ियों द्वारा 150 बच्चों का भक्षण । इसमें आप प्रश्न द्वारा जानकारी कर लें । जिस समाचार पत्र में आपने पढ़ा 150, तो उसमें यह भी लिखा है कि 50 भेड़िये मार दिये । इसको कार्यवाही के लिये भज देंगे ।

श्री सुरेंद्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

आप इसको कार्यवाही के लिये भेज दें । भेड़िये व्यक्तियों और बच्चों को खा रहे हैं । लोग परेशान हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा सर्वश्री चन्द्रभान शर्मा, त्रिलोक चन्द्र, मोहम्मद असरार अहमद, बंश गोपाल शुक्ल, महाबीर सिंह चौहान और सच्चिदानन्द गुप्त का है कि सरकार द्वारा मिनी बसों के परमिट के लिये प्रार्थना - पत्रों का समय बढ़ाने से खरीददारों की कठिनाइयों का बढ़ना एवं बड़ी रकमों का खतरे में पड़ना । इसको भी कार्यवाही के लिये भेज रहे हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

लाखों रुपया लोगों का चला गया । उनसे कहा कि अपनी बस बनवा लो । उनको अब एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

सम्भावना पर आधारित है । प्रश्न द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मैं आपको जानकारी बतला दूं । सवाल यह है कि लग भग चार हजार लोगों ने परमिटों के लिये दरख्वास्तें दीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शफीक अहमद खां का भी वही है भेड़ियों द्वारा 150 बच्चों का भक्षण । इसको श्री सुरेंद्र विक्रम सिंह वाले के साथ ही जोड़ दिया जायेगा।

श्री मोहनलाल कपूर और श्री हरिनाथ तिवारी का है कि ग्राम खेखड़ा, तहसील-बागपत, मेरठ सशस्त्र डकैती में एक युवक व पुलिस दीवान की हत्या । 17-1-73 को जो स्वीकार किया था उसी में नाम जोड़ दिये जायेंगे और यह 24-1-73 को होगा ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

परसों मैंने 51 में दिया था कि एक नहर कट गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज आपका नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आप मेरी बात सुन लें । मिनी बस के सिलसिले में कहना है। एक लाख रुपया कोर्ट फीस में आ गया । चार महीने की इजाजत दी । बस मिलती नहीं । लाखों रुपया एडवांस दे दिया और अब सरकार एक्सटेंशन नहीं दे रही है । क्या सरकार की नीति रोज बदलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई अविलम्बनीय महत्व का नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

बाहर हमें लोग मारने लगेंगे कि हमारा रुपया दिलवाइये। लोगों ने एडवांस बेकर बुक करा लिया है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह पालिसी मैटर है । इसको स्वीकार कर लीजिये । यह पालिसी मैटर है, लाखों रुपये का सवाल है । लाखों आदमियों की रोजी का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अस्वीकार किया गया है। प्रश्न यह कि समय का अभाव था। आज 9 थे तो कैसे लिया जाता ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

परसों के लिये लिख दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह हो सकता है कि इस पर कार्यवाही हो जाय ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मैंने और नेगी जी ने नियम 51 में प्रस्ताव दिया था । देहरादून में एक राजनैतिक नेता की हत्या कर दी गई है। अध्यक्ष जी ने कहा था कि 56 में नहीं दीजिये, 51 में दीजिये, स्वीकार कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आज आपका समय के बाद आया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप सुन लें और उसके बारे में विचार कर लें । एक राजनैतिक नेता की हत्या.....

श्री उपाध्यक्ष—

कल आप समय से दे दीजियेगा।

प्रदेश में खाद्यान्नों के भयानक संकट तथा राशन की दूकानों में गल्ले के अभाव के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

अब सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, रामगोपाल संड, चन्द्रभान शर्मा, शफीक अहमद खां तथा नित्यानन्द स्वामी द्वारा उठाये गये लोक महत्व के प्रश्न पर खाद्य मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, रामगोपाल संड, चन्द्रभान शर्मा, शफीक अहमद खां तथा नित्यानन्द स्वामी ने जो राज्य सरकार का ध्यान खाद्यान्न व चीनी आदि के अभाव तथा बढ़ती हुई कीमतों की ओर आकर्षित किया है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं । राज्य सरकार इस समस्या के प्रति पूर्ण सजग है और इस सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार ने यथा सम्भव आवश्यक कदम उठाये हैं।

खाद्यान्न

इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गत चार सप्ताहों में खुले बाजार में खाद्यान्नों, विशेष तौर से गेहूं के थोक एवं फुटकर मूल्यों में काफी तेजी से वृद्धि हुई है । वैसे तो इन महीनों में बेफसल होने के कारण गेहूं में कुछ वृद्धि स्वाभाविक है किन्तु तीन और मुख्य बाते हैं जिनके कारण विशेष वृद्धि हुई है ।

प्रदेश में व देश के अन्य कई राज्यों में वर्षा न होने अथवा कम होने या देर से होने के कारण खरीफ की फसल को क्षति पहुंची है और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है । उत्तर प्रदेश में भी समय से वर्षा न होने के कारण खरीफ की फसल को क्षति पहुंची जिसके फलस्वरूप उपज में कमी आई जिसका विपरीत असर खाद्यान्नों की उपलब्धता तथा भावों पर पड़ना स्वाभाविक है ।

राज्य में अनौपचारिक राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत लगभग 2 करोड़ यूनिट के लिये 4 किलो प्रति यूनिट प्रति माह की दर से 80 हजार टन गेहूं की आवश्यकता है तथा रोलर मिलों को केवल एक शिफ्ट कार्य करने के लिये 27 हजार टन गेहूं की आवश्यकता है । इस प्रकार प्रदेश की कम से कम जरूरत 1,07,000 टन गेहूं की जरूरत है जिसके विरुद्ध भारत सरकार से लगभग 60.70 हजार टन गेंहूं से अधिक माह सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर, 1972 तक

[श्री यादवेन्द्र सिंह—]

प्राप्त नहीं हुआ है जो कि काफी अपर्याप्त है। दिसम्बर मास के लिये भारत सरकार से केवल 35 हजार टन का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके कारण जनवरी मास में राशन की पूर्ण मात्रा 8 किलो से घटा कर 6 किलो करनी पड़ी जिसमें गेहूं की मात्रा 3 किलो तथा आटे को मात्रा 2 किलो है इस घटो हुई मात्रा के लिये भो लगभग 87 हजार टन गेहूं का आवंटन आवश्यक है जबकि भारत सरकार से माह जनवरी के लिये 35 हजार टन गेहूं हो प्राप्त हुआ है।

प्रदेश को सोमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा आदि ने गेहूं तथा उसके उत्पाद के निर्यात पर हाल हो में प्रतिबन्ध लगा दिया है। जिसके कारण इन वस्तुओं का राज्य में आयात बन्द हो गया है और उपलब्धता की कमी हो जाने से भाव में एक दम तेजी आ गई।

इस स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिये राज्य सरकार ने निम्नलिखित कदम उठायें हैं:—

राज्य सरकार ने भारत सरकार से उच्चतम स्तर पर गेंहूं का आवंटन बढ़ाने के लिये आग्रह किया है लेकिन देश को खाद्यान्न को सामान्य स्थिति को देखते हुये, भारत सरकार अधिक आवंटन नहीं कर सकी। मुख्य मत्री जी ने अभी हाल हो में केन्द्राय कृषि मंत्री तथा प्रधान मंत्री जी से भो इस सम्बन्ध में वार्ता को है ओर आशा है कि विदेशों से खाद्यान्नों का आयात फरवरी के पहले सप्ताह तक होने लगेगा जिससे स्थिति में सुधार होने को काफी सम्भावना है।

अन्य राज्यों को भांति इस राज्य में भी गेहूं तथा उसके उत्पाद के प्रदेश से बाहर निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के विषय पर भारत सरकार से आग्रह किया गया है।

राज्य सरकार यथा सम्भव रोलर मिलों द्वारा बनाये सारे गेहूं उत्पाद को सस्ते गल्ले की दूकानों के माध्यम से हो वितरित करा रही है।

इस वर्ष राज्य सरकार ने चावल को लेवो की मात्रा बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त खरीफ मोटे अनाज ज्वार, बाजरा मक्का को भो खरोदारी को जा रही है। ताकि जनवितरण प्रणाली के लिये अधिक से अधिक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध किया जा सके।

गेहूं को कमो को आंशिक रूप से पूरा करने के लिये राज्य सरकार ने चावल को मात्रा 1 किलो से बढ़ाकर 2 किलो कर दी है इस प्रकार इस समय चावल को मात्रा 2 किलो गेहूं को मात्रा 2 किलो तथा आटा को मात्रा 2 किलो प्रति यूनिट प्रति माह है। अभी हाल हो में पहाड़ी जिलों के निवासियों की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये शासन ने वहां चावल को राशन मात्रा 2 किलो से बढ़ाकर 3 किलो प्रति यूनिट प्रति मास कर दी है। तथा दो क्विंटल तक चावल बिना प्रतिबन्ध के तराई को मंडियों से पहाड़ के अन्दरूनी क्षेत्रों में ले जाने को अनुज्ञा दे दी है।

खरीफ के मोटे अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा को भी उपलब्धता के अनुसार 6 किलो को अधिकतम सीमा के अन्दर 1 किलो प्रति यूनिट प्रति मास 65 पैसा प्रति किलो की सहायित दर पर तत्काल वितरित करने के आदेश दिये गये हैं।

उपरोक्त तुरन्त उपायों के अतिरिक्त, राज्य सरकार आगामी रबी की फसल से गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निर्णय ले लिया है ताकि भविष्य में उपभोक्ता को एक उचित निर्धारित मूल्य पर यह मुख्य अनाज पूरे वर्ष उपलब्ध किये जा सकें। साथ ही साथ वर्तमान जनवितरण प्रणाली को और सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

चीनी

भारत सरकार चीनी मिलों को मुक्त किये गये चीनी के मासिक कोटे का 70 प्रतिशत अंश सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित दर पर वितरण हेतु राज्य सरकारों को उपलब्ध कर रही है। उनकी योजना के अनुसार 1 अक्तूबर, 1972 से सारे देश भर में 2 रुपया प्रति किलों की दर से चीनी उपलब्ध कराई जा रही थी। 1 दिसम्बर, 1972 से वह कीमत 2 रुपया से बढ़कर 2 रुपया 15 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गयी है। जितनी चीनी इस योजना के अन्तर्गत प्रति मास राज्य सरकार को प्राप्त होती है वह नगर तथा ग्रामीण क्षेत्रों की जन-संख्या के आधार पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बांट दी जाती है।

वर्तमान समय में यह व्यवस्था है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार को प्रधान की परची पर एक बार में एक किलो तक चीनी एक महीने में मिल सकती है और शहर में प्रति व्यक्ति को प्रतिमास एक किलो चीनी देने की व्यवस्था है। इस आधार पर इस प्रदेश के लिये 31,000 टन चीनी प्रति मास की आवश्यकता है किन्तु भारत सरकार द्वारा इस प्रदेश को मार्च से जुलाई तक 25,000 टन के लगभग प्रति मास चीनी प्राप्त होती रही है। अगस्त तथा सितम्बर में क्रमशः 23,512 तथा 23,911 टन चीनी प्राप्त हुयी। अक्टूबर तथा नवम्बर में अवश्य इस मात्रा म बृद्धि हुई और इस प्रदेश को 27,000 टन के लगभग चीनी आवंटित की गयी किन्तु दिसम्बर से पुनः आवंटन कम कर दिया गया और इस समय 24,000 टन से कुछ अधिक चीनी इस प्रदेश को प्रतिमास मिल रही है।

अभी तक चीनी वितरण के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि शहर में राशन कार्ड पर तथा ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान की परची पर चीनी दी जाय किन्तु शिघ्र ही ग्रामीण क्षेत्र में भी राशन कार्ड पर चीनी वितरण करने की कार्यवाही की जा रही है।

चीनी की मात्राएं तथा मूल्य के संबंध में राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और भारत सरकार द्वारा प्राप्त मात्रा को ही वितरित करना है।

ग्रामीण क्षेत्र में भी राशन कार्ड लागू हो जान पर वितरण में सुविधा हो जायगी और प्रत्येक कार्ड पर प्रतिमास एक किलो चीनी मिल सकेगी। यह कार्यवाही शीघ्र ही पूरा हो जायेगी।

1 दिसम्बर, 1972 से 24 जिलों में और 1 जनवरी, 1973 से सारे प्रदेश में लेवी चीनी का थोक व्यापार भारतीय खाद्य निगम ने अपने हाथ मे ले लिया है। हो सकता है प्रारम्भिक कठिनाइनों के कारण कहीं कहीं चीनी मिलने में दिक्कत रही हो लेकिन अब वितरण सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है।

मिट्टी का तेल

जहां तक मिट्टी के तेल की पूर्ति का सम्बन्ध हैं, नवम्बर 1972 के अन्तिम सप्ताह में जिलाधिकारी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पोड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली तथा बिजनौर ने शासन को सूचना दी कि उनके जिलों में मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं पहंच रहा है। बाद को जिलाधिकारी, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बलिया और बहराइच ने भी ऐसी ही सूचना दी। शासन ने तुरन्त इंडियन आयल कारपोरेशन के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया। उन्होंने बताया कि टैंक वैगन की अस्थाई कमी हो जाने के कारण यह स्थिति पैदा हुई। अब टैंक वैगन पुनः उपलब्ध हो गये हैं अतः यह कमी दूर हो गई है।

2--प्रचलित सरकारी आदेशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जिन घरों में बिजली है उनको आधा लीटर प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से तथा जहां बिजली नहीं है वहां उनको दो लीटर

प्रतिमाह प्रति परिवार को दर से तेल दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो लीटर प्रति परिवार प्रधान की पर्ची पर तेल दिया जाता है। अब मिट्टी का तेल अधिक सुगमता से उपलब्ध हो रहा है। अतः शासन ने जिलाधीशों को अधिकार दिया है कि स्टाक की स्थिति को देखते हुए तेल का वितरण उदारता से करें तथा यह भी ध्यान रखें कि तेल का अनुचित संग्रह न किया जाये और उसका दुरुपयोग भी न हो। प्रदेश में मिट्टी का तेल नियंत्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने की कोई शिकायत नहीं है।

कपड़े की वितरण व्यवस्था

प्रदेश में कपड़े पर कोई नियंत्रण नहीं है किन्तु भारत सरकार ने नियंत्रित कपड़े के वितरण की एक नई योजना प्रसारित की है जिसके अनुसार 1 नवम्बर, 1972 से नियंत्रित कपड़ा खुले बाजार में न बेचकर केवल 4 संस्थाओं द्वारा वितरित किया जा रहा है। ताकि समाज के गरीब वर्ग को यह कपड़ा सुगमता से मिल सके। ये चार-चार संस्थायें हैं। (1) मिलों की फुटकर दुकानें। (2) सुपर बाजार। (3) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ से सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकानें तथा (4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें। भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को एक बार में एक जोड़ा धोती या एक जोड़ा साड़ी या 10 मीटर कपड़ा मिलता है। फिलहाल इस प्रदेश में इस योजना का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी मासिक आय रुपया 500 तक है।

कोयला

कोयले के आयात पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि कोयले का आयात रेल मंत्रालय द्वारा आवंटित रेकों पर निर्भर रहता है। साफ्ट कोक का सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है क्योंकि कमजोर वर्ग के लिये यह सबसे सस्ता ईंधन है। इसका स्पान्सरिंग प्राथमिकता के आधार होता है ताकि प्रदेश के सभी जिलों को साफ्ट कोक पहुंचता रहे और जनता को कठिनाई न हो। इस तरह से इसका सीधा प्रभाव काज आफ लिविंग पर पड़ता है। कठिनाई तथा भाव में वृद्धि तब होती है जब रेल मंत्रालय प्रदेश की साफ्ट कोक का 80 फोरव्हीलर प्रतिदिन का आवंटित कोटा नहीं दे पाते कोटे की रैकों के आवंटन में वृद्धि करने के लिये निरन्तर रेल मंत्रालय पर जोर डाला जाता रहता है।

अन्य वस्तुयें

इसके अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे चीनी, वनस्पति, नमक, सीमेन्ट, साबुन, रेजर ब्लेड, मोटर व साईकिल के टायर ट्यूब, ट्रांजिस्टर के सेल इत्यादि के भावों में वृद्धि के रोकथाम हेतु शासन ने भिन्न-भिन्न नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत जिलाधीशों को समुचित निदेश प्रसारित किये हैं जिनके अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार है कि छापा मार कर छिपे हुए माल के स्टाक को बरामद करे एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

अन्य प्रशासकीय कार्यवाही

इसके अतिरिक्त मूल्यों पर निगाह रखने के लिये शासन ने राज्य मुख्यालय तथा जिला मुख्यालय पर मूल्य कक्ष की स्थापना की है एवं उड़ाकू दस्तों का भी प्रबन्ध किया है जो कि समय..

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो जितना समय आप ले रहे हैं उतने में समाप्त हो सकता है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

समय पर अनियमितता की सूचना मिलने पर दुकानों में छापे मारती है। उचित मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत स्टाकिस्ट को अपना स्टाक तथा मूल्यों का प्रदर्शन करने के निर्देश जारी किये गये हैं। ताकि आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। प्राइज डिस्पले तथा उचित मूल्य अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में 162 व्यक्तियों के विरुद्ध कायवाही की गयी है।

2—उत्तर प्रदेश अतिथि नियंत्रण आदेश 1972 के द्वारा सामान्य प्रीतिभोज में या सामाजिक अथवा अन्य समारोह में किसी एक दिन में 25 से अधिक व्यक्तियों को और विवाह या अंत्यष्टि संस्कारों के संबंध में 100 से अधिक व्यक्तियों को अनाज या दालों से बने खाद्य पदार्थ तथा मिठाई के वितरित करने, परोसने अथवा उपभोग की व्यवस्था करने पर 16 सितम्बर, 1972 से प्रतिबन्ध लगाया गया है उक्त संख्या में अतिथेय भी सम्मिलित हैं।

3—जखीरेबाजी को रोकने के लिये भारत सरकार को आवश्यक अधिकार प्रदान करने हेतु लिखा गया है। भारत सरकार से आवश्यक अधिकार प्राप्त हो गये हैं और शीघ्र ही संग्रहण पर प्रतिबन्ध सम्बन्धी आदेश जारी किये जायेंगे।

4—समस्त जिलाधीशों से कहा गया है कि सस्ते गल्ले की दुकानों का नियमानुसार निरीक्षण तथा राशन कार्डों की चेकिंग करायें। फलस्वरूप जून माह से अब तक निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

(1)	संख्या सस्ते गल्ले की दुकानों की जो निरस्त की गईं ..	1,839
(2)	,, ,, ,, निलम्बित की गई ..	780
(3)	,, ,, ,, जिनकी जमानत जब्त की गयी	570
		रु०
(4)	जमानत की धनराशि जो जब्त की गई ..	38,057
(5)	उचित मूल्य अधिनियम एवं प्राइस डिसप्ले आदेश के उल्लंघन में पकड़े गये केस	160
(6)	कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे	162
(7)	कितने मुकदमें अदालत में हैं तथा कितने मुकदमें पुलिस में दर्ज हैं	361

इस समय जब कि प्रदेश में खाद्यान्नों की कठिन स्थिति से गुजर रहा है हम आप सबके सक्रिय सहयोग की कामना करते हैं और विनम्रतापूर्वक निवेदन करते हैं कि इस सदन में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य हमारी वितरण व्यवस्था को सुचारुरूप से चलाने में अपना पूर्ण योगदान दें तथा प्रदेश को असन्न संकट से बचायें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

विषय बड़ा लम्बा चौड़ा है। हम सब जानते हैं कि राशन की दुकानों पर गल्ला नहीं मिल रहा है, सरकार बतायेगी कि जो सरकार के पास गल्ला भंडार में है और जो केन्द्रीय सरकार से भी मिल रहा है उन दोनों के होते हुए भी कितने की कमी पड़ती है और जितनी कमी पड़ती है उसको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने अपने भाषण में बतलाया कि 35 हजार टन गेहूं मिल रहा था। हमारे पास जो स्टाक है, जो खरीदारी करके एकत्रित कर सके हैं उसकी स्थिति अवगत करा देना चाहता हूं।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

जितनी प्रदेश में आवश्यकता है वह भाषण में बता चुका हूं और जो कमी और पड़ने की उम्मीद है उसके लिये हम प्रयत्नशील हैं कि जो भी हमारे पास संसाधन हैं उनसे प्रदेश को आसन्न संकट से बचावें। आप सब के योगदान की कामना करते हैं। हमारी स्थिति बताना चाहता हूं:—

इस समय हमारे पास चावल 1,13,194 मीट्रिक टन है। यह समझें कि चावल और धान दोनों मिला कर योग 1,66,812 मी0 टन है। मक्का 13,238 मी0 टन, बाजरा 3,735 और ज्वार 6,903 मी0 टन है। इसके अलावा जो गेहूं भारत सरकार से हर महीन आता है वह है 35 हजार टन।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अपना गेहूं है या नहीं, वह भी बता दीजिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

आपने वक्तव्य में फरमाया है कि इधर पिछले 4 हफ्ते में खाद्यान्न के मूल्य बढ़ गये हैं—थोक भी और फुटकर भी—तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितन परसेंट वृद्धि थोक में और कितने परसेंट फुटकर में हुई है?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

कुछ बहुत प्रसन्नता की बात तो नहीं है, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि अभाव है प्रदेश में और इसीलिए सहयोग की कामना करता है शासन। प्रयत्न कर रहा है शासन कि आप सबके सहयोग से इस आसन्न संकट से प्रदेश को बचा सके। जो वृद्धि हुई है वह निवेदन कर रहा हूं—

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

हमारे सहयोग से क्या गल्ला बढ़ जायगा? कैसा सहयोग?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

अगर आवश्यक होगा तो बताऊंगा कि कैसे सहयोग की आवश्यकता है माननीय सदस्यों से। गेहूं के मूल्य में, अगर सितम्बर को बेस माने तो 22 परसेंट की वृद्धि हुई है थोक में और फुटकर में 21 प्रतिशत की। चना में 14 प्रतिशत की वृद्धि थोक में और 17 प्रतिशत की फुटकर भाव में। जौ में 11 प्रतिशत थोक में और 14 प्रतिशत फुटकर में, चावल में 1 प्रतिशत थोक में और 2 प्रतिशत फुटकर में, ज्वार में 12 प्रतिशत कमी हुई है थोक में और 11 प्रतिशत कमी हुई है फुटकर में, बाजरा में 1 प्रतिशत कमी हुई है थोक में और 4 प्रतिशत कमी हुई है फुटकर में, मक्का में 4 प्रतिशत वृद्धि हुई है थोक में और 1 प्रतिशत फुटकर में, अरहर की दाल में 7 प्रतिशत थोक में वृद्धि हुई है और 8 प्रतिशत फुटकर में, चीनी दाना में 5 प्रतिशत थोक में और 1 प्रतिशत फुटकर में वृद्धि हुई है, डालडा में 9 प्रतिशत फुटकर में वृद्धि हुई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार ने गेहूं की कुल खरीदारी अपने प्रदेश में कितनी की? उसमें से कितने प्रतिशत अपने पास रखा और कितने प्रतिशत केन्द्रीय सरकार को दे दिया? मैं यह इसलिये पूछ रहा हूं कि अब जो केन्द्रीय सरकार के बारे में ये कहते हैं कि उसने गेहूं नहीं दिया, तो मैं इस सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम भारत सरकार का नंगा चित्र तो इस सदन के सामने रख दिया कि उसने आज इस प्रदेश को भूखों मरने के लिये बाध्य कर दिया है। दोषी यह सरकार नहीं है, दोषी तो वह हैं। तो कितना गेहूं इन्होंने खरीदा कि उसके बाद इनको लगभग

40 हजार टन प्रति मास की कमी महसूस हो रही है? और अगर पूरी खरीदारी इन्होंने नहीं की तो क्यों नहीं की ?

श्री यादवेन्द्र सिंह–

गेहूं की खरीदारी तीन एजेन्सीज के जरिये हुई---एफ 0 सी 0 आई 0, राज्य सरकार और कोआपरेटिव्ज। टोटल खरीदारी साढ़े 8 लाख टन के लगभग हुई। पैसा एफ 0 सी 0 आई 0 का था। राज्य सरकार और कोआपरेटिव्ज ने एफ 0 सी 0 आई 0 के लिये यह खरीदारी की थी। इसलिये जो भी खरीदारी हुई वह एफ 0 सी 0 आई 0 के एकाउन्ट में हुई और उसके पास रही। खरीदारी पूरी न होने का कारण यह था कि एफ 0 सी 0 आई 0 ने उचित समय पर पैसा नहीं दिया जिससे बाजार में उतरने में देरी हुई। दूसरे, दो महीने तक कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की हड़ताल चलती रही। नियम हमारा यह था कि हम काश्तकार से डायरेक्ट खरीदारी करें। इसलिये इंटीरियर-मोस्ट गांवों में कोआपरेटिव के ही सौड स्टोर थे जिनसे पर्याप्त गल्ला प्राप्त हो सकता था और दो महीने तक सुपरवाइजरों की हड़ताल चली इसलिये हमारी खरीदारी को धक्का लगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

माननीय मंत्री जी ने खाद्यान्न का अभाव तो बताया और यह कहा कि राशन की दुकानों पर 2 किलो के हिसाब से गेहूं, आटा, चावल दे रहे हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से जानकारी दे रहा हूं कि पिछले 15 दिन से राशन की दुकानों पर एक कण भी चावल, गेहूं और आटा लोगों को नहीं मिल रहा है। तो क्या आप इसकी जानकारी करेंगे और निश्चित रूप से सदन को सूचना देंगे कि प्रत्येक राशन की दुकान पर ठीक समय पर पूरा राशन उपभोक्ताओं को मिलेगा।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

मैं हर प्रयास करूंगा कि ठीक समय से उपभोक्ताओं को राशन मिल सके।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

मैं तीन बातें जानना चाहता हूं कि अनोपचारिक राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत आपने बताया कि 2 करोड़ यूनिट हैं, इसमें शहरों के कितने लोग हैं तथा ग्रामों के कितने लोग हैं यह बता दें।

दूसरा प्रश्न यह है कि कपड़े के कपड़े वितरण की व्यवस्था जो आपने की है वह ग्रामीण क्षेत्रों में क्या की है ? मेरी सूचना यह है कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े की बिक्री के लिये कोई व्यवस्था नहीं की है ?

तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि जितनी चीनी शहर का एक परिवार खा सकता है उतनी ही चीनी गांव का एक परिवार भी खा सकता है। तो यह भदभाव किस आधार पर आपने रखा है कि गांव वाले क लिये कम चीनी आप देते हैं और शहर वाले को ज्यादा ? क्या सरकार ग्रामीण जनता को दूसरे नम्बर का नागरिक मानती है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

अनौपचारिक राशनिंग के आधार पर जन संख्या इस प्रकार है---पहाड़ों पर बसने वालों की संख्या करीब 30 लाख ह। एक लाख से ऊपर की आबादी वाले 22 शहर हैं जिनकी आबादी करीब 70 लाख है। एक लाख से नीचे की आबादी वाले शहरों की आबादी करीब 80 लाख है। दहात में जो भूमिहीन मजदूर लोग हैं जिनके पास एक एकड़ से कम भूमि है उनकी संख्या 2 करोड़ 50 लाख है।

श्री भानु प्रताप सिंह—

जितनी संख्या ग्रामीण क्षेत्र की है उसक हिसाब से आप व्यावस्था क्यों नहीं कर पाते ? क्या सरकार गांव वालों की कोई जिन्ता नहीं करती ? क्या सरकार गांव और शहर के अनुपात में ही वितरण व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, सिद्धान्त रूप में तो यह सही है, लेकिन . . . (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि शहर के नाम पर उनको भड़कना नहीं चाहिये। शहर में ऐसे लोग भी होते हैं जो अल्पवेतन भोगी हैं। जिनको अगर गांव से सामान न आए तो शहर में नहीं मिल सकता है। इसलिए जब वितरण की बात माननीय सदस्य सोचते हैं तो देहात को समान समझते हुये भी इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि जहां पैसा देने से भी सामान नहीं मिल सकता है, कोशिश करने पर ज्यादा देने पर भी दिलाया नहीं जा सकता, तो वहां के लिए, उनके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। जैसा कि पहाड़ों पर कोई पैसा भी देना चाहे तो उसे अन्न मिलने में कठिनाई होगी। इसलिए हमें उनका अवश्य ध्यान रखना होगा।

श्री भानुप्रताप सिंह—

चीनी और कपड़े का उत्तर और दिलवा दीजिए, उन्होंने केवल अन्य के बारे में उत्तर दिया है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, मैंने बताया, कपड़े का बताया यह व्यवस्था की गई है किन्तु अभी हर जगह तो नहीं पहुंच पाया है, लेकिन हर जगह गांव में एक दुकान खोलने चाहिए और शहर में हर क्षेत्र को एक दुकान से लिंक करना पड़ेगा, इसके आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या उनको इस बात का पता है कि जिन देशों में लोग खुशहाल हैं, जहां के लोग 35 हजार से ऊपर कैलरीज कंज्यूम करते हैं, जब कि हमारे यहां 2 हजार के आसपास कैलरीज उनको मिलती है, और इसमें भी हमारी सरकार के रहते हुए गेहूं की कटौती के कारण कमी हो गई है, तो इस कमी को जनस्वास्थ्य को बचाने के लिए कैसे पूरा किया जाएगा ? क्या इसके लिए सरकार ने कोई उपाय किया है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मैंने अपने वक्तव्य में कहा, हमें आपके सहयोग की कामना है। मैं नहीं कर सका तभी तो आपके सहयोग की कामना की। इसलिए आप हमें उपाय बताएं, हम उस पर ध्यान देंगे ?

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

आपने शहर और देहात में बहुत फर्क कर रखा है। देहात में अन्न बिल्कुल नहीं दिया। मैंने मास सितम्बर, 72 में जिला बरेली के विषय में चीनी के बारे में एक प्रश्न किया था जिसके उत्तर में आपने बताया था कि देहात में 94 और शहरों में 5,274 किलो चीनी दी गई, तो आखिर इतने बड़े मतभेद का क्या कारण है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

श्रीमन्, आपने जो पूछा था, उससे स्वयं ही आपका जवाब हो गया। मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि शहर में एक किलो प्रति यूनिट प्रति मास और देहात में एक किलो, प्रति परिवार प्रतिमास देने का प्राविधान है।

(श्री महीलाल को प्रश्न करने की इजाजत देने पर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

आप हमें प्रश्न करने दें, यह तो मंत्री जी के कमरे में जाकर भी पूंछ सकते हैं, हम कहां जाएंगे ?

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

आपका भी कमरे में स्वागत होता, आप तशरीफ लाएं।

क्या कोयले की कमी होने का एक कारण यह है कि नये कोल एजेन्ट, जो मान्यता मांगते हैं, उन्हें शासन के आदेश के कारण जिलाधिकारी मान्यता नहीं दे पाते हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं एक बात जानना चाहता हूं, कारण यह तो नहीं है कि आप कोई ईंट का भट्ठा चला रहे हैं ?

श्री महीलाल—

वह भी कोई बुरा काम नहीं है, वह भी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि शासन का आदेश है कि नये कोल एजेंटों को मान्यता न दी जाय, जिसके कारण प्रदेश में कम कोल आ रहा है। क्या माननीय मंत्री पुनः इस नीति पर विचार करेंगे कि जो लोग कोयला एजेंट बनना चाहें उनको अविलम्ब मान्यता मिल जाय ?

श्री यादवेन्द्रसिंह—

श्रीमन्, कोल का एजेंट मुकर्रर करने से कोल की आमद बढ़ जायगी यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। वैगन की उपलब्धता से कोल की आमद बढ़ेगी। जितना कोल आ रहा है उसके लिए मौजूदा एजेंट पर्याप्त हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सही मान कर जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि चार किलो प्रात मास गेहूं दे रहे हैं, बल्कि डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर आधा, प्रति यूनिट 15 दिन में, दो किलो गेहूं मुश्किल से दे रहे हैं। उस में उन्होंने एक बात लगा दी है कि केवल 15 दिन में एक दिन गेहूं देते हैं, जो पैसे की वजह से या मजबूरी की वजह से गेहूं लेने नहीं जाता, उनका गेहूं लैप्स हो जाता है, इसकी क्या इनक्वारी करके व्यवस्था करेंगे ?

श्री यादवेन्द्रसिंह—

मैंने अपने भाषण में कहा था कि दो किलो गेहूं, दो किलो आटा और दो किलो चावल के रेश्यो से दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने ऐसा कहा—दो किलो गेहूं और दो किलो आटे को मिला कर चार किलो गेंहूं कर दिया। जहां तक 15 दिन में एक दिन गेहूं देने का सवाल है सम्भव है यह वितरक का दोष हो। उसके लिये निवेदन किया कि आज कल व्यापक रूप से दूकानों के चेकिंग हो रही है, दूकानदार सस्पेंड किये जा रहे हैं। लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। मैंने आंकड़ा दिया था कि कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई। इसके बाद भी आवश्यक होगा तो कार्यवाही की जायगी। जहां तक इसका सवाल है कि अगर 15 दिन में गल्ला नहीं लेते हैं तो उनको गल्ला नहीं मिलता है। स्थिति को देखते हुये यह जरूर समझा गया कि जिसने 15 दिन तक गल्ला नहीं लिया, उसको उस पन्द्रह का गल्ला पाने का औचित्य नहीं है, अगले 15 दिन का ले सकता । इसलिये उसको रोक दिया गया।

श्री चन्द्रमोहनसिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

अभी माननीय मंत्री जी ने पहाड़ोंके प्रति बड़ी साहनुभुति दिखायी,मैं उसका फाया उठाना, चाहता हूं। माननीय मंत्री जी को क्या जानकारी है कि कोटद्वारा, ऋषिकेष, लक्ष्मण झूला आदि में गेहूं का एक दाना नहीं है, आटा नहीं है, चावल थोड़ा थोड़ा दूकानों पर है। ढाई रुपये किलो, पौने तीन रुपये किलो तक आटा बिका है। नम्बर दो, पहाड़ों में शराबबन्दी कर दी गयी है, ठंडक बेहद पड़ रही है, वहां के लोग चाय वगैरह पीते हैं, डेढ़ सौ ग्राम चीनी गांवों में मिल रही है। तो कम से कम पहाड़ के गांवों में चीनी का कोटा बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

यह सम्भव है कि आटे की कमी हो गयी हो। वहां पर आटा दिल्ली से आता था। जैसा मैंने भाषण में बताया दिल्ली ने आटे पर बैन लगा दिया है। उसको जल्द रेस्टोर किया जायगा। जहां तक चीनी का प्रश्न है विशेष रूप से ध्यान देंगे, जैसी स्थिति है आपकी, उसको देखते हुये अवश्य व्यवस्था करेंगे।

श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न के लिये आज उन्होंने क्या व्यवस्था की है ? चीनी के विषय में जो बताया तो वास्तव में चीनी भी नहीं बटती है, अन्य अनाज बट रहे हैं। उनकी क्या व्यवस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में जब कि वहां कोई अनाज नहीं बटा है ? दूसरे रामपुर के अन्दर परसों कुछ खरीददारों ने गेहूं खरीदा जिसको मैं मंत्री जी को दिखलाऊंगा। उसे जानवर भी नहीं खा सकते। दूकानदार ने कहा कि लेना हो तो लो और कुछ उसके पास नहीं है। तो सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है जिससे इस तरह का गेहूं जनता में न बाटा जाय ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मेरे शरीर के मुताबिक मेरी अक्ल भी मोटी है। माननीय सदस्य कई प्रश्न न करके एक-एक प्रश्न करें तो मैं उनका उत्तर ठीक से दे सकूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनाज की व्यवस्था सरकार ने की है उसको बाटने की क्या व्यवस्था उसने की है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

ग्रामीण क्षेत्रों में गल्ला देने के लिये देहातों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयीं और उसका सबसे बड़ा प्रणाम यह है कि सूबे भर में 12 हजार दुकानों में से 4 हजार ही शहरी श्रेत्र में हैं और शेष देहातों में हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार को विदित है कि टेहरी गढ़वाल में दो फसलें ओलावृष्टि से नष्ट हो गयीं और वहां अकाल पड़ गया लेकिन फिर भी सरकार ने गेहूं की मात्रा कम कर दी है, तो क्या वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए सरकार गेहूं की मात्रा बढ़ायेगी ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

हमने वहां की आवश्यकता को देखते हुए और लोगों की फूड हैबिट्स को देखते हुए चावल की मात्रा को बढ़ा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
22 जनवरी, 1973 ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तां० प्र० स० 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 673 पर)

इलाहाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डरटेकिंग द्वारा उपभोक्ताओं से चार्ज की जाने वाली दरों का विवरण				राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अन्डरटेकिंग से चार्ज की जाने वाली दरों का विवरण	
	प्रति यूनिट पैसे में				
	ग्रास	रिबेट	नेट		
प्रकाश एवं पंखा	.. 41	3	38	1—ए०सी० सप्लाई के लिये	
डोमेस्टिक पावर	.. 25	0	25	(अ) फिक्सड चार्ज	रु० प्रति के० वी० ए०
राजा अयोध्या	.. 36	1	35	प्रथम 500 के० वी० ए० में प्रतिमाह	.. 15.00
चल चित्र				अगले 1500 के० वी० ए० प्रतिमाह	.. 12.00
प्रथम 300 यूनिट	.. 40	1	39	2000 के० वी० ए० अवशिष्ट प्रतिमाह	.. 10.00
शेष यूनिट	.. 29	1	28	(ब) रनिंग चार्जेज	
				महीने में उपयुक्त क8 डब्लू० एच०	पैसे प्रति के० डब्लू० एच०
मोटिव पावर	8 रु० प्रति बी एच पी +प्रतिमाह			प्रथम 170 के० डब्लू० एच प्रति के० वी० ए०	11.5
				अगले 170 के डब्लू एच प्रति के वी० ए०	.. 10.5
	16	1	15	अवशिष्ट के० डब्लू० एच० प्रति के बी० ए०	.. 9.5
उत्तर रेलवे—				2—डी० सी० सप्लाई के लिये	
प्रथम 1,000 यूनिट प्रतिमाह	.. 21	0	21	(अ) फिक्सड चार्ज	रु० प्रति के० डब्लू० एच०
अगले 1,000 यूनिट प्रतिमाह	.. 18	0	18	प्रथम 425 के० डब्लू० एच० प्रतिमाह	20.00
शेष	.. 16	0	16	अगले 1275 के० डब्लू० एच० प्रति माह	.. 15.50
				अवशिष्ट के० डब्लू० एच० प्रति माह	.. 13.00
				(ब) रनिंग चार्जेज	पैसे प्रति के०
पथ प्रकाश	अनुबन्धित दर—+10 प्रतिशत			महीने में उपयुक्त के० डब्लू० एच०	डब्लू० एच०
				प्रथम 200 के० डब्लू० एच० प्रति के) डब्लू०	... 10.5
				अगले 200 के० डब्लू० एच० प्रति के० डब्लू०	.. 9.5
				अवशिष्ट के० डब्लू० एच० ति के० डब्लू०	.. 8.5

नत्थी 'ख'

(देखिये तां० प्र० सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 774 पर)

प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं की सूची

क्रम सं०	नाम	ग्राम	क्रम सं०	नाम	ग्राम
1	प्रेम वती	धूलकोट	11	पूरन देई	धूलकोट
2	कलावती	,,	12	सन्तोष देवी	,,
3	सुलोचना देवी	,,	13	लीला देवी	,,
4	धनो देवी	,,	14	दर्शनी देवी	,,
5	सुशीला देवी	,,	15	आशा देवी	,,
6	शकुन्तला देवी	,,	16	नाने देवी	,,
7	सुन्दरी देवी	,,	17	सुशीला देवी	,,
8	कान्ता देवी	,,	18	परमी देवी	,,
9	सुख देई	,,	19	कलावती	,,
10	सन्तोष कुमारी	,,	20	कैलाशी देवी	,,

नत्थी 'ग'

(देखिये तां0 प्र0 सं 0 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 676 पर)

अन्य पिछड़े वर्गों की सूची

हिन्दू

1—अहीर
2—आरख
3—बंजारा
4—बढ़ई
5—बारी
6—बैरागी
7—भर
8—भोटिया
9—भुर्जी या भड़भूजा
10—बिन्द
11—छीपी
12—दर्जी
13—धीवर
14—गड़रिया
15—गोसांई
16—गूजर
17—हलवाई
18—जोगी
19—काछी
20—कहार
21—केवट या मल्लाह
22—किसान
23—कोइरी
24—कोरी (आगरा, मेरठ एवं बुन्देलखंड डिवीजन में)
25—कुम्हार
26—कुर्मी
27—लोध
28—लोहार
29—लोनिया
30—माली
31—मनिहार
32—मुराव या मुराई
33—नाई
34—नायक
35—सोनार
36—तमोली
37—तेली

मुस्लिम

1—भटियारा
2—कारपेन्टर (बढ़ई)
3—चिक्वा (कस्साब)
4—दर्जी
5—ढफाली
6—फकीर
7—गद्दी
8—हज्जाम (नाई)
9—झोझा
10—कसगर
11—किसान
12—कुंजड़ा
13—मनिहार
14—मिरासी
15—मोमिन (अन्सार)
16—मुस्लिम कायस्थ
17—नद्दाफ (धुनिया)
18—नक्काल
19—नट
20—रंगरेज
21—स्वीपर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित मांगों की सूची

(देखिये तां0 प्र0 सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 777 पर)

1—सरकार उच्च स्तर पर शीघ्र एक कोआर्डिनेशन कमेंटी का गठन करें जो बोर्ड कर्मचारियों के मसले पर केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करके विचार करें।

2—बोर्ड के अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों की सेवायें राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत मानी जांय अथवा खादी बोर्ड राज्य विद्युत परिषद् अथवा नेशनल बुक-ट्रस्ट के समान इसका स्वरूप निश्चित किया जाय।

3—कर्मचारियों को सी3 पी0 एफ0 (कन्ट्रीब्यूटरी फंड) की सुविधायें प्रदान की जायं।

4—पेंशन, ग्रेच्युटी की सुविधायें सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप दी जायं।

5—आवास सुविधायें सरकारी कर्मचारियों की भांति (आवास कक्ष एवं क्वाटर्सका आबंटन किया जांय)।

6—चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायं।

7—सरकारी सेवा क्रम में सीनियटीं निश्चित की जाय और तदनुसार पदोन्नति (प्रोमोशन) की सुविधायें भी प्रदान की जायं।

8—बोर्ड के अस्तित्व को निरंतर बनाये रखा जाय और इसके द्वारा जो सेवा कार्य हेतु अनुदान दिये जाते रहे हैं उनमें वृद्धि की जाय ताकि बोर्ड का कार्यक्षेत्र संकुचित न हो और कर्मचारियों का भविष्य जो इससे जुड़ा है, सुरक्षित रहे।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 733 पर)

विकास खण्ड जगदीशपुर सुल्तानपुर के निम्नलिखित चीनी फेयर प्राइस शाप्स रिटेलरों ने दीवाली व ईद के अवसर पर जो चीनी उठाई है, उसकी मात्रा तथा वितरण की गई चीनी की मात्रा का विवरण प्रत्येक दुकानदार के समक्ष अंकित है :—

क्रम-संख्या	नाम	न्याय पं0		उठाई गई चीनी की मात्रा कुन्टल में	बांटी गई चीनी की मात्रा कुन्टल में
				कुन्तल	कुन्तल
1	श्री राम ललन	..	ऊंचागांव	5	5
2	श्री शब्बीर अहमद	..	किशनी	6	6
3	श्री राम प्रसाद	..	किशनी	5	5
4	श्री अमरचन्द	..	देवकली	5	5
5	श्री राम लखन	..	देवकली	2	2
6	श्री लक्खी चन्द	..	देवकली	4	4
7	श्री गोविन्द प्रसाद	..	दक्खिन गांव क्यार	5	5
8	श्री अब्दुल कयूम	..	निहालगढ़	4	4
9	श्री हरी शंकर	..	,,	14	14
10	श्री राम आसरे	..	पाली	4	4
11	श्री हबीबउल्ला	..	बाहरपुर	3	3
12	श्री प्रेम नारायण	..	,,	2	2
13	श्री जाहिद खां	..	,,	3	3
14	श्री छोटू खां	..	भूगरौली	4	4
15	श्री राम आधार	..	मवया रहमतगढ़	10	10
16	श्री तेज नारायण	..	रनकापुर	4	4
17	को0 मारकेटिंग	..	सेन्दरवा	7	7
18	श्री मुहम्मद अनीस	..	,,	4	4

नोट—दीवाली व ईद के अवसर पर कोई अलग से चीनी का कोटा रिटेलरों को नहीं दिया गया है।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ 797 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम संपत्ति सीमा अन्तरण पर (अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम, 1972 का संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1972 की धारा 3 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) अधिनियम 1972 की धारा 3 की उप-धारा (1) में--

(क) शब्द तथा अंक "31 जनवरी, 1973" के स्थान पर शब्द तथा अंक "30 अप्रैल, 1973" रख दिये जायं ।

(ख) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय अर्थात:

"प्रतिबन्ध यह है कि इस बीच में उत्तर प्रदेश में शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा आरोपित करने की कोई विधि प्रवृत्त न हो जाय तो राज्य सरकार, समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को बढ़ा सकती है, किन्तु 31 अक्तूबर, 1973 के पश्चात् नहीं ।"

उद्देश्य और कारण

संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धांतों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य नीति को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 9 मई, 1972 को विधान सभा में उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 पुर:स्थापित किया गया था। उक्त विधेयक के कारण और उसके विधि के रूप में अधिनियमित होने में कुछ समय लगने की सम्भावना थी। इस बात की आशंका थी कि कुछ लोग इस बीच अपनी सम्पत्ति उक्त विधयक के प्रयोजन को निष्फल करने के लिये हस्तांतरित कर देंग; अतएव यह आवश्यक समझा गया कि अति शीघ्र कानून बना कर एस हस्तांतरणों को रोका जाय। तद्नुसार उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निबन्धन) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया गया था, जिसे ऐसे अन्तरणों को 31 जनवरी, 1973 तक निर्बन्धित करने के उद्देश्य से, बाद में उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा संशोधित किया गया। चूंकि 31 जनवरी, 1973 तक उत्तर प्रदेश शहरी सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधयक, 1972 का अधिनियमित हो जाना सम्भव नहीं है, इसलिये शहरी जायदाद के संबंध में अन्तरणों पर निर्बन्धन बनाये रखना आवश्यक है। अत: यह प्रस्तावित है कि उक्त निबन्धनों को 30 अप्रल, 1973 तक कायम रखा जाय। साथ ही, राज्य सरकार को यह भी शक्ति देने का प्रस्ताव है कि आगे भी छ: महीने तक इस निर्बन्धन की अवधि तक बढ़ा सके।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 पुर:स्थापित किया जाता है।

उदित नारायण शर्मा,
राजस्व मंत्री।

प्रवर प्रवेश पत्र

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 309 एल० ए०—1973—835।